खण्ड-101, अंक-5
शुक्रवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(23 मई, 1952 ई0)

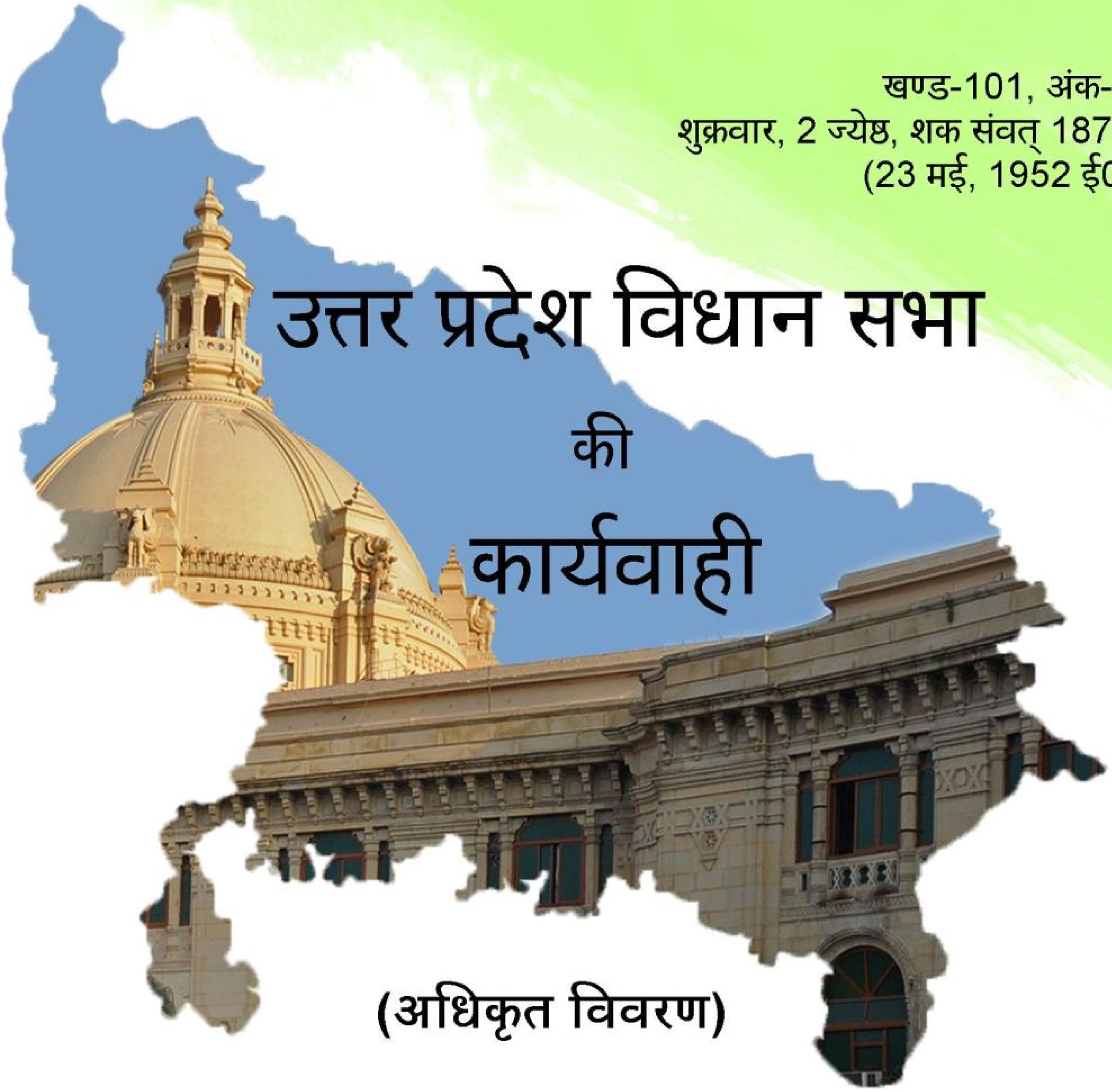

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 101 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (४०७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़, श्री
अमरेशचन्द्र पांडे, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आनन्दस्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराख़ल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
एज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किंदरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
ख़यालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमल सिंह श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धरमसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र,श्री
बनारसीदास , श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद, श्री
बलवन्तसिंह कुंवर, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवादीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोपाल सिंह, श्री
भोलासिंह , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मञ्जूरुल नबी, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसेन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद , श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम , माननीय श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
मोहन सिंह , श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह यादव, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री

राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विशम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री

अध्यक्ष प्रदेश

व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनाराणय, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवसरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगावाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हामिद खां, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, के लिये दो सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (पुलिस मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए तीन सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये तीन सदस्य निर्वाचित करें।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये तीन सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय श्री हुकम सिंह (उद्योग मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ वार्ड्स के लिये दो सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में प्रस्ताव

माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ वार्ड्स के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ वार्ड्स के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिए पांच सदस्य निर्वाचित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिये पांच सदस्य निर्वाचित करे।

माननीय अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिये पांच सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—यह पांच प्रस्ताव जो अभी स्वीकृत हुए, उनके संबंध में जो कार्यक्रम होगा मैं आज शाम तक इस सदन को उसकी सूचना दे दूंगा।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञता का प्रस्ताव (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब श्री बनारसी दास के प्रस्ताव पर कि यह सदन महामान्य राज्यपाल का उनके अभिभाषण के लिए आभारी है, विवाद जारी रहेगा। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ सुझाव इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखने हैं। कल का वाद-विवाद जिस तरह से हुआ उसमें मुझे समय समय पर माननीय सदस्यों को टोकना पड़ा। इसलिये मैं थोड़ी सी बातें सदन के सदस्यों के सामने सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस भवन के लिए नये हैं।

यहां अधिकतर "आप" का प्रयोग होता है और एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के लिए "आप" का प्रयोग करते हैं। सदन की रीति यह है कि अध्यक्ष को ही संबोधन करके भाषण किया जाता है और यदि किसी दूसरे माननीय सदस्य से बात कही जाय तो अध्यक्ष के द्वारा ही कही जा सकती है। हिन्दी भाषा में "आप" के कई मानी होते हैं। कहीं पर "आप" का प्रयोग इस प्रकार भी होता है—अगर यह प्रश्न पूछा जाय कि यह घर किसका है, तो कहा जाता है "आप का ही है" अथवा यदि यह पूछा जाय कि यह लड़का किसका है तो कहा जाता है कि "आप का ही है" इसी तरह से कई प्रयोग होते हैं, दो तीन प्रयोग होते हैं तो भ्रम पैदा हो सकता है और यह भी खतरा है कि कहीं यहां पर बहस रौद्र रूप धारण न कर ले। इसलिए यह नियम रखा गया है कि अध्यक्ष के द्वारा ही दूसरे को संबोधित किया जाय।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने दल विशेष के सदस्यों को यह सूचित कर दें और इसकी प्रथा बता दें और किस तरह से भाषण करना चाहिये, उसके विषय में भी अगर उनको सचेत कर दें तो उचित होगा। एक तो सुझाव यह है। कल एक उदाहरण श्री परिपूर्णानन्द ने रखा। उनकी मेडेन स्पीच (प्रथम भाषण) जरूर थी लेकिन उन्होंने अवश्य इस तरह का भाषण किया जो उपर्युक्त नियम के अनुसार करना उचित है और उन्होंने सम्बोधन जो किया वह मेरे द्वारा किया, अध्यक्ष के द्वारा किया। दूसरों को सम्बोधन किया उसमें सर्वनाम का प्रयोग किया। दूसरों के लिये "उन्होंने" शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार पुनरुक्ति दोष से भी वे दूर रहे। यह अनुकरणीय प्रथा और शैली है। यद्यपि उनकी मेडिन स्पीच (प्रथम भाषण) थी, तथापि शैली नियमानुकूल थी और उसमें लज्जाभिनय होने से नवीनता थी। लोग नवीनता चाहते हैं, न्यू ब्लड (नवीन रक्त) चाहते हैं। इस तरह की मेडेन स्पीच की शैली यदि अन्य सदस्य भी अपनावें तो नवीनता की झलक हमारे सदन में हमेशा कायम रहेगी और भवन बड़े सुचारुरूप से

[माननीय अध्यक्ष]

अपने कार्य को संचालन करने में समर्थ होगा। अब मैं समझता हूं कि वादविवाद जारी हो।

श्री बलदेव उपनाम सत्यानन्द--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन की जो प्रतिक्रिया हुई है उसके सम्बन्ध में संक्षेप में मैं अपने विचार श्रीमान् के समक्ष प्रकाशित करना चाहता हूं। संस्कृत में कहा है कि "अनन्तपारं खलु शब्द शास्त्रम्" यानी शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। लेकिन उनकी शक्ति बड़ी होते हुये भी शक्ति को निचोड़ने की ताकत होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जिन चुने हुये शब्दों में पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की कारगुजारियों का सारांश दिया गया है और आने वाले समय में जो कार्य होने वाला है उसको एक बहुत ही सुन्दर और सूक्ष्म तरीक़े से कहा गया है। मैं समझता हूं कि वह काम करने वालों के लिये बहुत ही अच्छा लक्षण है। सुधार की ताकत ऐसे जोर की होती है कि वह शब्दों में बंध नहीं सकती है। शब्दों के लिखने वाले जितना भी चाहें उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो कुछ इसमें कहा गया है उससे मैं समझता हूं कि जो पांच वर्षों में काम होने वाला है उसमें ५० वर्ष वाले कामों की नींव बनेगी।

मैं इस सम्बोधन में ऐसे विचारों को पाता हूं जिनके कारण यह प्रदेश समस्त हिन्दुस्तान का नेतृत्व करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य हुये हैं उनमें हमारे नेताओं की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि बहुत से संसार के राष्ट्रों के बराबर है और इसने जो देश का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में नेतृत्व किया है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वह आगे भी नेतृत्व करेगा।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रान्ति राजनीतिक क्रान्ति से ५० गुना ज्यादा बल चाहती है। इसमें जितनी कुरबानी और त्याग करना पड़ता है उतना राजनीतिक क्रान्ति में नहीं करना पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों-लाखों आदमी फांसी पर चढ़ा दिये गये हैं और इसमें काम करने के लिये लोग इतना डरते हैं जितना कि गवर्नमेंट की जेलों से नहीं डरते हैं। जो लोग सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं वे जानते हैं कि इसमें क्या बात है। मेरे जैसे आदमी का जीवन इसी क्षेत्र में काम करते हुए रहा है और आगे भी जीवन इसी कार्य में लगा रहेगा। इसका मार्ग राजनीति से बहुत ज्यादा कंटकाकीर्ण होता है। इसमें गुलाब के फूल नहीं बिछे रहते हैं।

मैं समझता हूं कि संविधान, नियम और उपनियम कागज पर लिखे रहते हैं और पंडित लोग उनका अर्थ निकालकर अपना काम करते हैं और अपने भावों को उन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हमारे देश में जो बड़े बड़े ग्रन्थ हैं जो मनुस्मृति, गीता आदि हैं उनके आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ निकाले। आज हजारों वर्ष व्यतीत हो गये लेकिन हजारों वर्ष पहले उन्होंने हमारे लिये रास्ते साफ कर दिये हैं। लोग प्रायः यह कहते रहे हैं कि पुरानी संस्कृति के अनुसार हिन्दू समाज ऐसा है जो बिना छुआछूत के कायम नहीं रह सकता। मैंने हिन्दू ग्रंथों का अध्ययन करके देखा है जिसमें यह साफ है कि सब भाई हैं और भाई चारे पर चलने से ही सब लोग सुखी रह सकते हैं। उन्हीं व्याकरणों और ग्रन्थों को पढ़ते हुये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि तमाम गीता और स्मृतियों में यह है कि मनुष्य बंटे हुये हैं, वे छुआछूत को मानते हैं ऐसे पंडित लोग आज भी मौजूद हैं। तो मरदानगी तो यही है कि हम उसके भाव को समझें। शब्द तो वहां मौजूद है लेकिन हमें चाहिये कि हम समाज के सामने ऐसा अर्थ रखें जिससे समाज को मालूम हो कि किस रास्ते पर चलना चाहिये और कौन रास्ता सही है।

श्रीमन्, मैं एक तीसरी बात आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश और प्रदेश की जो हालत है वह ऐसी है जिसमें हम लोगों को चैन नहीं है, हम लोग बेचैनी से उसकी ओर देख रहे हैं। मैंने बहुत बर्षों से आजमगढ़ जिले में जो कि पूर्वी जिले में एक खास जिला है रहने और जनता की सेवा करने का व्रत लिया था। वहां की हालत बहुत खराब है और सब लोग इस बात को जानते भी हैं। इसकी वजह यह है कि वहां पर आबादी बहुत है। प्रति वर्ग मील वहां पर १३ सौ आदमी रहते हैं। गोंठा में जहां मैं काम करता हूं वहां साढ़े चार सौ आदमी रहते हैं। वहां पानी की सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। वहां उद्योग भी हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं। उनकी भी हालत बहुत खराब है। वहां के लोगों की आर्थिक दशा यहां तक खराब है जैसा बाबा राघवदास जी का एक शब्द है "गोबरी"। वहां दंवरी होती है, मड़ाई होती है तो जब बैल चलने लगते हैं वह जो दाना खा लेते हैं और रात को जो उनका गोबर होता है उसको धोकर उसमें जो दाने निकलते हैं उसको लोग खाते हैं। अभी श्री विनोबा भावे जी को जब बताया गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब रोटी उनके सामने लाई गई और जब तोड़ी गई तो वे कहने लगे कि आप लोग इसको बरदाश्त कैसे करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग जो उन जिलों के रहने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं यह हमी लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी रोटी खाई जा रही है और वहां ऐसी प्रथा चल रही है। यह मैं मानता हूं इसकी जिम्मेदारी हमीं लोगों पर है। अभी कई वर्ष पहले एक सम्मेलन में इन्हीं बातों को कहा था तो जो लोग वहां पर थे उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम विद्रोह की बातें फैलाने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि अभी नहीं, अभी तो दिसम्बर का महीना है। जरा मार्च और अप्रैल के महीने में देखिये तो मालूम हो जायगा कि हम जो बात कहते हैं सही है या सिर्फ लफ्फाजी की बात है।

महामान्य राज्यपाल के भाषण में जो शब्द कहे गये हैं अगर उस पर गवर्नमेंट और हम और आप चलने लगें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पिछले चार वर्षों में मुझे आजमगढ़ जिले में काम करने का मौका मिला है। मैं उससे बहुत आगे चला गया हूं और दस गुना आगे चला गया हूं जितना मैंने सोचा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई रोक नहीं हुई। नेकी के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। कोई रुकावट का प्रश्न उठता नहीं है। अहिंसा के सामने रोक उतनी ही दूर भागती है। अहिंसक तरीके से काम हो और उसमें समाज सुधार के अतिरिक्त और कोई बात न की जाय। तो मैं कहता हूं कि तरीकों पर विश्वास कीजिये और जो सत्य और अहिंसा का संकल्प है उसी संकल्प को लेकर काम करना चाहिये और अगर ऐसा हो तो हम लोग बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं।

यहां पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे मेरा परिचय ३०, ३२ वर्ष पहले का है। उनके दिलों को हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हम जितना चाहें आगे जा सकते हैं। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं है। बल्कि मैं कितनों से परिचित हूं जो मुझसे बड़े हैं। हमारे लिये उन्होंने कमेटी बैठा दी, सामान मुहइया कर दिया और उस सामान को ले कर हमें एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) करना है कि लोग अपने से कितना काम कर सकते हैं।

मैं एक बात आखिर में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो काम आज जनता का है उसे लोग कितनी ईमानदारी से करते हैं, उनके रास्ते को साफ करना, उसमें थोड़ी सी मदद देना इतना ही काफी है। मेरा विश्वास है कि संसार में लोग अपना पुण्य खुद करेंगे, सरकार नहीं कर सकती, सरकार तो मदद देती रहेगी। मेरे जिले आजमगढ़ में पहले २६ स्कूल थे लेकिन अब ६९ स्कूल हो गये हैं। २९ प्राइवेट स्कूल हैं, और बाकी म्युनिसिपल स्कूल हैं। लोग कहते हैं कि उनके स्कूलों को मान्यता दिला दी जाय। चारों तरफ स्कूल खोल देने की धूम है।

[श्री बलदेव उपनाम सत्यानन्द]

आजमगढ़ जिले में जहां खड़े हो जाइये एक मील के अन्दर ३,४ स्कूल दिखाई देंगे। गवर्नमेंट का ऐलान है कि वह एक हजार रुपया स्कूल खोलने के लिये देगी, मकान बना दिया जाय। एक एक गांव में दो दो मकान बन गये और मेरे पास दोनों पार्टीज के लोग आये और कहने लगे कि मेरा मकान अच्छा है। मैंने समझौता कराया और एक में लड़कों का और दूसरे में लड़कियों का स्कूल खोल दिया। इतनी मांग है कि मांग अब मीलों आगे हो गयी है और हम पीछे रह गये हैं। हम सोच नहीं पाते कि काम कैसे होगा। केवल थोड़ी सी मदद और गाइडेंस देने की जरूरत है। सब अपना भोजन पैदा कर रहे हैं। अपने लिये सारे रूल्स रेगुलेशंस (नियम उपनियम) बना रहे हैं, वहां बिना लिखित कानून समाज के सुधार के लिये बने हुये हैं, ग्राम जीवन चल रहा है, क्या हमारे लिखे हुये कानून से चल रहा है। क्या हमारा लिखा हुआ साहित्य वे पढ़ रहे हैं। ग्राम में जो किस्से हैं, जो रिवाज है, वे क्या कहीं लिखित हैं। क्या कोई ग्रन्थ लिखा हुआ है जिससे वे गाइड होते रहें। विवाह–शादी, नक्षत्र, चलना फिरना यह सब ऐसी चीजें हैं जो बिना लिखे ही गाइड होती हैं। हम लोगों का फर्ज होना चाहिये कि कोई बात हमें मालूम हो, कोई साहित्य हमें मालूम हो तो उसके जरिये हम उनकी मदद करें। प्रौढ़ शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसको किसी न किसी रूप में, कोआपरेटिव बेसिस पर, टेक्निकल शिक्षा जो दी जाती है, उसके जरिये से भी हमें फिर से प्रौढ़ शिक्षा को जारी कर देना चाहिये, इसके बिना एक बड़ी कमी रह जाती है।

पंचायतों के बारे में मैं सबसे अधिक धन्यवाद गवर्नमेंट को देना चाहता हूं। पंचायत जैसी चीज इसने फिर से जिन्दा कर दी। विदेशी राज्य ने क्या किया था? इन्हीं पंचायत को तोड़ा था करोड़ों, अरबों का नुकसान नहीं किया, बल्कि गांव के सामाजिक जीवन को ही खत्म कर दिया था। पंचायतों के रहने से क्या फायदा होता है? मैं वह आदमी हूं जो गांव में ही रहता हूं। हमारी हाई कोर्ट वहीं है। जो कुछ निर्णय वहां हो गया, उसको मान लिया, कहीं नहीं जाऊंगा, नुकसान उठा लूंगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि पंचायतों को फिर से हराभरा करना यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। यह वृक्ष इतना कोमल है जो मुरझाना नहीं चाहिये। जो सज्जन यहां बैठे हैं कौन ऐसा है जो इस बात से वाकिफ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस बेल को फैलने दें। इसका फल बहुत अच्छा होगा। गांव में जो क्रांति रुक गई है वह इस बेल के फैलने से उभड़ उठेगी। हमारी कांग्रेस सरकार की बेल भी इन्हीं पंचायतों के जरिये फैलेगी।

जिला बोर्ड और पंचायतों के बीच में जो लिंक (संबंध) है जिसका जिक्र इस संकल्प में किया गया है उसको देख कर बहुत खुशी होती है। हम लोग पार्टी में बैठते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो हमारे बीच बैठकर पंचायत करते हैं उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूं कि संबोधन में जो भाषा दी गयी है वह कानूनी रूप में प्रगतिशील है। उसको लेकर हम काफी काम कर सकते हैं। उसमें रुकावट डालने की आवश्यकता नहीं है। उससे हम काफी लाभ उठा सकते हैं। हमें आज सामाजिक क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है, आर्थिक क्षेत्र में भी काफी काम करने की जरूरत है। सामाजिक सुधार आर्थिक क्षेत्र में मदद देता है। खेती के साथ ही साथ उद्योग धंधे बहुत जरूरी हैं उनके बिना खेती का काम भी हम सुचारूरूप से नहीं कर सकते हैं। खादी, बुनियादी तालीम और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। हमें गांव में जाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी सच्ची क्रांति संभव हो सकती है।

श्री बंशीदास धनगर—माननीय अध्यक्ष, मैं यहां पर इस समय अपने को एक किसान की हैसियत में समझ रहा हूं। यदि मैं और भी साफ कहूं तो आजकल जैसा यहां जो पार्टियों का संगठन है, विशेषकर हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टियों का, उनमें मेरा विश्वास बहुत ही कम है। मेरा जितना अध्ययन है उसके अनुसार जो मैं यहां की और अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों को समझा हूं उसके हिसाब से यहां की राजनैतिक पार्टियां सही नीयत का पालन नहीं करती हैं। यहां हम अलग अलग बेंचेज पर बैठते हैं, हमारे अपने अलग अलग स्थान हैं, उनके बीच में जब मैं अपने को देखता हूं तो अपनी स्थिति को साफ नहीं पाता हूं। मैं नहीं समझ सका हूं कि वास्तव में मेरी

स्थिति कहां होनी चाहिये। मैं नहीं समझ सका हूं कि मेरा संबंध विरोधी पार्टी से है अथवा राजसत्ता से संबंध रखने वाली पार्टी से। वास्तव में इस बात को समझने में बड़ी कठिनाइयां हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों का जो संचालन होना चाहिये उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि वह बहुत गलत चल रहा है। राजनीतिक पार्टी का जो रूप होना चाहिये वह हमारे देश में नहीं है। उसका मुख्य कारण हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के रीति रिवाज, हमारे देश का सामाजिक संगठन, धार्मिक और राजनीतिक अवस्थाओं से संबंध रखता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी उथल-पुथल अभी नहीं हुई। हम एक हजार वर्ष तक गुलाम रहे। जब महात्मा गांधी की बेइज्जती अफ्रीका में एक अंग्रेज द्वारा हुई तो उन्होंने हमारे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। और उस आंदोलन के आधार पर ऐसी क्रांति हुई कि देश का बच्चा-बच्चा उसमें शामिल हुआ और उसमें शामिल होने के नाते यहां पर जो हमारी गुलामी थी उसकी जंजीरें कट गयीं। गुलामी की जंजीरें कट जाने के बाद आज जो राजनीतिक पार्टियों का रूप होना चाहिये था उसमें एक अजीब उथल पुथल हुई। उसका मुख्य कारण यह है कि जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों का गठन होना चाहिये था वह नहीं हुआ।

इसके साथ साथ मुझे श्रीमान् अध्यक्ष की आज्ञा से, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने जो सम्भाषण किया उसके संबंध में यह कहना है कि उन्होंने यहां पर बहुत सी बातें कहीं और जैसा संबोधन इस मौके पर होता है उन्होंने किया। उसमें एक विशेष चीज की कमी थी जिसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। वह चीज यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी जातियां है, उनके संबंध में उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि हमारी यू० पी० सरकार आगे कौनसा ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे उनको सहूलियत मिल सके। जैसा कि विधान में यह सम्मिलित है, संविधान में अछूत जातियों के लिये कुछ रिजर्वेशन किया गया है। सन् १९११ ई०, सन् १९२१ ई० और सन् १९३१ ई० में जो मनुष्य गणना हुई, वे मुख्यतर जातिगत आधार पर हुई उनके संतुलित अध्ययन के आधार पर मैं बतला सकता हूं कि उस समय हिन्दुस्तान में करीब ७ करोड़ के अछूत जातियां थीं, ५ करोड़ के करीब उच्च जातियां थीं और १७ करोड़ के करीब बीच की जातियां थीं। अब अछूत जातियों को कुछ संरक्षण मिला है और उच्च जातियों के संबंध में यदि कहा जाय तो मैं तो कहूंगा कि पिछले ढ़ाई हजार वर्ष से बराबर जितनी हिन्दुओं की पोथियां हैं उनके आधार पर और अभी भी जितनी पोथियां वर्तमान हैं उनके आधार पर सभी जगह उनका लायन्स शेयर (बड़ा भाग) है। सब उन्हीं के हाथ में जा रहा है। लेकिन बीच की जातियां जो सन् १९३१ ई० की मर्दुमशुमारी के आधार पर १७ करोड़ के करीब है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाता है। हालांकि संविधान में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि सभी राज्यों को अलग अलग अपने राज्य के हिसाब से यह बात देखनी चाहिये कि जो राज्य अधिकारी हैं वे इस बात का निरूपण करें कि उनके राज्य में कितनी ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ी हैं और जिनको तरह तरह की सहायता देने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी तरफ अभी तक हमारी कोई ऐसी किसी प्रकार की तवज्जह नहीं गयी है। जब हम क्रियात्मक रूप में आते हैं तो जितनी नौकरियां हैं या जितने लाभ के पद हैं उनमें हम देखते हैं कि शुरू से आखिर तक जिस दफ्तर में जिस जाति के लोग पहले से मौजूद हैं वे लोग कभी भी दूसरे लोगों को वहां नहीं घुसने देते हैं, या जो पब्लिक सरविस कमीशन या इसके अलावा इसी प्रकार की दूसरी संस्थायें हैं उनमें भी इन जातियों के लोग नहीं हैं जिसकी वजह से बड़ी कठिनाई पड़ती है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक किसान हैसियत का पहला आदमी हूं जिसने हाई स्कूल की परीक्षा बमुश्किल तमाम स्कूल से पास की। बाद में एफ० ए० की परीक्षा प्राइवेट ही दी और बी० ए० की परीक्षा भी प्राइवेट ही पास की है। यह सब करने के बाद मुझे ६ जगह नौकरी करनी पड़ी। गैरसरकारी स्थानों पर जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी नौकरी के लिये जाना पड़ा और ज्यादातर मेरा जीवन शिक्षा विभाग में ही बीता है। उन ६ नौकरियों को मुझे महज इस वजह से छोड़ना पड़ा कि वहां पर उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग अन्याय करते थे और जिन जातियों का बहुमत है वह इन पिछड़ी हुई

[श्री बंशीदास धनगर]

जातियों को वहां पर घुसने नहीं देते थे ।

हमारी राजनीतिक पार्टियों की भी यही हालत है । मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि एक आदमी योग्य होते हुये भी और सब तरह से उसका अधिकारी था मैनपुरी में उसको टिकट नहीं दिया गया । मैं स्वयं इटावा का रहने वाला हूं लेकिन चूंकि मेरा संबंध समाजवादी पार्टी से था और उस पार्टी को ही मैंने अपने लक्ष्य के अनुसार चुना था । मेरे एक मित्र सब तरह से योग्य होते हुये भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और एम० ए० थे । बहुत कोशिश करने पर भी वहां पर जाति पांति का प्रश्न उठाया गया । कांग्रेस में भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पार्टी है । वहां पर हमको यही देखने को मिलता है कि जो सारी सर्विसेज की हालत है वही हालत सारी हिन्दुस्तानी संस्थाओं की है । इसका मूल कारण यह है कि हमारी जितनी धार्मिक पोथियां हैं उनमें यह स्पष्ट निरूपण किया गया है और यह निश्चय कर दिया गया है कि कुछ लोगों के जितने खाने पीने और रोटी कमाने के अधिकार हैं वह जाति विशेष के लोगों के लिये हैं और बाकी लोगों के लिये नहीं है और उनको उस तरह के अधिकार नहीं दिये गये हैं । इसी आधार पर एक व्यावहारिक शक्ल पैदा हो गई है, क्योंकि यह चीज पुरानी है और करीब ४ हजार वर्ष से ऐसा ही हिन्दुस्तान में होता आता है । इसके लिये गांधी जी ने आवाज उठाई थी । अगर इसके लिये कोई आन्दोलन छेड़ना पड़े तो लोकतंत्र राज्य के लिये यह कोई नवीन बात नहीं है । किन्तु यह बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान में कुछ लोग जो उसी धर्म को मानते हैं वे भी अन्याय करने की बात सोचते हैं । हमारे हिन्दू शास्त्रों में जो बातें बतलाई गयी हैं उसके अनुसार चलना ईश्वर की पूजा मानी जाती है । इसी के अनुसार पचासों पीढ़ियों से राम और कृष्ण को मानते हुये भी जब इन शूद्र जातियों को उच्च हिन्दुओं की तरह इज्जत और रोटी के अधिकार न मिल सके तो जब इस्लाम पठान की शक्ल में आया तो बहुतों ने पठान धर्म को स्वीकार कर लिया और इसके बाद जब अंग्रेज आये तो बहुतों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया । इतना होने पर आप जानते हैं और मेरा यह स्पष्ट विचार है कि वास्तव में हमारे देश में जो यह हो रहा है इसका कारण किन्हीं जातियों को तरजीह देना और देश की एक हजार वर्ष की गुलामी है और इसी कारण से यहां पर जातिवाद ज्यादा बढ़ा है और हिन्दुस्तान की यह एक मौलिक समस्या बन गई है । जो वर्गवाद की बात कही जाती है यह एक बड़ी मुश्किल की बात है । जैसे हिन्दू ग्रन्थों में और दूसरी बहुत सी भूलभुलैयां हैं उन्हीं में मैं समझता हूं कि यह वर्गवाद भी भूलभुलैया है और बिल्कुल वही व्यवहार किया जाता है जिस तरह किसी को साइडट्रैक [विषयान्तर] किया जाता है । आजकल हमारी सरकार की भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक जनचेतना स्वभावतः आ रही है । शिक्षा का प्रचार हो रहा है । जब अति का अंधेर होता है तो जागृति स्वभावतः होती है । मैं तमाम सामाजिक आन्दोलनों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और उन के प्रति जो मेरे विचार हैं वह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कहना चाहता हूं और मैं उनसे अवगत हूं । मैंने ऐसे ऐसे लेखों का भी अच्छी तरह से आद्योपान्त अध्ययन किया है जिन में जनता के आन्दोलनों के प्रति इशारा है । एक ऐसा ही साहित्य "सोशिल संघ इन एमरजैन्सी" भी मैंने पढ़ा है । मैं समझता हूं कि इस समय एक बड़ी भारी सामाजिक क्रांति की जरूरत है । एक राजनीतिक क्रांति महात्मा गांधी के नाम से सफल हुई लेकिन एक सफल सामाजिक क्रांति की आवश्यकता अभी बनी है । पिछले समय में इस दशा में कुछ प्रयत्न हुये हैं । सबसे पहले सामाजिक क्रांति महात्मा बुद्ध ने की और उसके बाद दूसरी सामाजिक क्रांति कबीर ने की, तीसरी सामाजिक क्रांति गुरु नानक ने की और चौथी क्रांति हमारे स्वामी दयानन्द ने की और यह सब सामाजिक क्रांतियां अपना अलग अलग अस्तित्व रखती हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के संबोधन पर जिस प्रस्ताव को हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री बनारसी दास जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुये मैं आप की आज्ञा से इस सदन में बैठे हुये सदस्यों से नम्र वचन में कुछ बातें कहा चाहता हूं । महामान्य राज्यपाल महोदय के संबोधन के

चौबहवें परिच्छेद में मजदूर समस्या का जिक्र किया गया है और उन्होंने इस बात पर बड़ा संतोष प्रकट किया कि हमारे प्रान्त में मजदूरों में पिछले महीनों में काफी शांति रही है। मुझे आपकी आज्ञा से इस सदन के सदस्यों से तथा अपने माननीय मन्त्रिमंडल से यह कहना है कि आज जिस भयानक दशा से मजदूर गुजर रहा है आज जिस हालत में मजदूर तरह तरह की चीजों से परेशान है चाहे उसकी महंगाई की बात हो, चाहे छटनी की परेशानी हो, चाहे "उत्पादन बढ़ाओ" के नाम पर उससे काम लिया जाता हो बिना पैसा बढ़ाये हुये यह परेशानी हो और चाहे लम्बी-चौड़ी अदालती मेशीनरी द्वारा मांगें पूरी करने की तजवीज हो, मैं निहायत अदब से इस सदन के सदस्यों से कहता हूं। मैं जो कुछ कहता हूं वह अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मजदूर वर्ग केवल देश प्रेम के कारण महात्मा गांधी के बताये आदर्शों पर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के कारण आप की तरफ आंखें लगाकर सब्र के साथ बैठा देख रहा है। वरना मजदूरों की क्रांति की लहर मालूम नहीं कितने थपेड़े अब तक हमारे प्रांत को लगा चुकी होती। अभी हाल में एक अजीब समस्या हमारे सामने थी। देशभर में एक चिल्लाहट मची थी, कहीं बम्बई में सोने के सट्टेवालों ने कुछ खिलावा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नई बात इस सदन के सदस्यों को नहीं बताऊंगा कि वहां यह कहा जाता है कि सारी चीजों का मूल्य घट गया। उसके कारण हमारे जीवन के स्तर का नापने का, महंगाई के नापने काढंग, कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स जो कानपुर में हमारा लेबर डिपार्टमेंट बनाता है, आज उसका मूल्य रोजबरोज घटता जाता है। बाजारों में हमें कोई चीज सुलभ और सस्ती नहीं दिखाई पड़ती है। इन सब बातों के बावजूद भी हमारे मजदूरों को ९ रुपये, १० रुपये महंगाई घटती जा रही है। कपड़े और बिजली के मजदूरों को १८ और २७ रुपये महंगाई मिल रही है। हमारे प्रान्त में ६ दिसंबर, १९४८ को गवर्नमेंट ने पिछली कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के एक खास प्रस्ताव के अनुसार एक आज्ञा चलाई जिसके द्वारा हमारे प्रान्त के कपड़े और बिजली के कारखानों में महंगाई बंटा करती थी। उस आदेश के अनुसार जो महंगाई मिलती है वह जीवन काटने के लिये बेहद कम है। माननीय श्रम मंत्री के अन्दर लेबर ने अपने विश्वास को बार बार दोहराया है और उनकी बातों पर वे अब तक चलने के लिये तत्पर हैं। मैं उनसे कहा चाहता हूं कि आज उस महंगाई के स्तर पर मजदूर जी नहीं सकता।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि जो एक खास सूचनार्थ भेजा हुआ परिपत्र उत्तर प्रदेशीय सरकार से इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स सैटिलमैंट ट्रिब्यूनल ऐक्ट के अनुसार मार्टिन कंपनी के मजदूरों के सिलसिले में जारी हुआ है। यह देश की सबसे बड़ी मजदूरों की सबसे बड़ी अदालत से हुआ। ७ मार्च वाले फैसले को बदलने के सिलसिले में जो सूचना भेजी है उसके बारे में मैं कुछ कहा चाहता हूं। हुआ क्या था? ६ दिसम्बर, १९४८ को एक सरकारी विज्ञप्ति निकली जिसमें हमारे प्रान्त के कपड़े मिल और बिजलीघरों के मजदूरों की महंगाई के बारे में आज्ञा हुई। उसके अनुसार बिजलीघर के मजदूरों ने कहा कि सन् १९४८ से लेकर सन् १९५२ तक बिजली कंपनी के मालिकान मार्टिन बर्न वाले हमें गलत पैसा देते रहे हैं। यह हमारी मांग हमारे उच्च अदालत और सबसे बड़ी अदालत लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, कलकत्ता से मानी गई और इसमें से गुजर कर रह आई। उसने कह दिया कि हां, मजदूरों को यह पैसा मिलना चाहिये। तब इस बात के लिये हमारी बदकिस्मती से किन्हीं कारणों से, जिनका उल्लेख सरकार के उस परिपत्र में किया गया है जो इस सदन के सामने रखा गया, यह नहीं हो सका। एक खास कारण उसमें यह दिया हुआ है कि उस फ़ैसले को लागू करने से बड़ी दिक्कत पेश होगी। मुझे दुख है कि इस समय हमारे वह माननीय मंत्री मौजूद नहीं लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अपने माननीय मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री जी का ध्यान मार्टिन कंपनी की पैसे के मामले में धांधलियों की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् १९४३ ई० की बात है, पिछली सरकार द्वारा स्थापित एक ऐडजुडिकेटर ने, जिसमें हमारे सदन के माननीय सदस्य आचार्य जुगुल किशोर भी मौजूद थे, यह लिखा था कि मार्टिन कंपनी के हिसाब किताब की जांच करवाना निहायत जरूरी है। लेकिन मुझे दुख है कि आज तक वह जांच नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि वह जांच शीघ्र की जायगी। आज समय नहीं है, इसलिये मैं विवरण में जाना नहीं चाहता लेकिन आप की आज्ञा से इस सदन में बैठे हुये सदस्यों को तथा अपनी सरकार के मंत्रिमंडल को आगाह करने चाहता हूं कि अपने कैपिटल बेस को बढ़ा बढ़ा कर एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की उन धाराओं का, जिनके

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

अनुसार उनको पैसा बनाने का अधिकार है, ग़लत और नाजायज ढंग से मार्टिन कम्पनी इस्तेमाल कर रही है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट सन् १९४८ के अनुसार यू० पी० सरकार को इस कम्पनी की जांच करने का हक़ है क्योंकि हमारी सरकार उसकी आडीटर है। इसके लिये मुझे खुशी है और मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि पीलीभीत बिजली घर के सिलसिले में जो गड़बड़ियां देखी गयीं, उनके लिये हमारी सरकार ने आदेश दिया कि उसका एकाउन्ट देखा जाय। मुझे उम्मीद है मार्टिन कम्पनी के सिलसिले में भी सरकार का कोई ऐसा काम होगा।

महोदय, मैं आप से क्या बताऊं। बिजली घर के मजदूरों के सिलसिले में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। बिजली घर के मजदूर माननीय श्रम मंत्री के पास बराबर आते जाते रहते हैं और उनकी बातें सुनी भी जाती हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम मंत्री से उनकी छुट्टियों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बिजली घरों में आज सन् १९४७ के मुकाबले में आधी छुट्टियां हैं। कांग्रेस राज्य के आने के साथ साथ हलके हलके छुट्टियां कम होती चली गयीं। उत्पादन नहीं बढ़ा, बिजली की दर कम नहीं हुई, लेकिन मजदूरों के ऊपर ज्यादतियां बढ़ गयीं और मजदूरों का खून चूसने का एक और नया तरीका निकला। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में माननीय श्रम मंत्री शीघ्र ध्यान देंगे। साथ ही महोदय आप की आज्ञा से मैं अपने माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वैयक्तिक मजदूरी, पर्सनल पे (व्यक्तिगत वेतन) तथा महंगाई में जो एक बड़ा हिस्सा है उसको बेसिक वेज में (बुनियादी तनख्वाह में) मिलाने के लिये वे शीघ्र आदेश दें।

अब मैं आप की आज्ञा से इस सदन के सदस्यों का ध्यान उन मजदूरों की ओर भी ले जाना चाहता हूं जिन गरीब मजदूरों के छपे हुये परचे हमारे सदन के सामने रोज आ रहे हैं। आज ४३-४३ साल पुराने मजदूर टेम्पोरेरी [अस्थायी] हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से बताऊं कि सरकारी कानून के अनुसार छः महीने के अन्दर हर प्राइवेट कारखाने में काम करने वाला मजदूर पक्का हो जाता है। मुझे आशा है और विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

इन मजदूरों की दशा सुधारने के साथ ही मान्यवर मैं आपके गवर्नमेंट प्रेस के बारे में बताना चाहता हूं। यहां ऐशबाग में हमारे सदन के आराम के लिये और शायद जल्दी के लिये एक नया प्रेस चलाया गया है। इस संबंध में मैं आप की आज्ञा से सदन के मेम्बरों को सचेत किया चाहता हूं कि कम से कम पांच-छः सौ मजदूर इलाहाबाद से ट्रांसफर हो कर आने वाले हैं। पचीस रुपये आठ आने उनकी तनख्वाह है लेकिन उनके रहने के लिये घर नहीं है।

जिस मजदूर शांति का जिक्र महामान्य राज्यपाल ने किया है वह सराहनीय है और उसके लिये मैं उनके संबोधन के सिलसिले में प्रस्तावित धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं आप की आज्ञा से इस सदन में बैठे हुये माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहता हूं कि जिस ढंग से हम आज तक चले हैं उससे मजदूरों को तरक्की हासिल नहीं हुई है। मजदूर आज शांति चाहता है मगर आपको आगे क़दम उठाना पड़ेगा। यह जो लम्बी चौड़ी कांसिलियेशन बोर्ड की मिशनरी है मैं उस सिलसिले में दो लफ्ज कह कर खत्म करूंगा। यह मानते हुये भी कि सारे देशमें हमारा प्रान्त प्रोग्रेसिव या तरक्की वाला प्रान्त है, मुझे यह भी मानने में जरा भी गुरेज नहीं है कि हमारे प्रान्त में मजदूर की भलाई के लिये काफी काम किया गया है। लेकिन साथ ही इससे यह कोई संतोषजनक बात नहीं है। कोई चीज कितनी अच्छी होनी चाहिये यह तो मापदंड इस वास्ते है कि जिन लोगों के लिये वह बनायी जाती है वे उससे कितने संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सदन के सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आप देखिये कि तीन-तीन साल तक हमारा एक एक मुक़दमा पड़ा रहता है। हाई कोर्ट का इसमें कोई दोष नहीं है। हाई कोर्ट के जजों के ऊपर जो कार्यभार है उसके देखते हुये यह जायज़ बात है। एम्पलायर (मालिक) एक रिट (लेख्य) पेश कर देता

है जिसके अन्दर हम वर्षों लटकते रह जाते हैं, बोनस के सिलसिले में, महंगाई के सिलसिले में, एक मजदूर के रखे जाने के सिलसिले में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या बताऊं, जब यह बात आती है और मजदूर सामने होता है दिल तो भर आता है लेकिन लाचारी होठों पर आ जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्कम टैक्स के मामलों के लिये एक अलग बेंच है उसी प्रकार लेबर केसेज (मजदूरों के मुकदमे) को करने के लिये एक अलग बेंच बना दी जाय।

मैं अन्त में यह भी कहूंगा कि मजदूर आज बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिये तैयार है। लेकिन मजदूर चाहता है कि उस कुर्बानी की एक झलक दूसरी ओर भी दिखायी दे। हम अपने काफ़िले पर तरह तरह का बोझ लाद चलें लेकिन क्या होगा उन बड़ी बड़ी रक़मों का जो मिल मालिक आज अपने घर ले जाता है जिसको वह दूसरों की मेहनत से अपनी सम्पत्ति बनाता है। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों के ऊपर सख्ती हो। आज वह ताला और चाभी दिखाता है। बात बात पर वह मिलों में ताला लगा देता है। इसको बन्द किया जाय। मुझे उम्मीद है, अध्यक्ष महोदय, कि यह सदन जब फिर दूसरी बार मिलेगा तो मुझे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि हमारे मंत्रिमंडल में बैठे हुये हमारे प्रान्त के पुराने नेता इन बातों की ओर ध्यान देकर मेरे जैसे बच्चे की बात समझने की कोशिश करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं महाभारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार जिसमें कि अगर तीर भी चलाये जाते थे तो चरणों से शुरू किये जाते थे, विरोधी दल के ट्रेजरी बैंचेज के बुजुर्गों को नमस्कार करके अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं। जिस समय महाभारत की मुझे याद आती है उस समय साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी सौम्य मूर्ति और एक सात्विक मुस्कराहट भरा चेहरा, बिचार गम्भीरता और विद्वत्ता को देख कर मुझको आपमें भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अंश दिखायी पड़ता है और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अल्पमत के हक़ों की रक्षा की उसी तरह श्रीमान्जी आपके द्वारा इस सदन में अल्पमत के सदस्यों के हक की हमेशा रक्षा होती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ही मैं ट्रेजरी बैंचेज को संबोधित करूंगा। यदि भूल से उनके लिये जो संबोधन करूं वह आपके लिये हो जाय तो आशा है उसको आप क्षमा करेंगे।

कल ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों ने जमीन के बटवारे को लेकर हमारी हंसी उड़ायी। यह प्रश्न जब जब इस सदन के भीतर या बाहर आता है तो हमारे ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य उसकी हंसी उड़ा दिया करते हैं। हमारी पार्टी की एक गम्भीर योजना जमीन के बटवारे को लेकर पूरी होती है। ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य उसके एक पहलू को लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी ने सारे देश के बड़े बड़े कल कारखानों को लेकर जमीन की समस्या को हल करने का एक नक्शा बनाया है और उसके अधीन वह समस्त देश में एक नवीन ढांचा कायम करना चाहती है। हमारी पार्टी ने यह हिसाब लगा कर बताया है कि जमीन का बटवारा संभव है और हमारी कोई नयी पार्टी बात नहीं कहती है। जमीन का बटवारा जापान में हुआ है जहां मैक्सिमम होल्डिंग (अधिक से अधिक जोत) साढ़े सात एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं है। दो एकड़ से किसी के पास कम नहीं है। जमीन का बटवारा चीन में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमारे आदरणीय सदस्य परिपूर्णानन्द ने न्यूजीलैंड का उदाहरण हमारे सामने पेश किया। भूल से उनके मुंह से ट्रेजरी बैंचेज का एक डर सामने आ गया था कि ट्रेजरी बैंचेज इस वजह से ऐसा नहीं करतीं कि अगले चुनाव में उसको वोट नहीं मिलेगा। मैं माननीय महोदय, आपके द्वारा ट्रेजरी बैंचेज का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे सूबे की आबादी करीब ६,२३९ लाख के बराबर है। उसमें ६८ लाख परिवार खेती करते हैं। ५ आदमी के परिवार के हिसाब से ६८ लाख परिवारों का हिसाब ३ करोड़ ५० लाख के करीब आता है जो खेतिहर हैं। आजकल जितनी जमीन पर खेती होती है वह करीब ४,४५ लाख एकड़ है और १,३२ लाख एकड़ ऐसी जमीन है जिसको नये सिरे से तोड़ कर खेती कर सकते हैं। इस तरह से ६ करोड़ एकड़ जमीन है और ६८ लाख परिवार हैं।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

अगर बटवारा किया जाय तो ८ एकड़ से ज्यादा जमीन हर एक आदमी को मिलती है। लेकिन हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोग इस बात को नजरअन्दाज कर दिया करते हैं। मैं पूछता हूं कि जब ट्रेजरी बेंचेज के लोग अपने जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म (भूमि व्यवस्था) ऐक्ट में इस बात को कहते हैं कि किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन न हो तो हम तो हैरान होते हैं कि क्यों नहीं जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह उससे ले ली जाय। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि क्यों वह हमेशा इस बात को अलग कर दिया करते हैं। अगर उनको डर है कि इससे देश में इन्कलाब हो जायगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उनको बताना चाहता हूं कि ऐसे किसानों की तादाद ऐसे जमींदारों की तादाद जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है बहुत ही कम है। जो ट्रेजरी बेंचेज के लोग देश की ऐसी शासक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने सात साढ़े सात सौ देशी रियासतों को छीन लिया, जिसने दो करोड़ जमींदारों को बेघरबार बना दिया, जो ऐसे जबरदस्त कदम उठा सकती है, वह क्यों उन लोगों से जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उसे लेने से हिचकती है? यह प्रश्न है जो मैं ट्रेजरी बेंचेज के लोगों से पूछता हूं। जिस समय हम देश में जमीन के बटवारे के प्रश्न को लेते हैं तो १२ १/२ बीघा जमीन चाहते हैं कि हर एक के पास होनी चाहिये। लेकिन देखना यह है कि हम उसे किस हिसाब से बांटें। हमें जमीन की किस्म के हिसाब से बांटना है। अगर हम किस्म के हिसाब से बांटेंगे तो उर्वरा शक्ति के अनुसार ५ एकड़ जमीन ही साधारण स्थिति में १२ १/२ एकड़ के बराबर हो सकती है।

जिस समय सोशलिस्ट पार्टी ने इस सवाल को उठाया था तो प्रधान मंत्री से लेकर हमारे प्रान्त के मुख्यमंत्री ने और अन्य मंत्रियों ने कहा था कि जमीन रबड़ नहीं है, लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस समय श्री विनोबा भावे इस प्रश्न को उठाते हैं तो तमाम सरकारी कर्मचारियों से लेकर मुख्यमंत्री सब उनका स्वागत करते हैं कि जमीन का बटवारा संभव है और हम उसमें सहयोग करते हैं। यह बात मुझे हास्यास्पद मालूम होती है कि ऐसी शासक पार्टी जो कानून के द्वारा बटवारा कर सकती है वह एक बूढ़े फ़कीर का सहारा क्यों लेती है। आज विदेशी लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि आज एक बूढ़े फ़कीर का सहारा लेकर भूमिदान यज्ञ के द्वारा हमारी भूमि वितरण की समस्या हल की जा रही है। हमारे माननीय श्री परिपूर्णानन्द महाशय न्यूजीलैन्ड की उड़ान भरते हैं, लेकिन उनका ध्यान सर्वप्रसिद्ध शेरे कश्मीर की तरफ नहीं जाता जिसने आनन फानन यह कहा कि जिस जमींदार को जरूरत हो वह ३० एकड़ तक जमीन लेले और उसके बाद कोई जमीन उसके पास नहीं रहेगी। ऐसा कश्मीर जिसको पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़नी पड़े, ऐसे समय में वहां यह सुधार किया जाता है और माननीय अध्यक्ष महोदय आपको और इस भवन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि काश्मीर के संकट को लेकर मुख्य मंत्री और बड़े बड़े नेता संकटवाद के नामपर बड़ी बड़ी समस्याओं को ओझल कर दिया करते हैं। अगर ट्रेजरी बेंचेज को सबक सीखना है तो शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्लाह से सीखना चाहिये। मुझे ताज्जुब होता है कि जो बात जब कश्मीर में हो सकती है वह यहां क्यों नहीं हो सकती। कश्मीर इसीलिये भारत में शामिल नहीं होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जमीन के मुआविजे के प्रश्न को उठाकर जमीन के बटवारे को रोका जाय। यह हमारे देश के लिये शर्म की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे संविधान में उचित संशोधन हो जाना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इंडस्ट्रीज (उद्योगों) के लिये भी हमारी एक योजना है। मैंने देखा कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर में ९० फीसदी इंडस्ट्री रखी गयी है और पब्लिक सेक्टर में केवल पांच फीसदी। केवल स्टील इंडस्ट्री को ३५ करोड़ रुपये की ग्रांट दी गयी है और महात्मा गांधी का नाम लेने वाले लोगों ने सारे देश के उद्योग धंधों के लिये केवल साढ़े पांच करोड़ की ग्रांट दी है। हमारी पार्टी कहती हैकि केवल जमीन के बटवारे से ही सारी समस्या हल नहीं करेंगे। पांच लाख से ऊपर के उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। उससे जो बचत होगी उस को लगायेंगे और हम लोग घरेलू उद्योग धंधे गांवों में खोलेंगे। बड़े बड़े कारखाने अहमदाबाद और बम्बई में नहीं रहेंगे, वे गांवों में फैला दिये जायेंगे। कुछ लोग खेती

में, कुछ लोग नौकरी में और कुछ लोग उद्योग-धंधों में लगेंगे। इस तरह से हम सारी समस्या को हल करना चाहते हैं। केवल एक पहलू को लेकर हंसी उड़ाना उचित नहीं है।

ट्रेजरी बेंचेज के लोग कहते हैं कि किसान वह है जो जोखिम उठा सके। इसमें हमारा बुनियादी इख्तलाफ है। हमारी पार्टी कहती है कि किसान वह है जो स्वयं जोते और बोये। मैं ट्रेजरी बेंचेज से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में हजारों आदमी ऐसे हैं जिन के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है, मैंने उन को बिलबिलाते हुये देखा है। उनके परिवार में बारह बारह व्यक्ति हैं और एक बीघा जमीन भी नहीं और प्रतापगढ़ के ताल्लुकेदार को नैनीताल में करीब तीन हजार एकड़ जगह जमीन दे दी गयी है। इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री देंगे। मैं ही सिर्फ इसका जवाब नहीं मांग रहा हूं। आज सूबे को ही जनता नहीं, सारे देश की जनता इसका जवाब मांग रही है। अगर इन समस्याओं का हल ट्रेजरी बेंचेज ने नहीं किया तो हो सकता है कि जनता का विश्वास विधानवाद से उठ जाय, कहीं और चला जाय। इस प्रकार मैं ट्रेजरी बेंचेज से कहूंगा कि वह हमारी सारी बातें सुनने के बाद ही कोई फैसला करें।

अब मैं कुछ थोड़ा सा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस के बारे में कहूंगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। मैं फैजाबाद का रहने वाला हूं। वहां जलालपुर, मालीपुर और टांडा ऐसे औद्योगिक केन्द्र हैं जहां पर हजारों जुलाहे काम करते हैं। वहां की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि मैं चैलेन्ज कर सकता हूं कि सारे देश में किसी इंडस्ट्रियल सेंटर (औद्योगिक केन्द्र) में इतनी खराब सड़कें न होंगी। हमारे आनेवाले राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी मेरे खिलाफ प्रवचन करने गये थे। उन्होंने मजाक में कहा था कि इस सड़क पर इतनी ज्यादा धूल है कि बराबर गिरते गिरते दिल्ली तक पहुंच जायगी। उन्होंने शायद इस गवर्नमेंट को लिखा भी था। उस पर पचास हजार रुपये की ग्रांट दी गयी। मैं कहता हूं कि वह पचास हजार नाकाफी है। यदि उस का निर्माण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा हुआ तो वह ज्यों की त्यों रहेगी। वह जलालपुर से बसखारी होते हुये टांडा तक जाती है और हैंडलूम इंडस्ट्री का वह बहुत बड़ा सेंटर है। इसलिये उसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ले लेना चाहिये। इसके अलावा जलालपुर में टोंस नदी पर पुल बांधा जाय।

अधिकारियों की डिसिप्लिन (अनुशासन) का यह हाल है कि एक मदन मोहन शर्मा, शिफ्ट सुपरवाइजर, सुहावल पावर हाउस की सरविसेज १९४७ में टरमिनेट (समाप्त) कर दी गयीं। जितने कायदे कानून होते हैं उनकी कोई पाबन्दी नही की गयी; गवर्नमेंट के पास रिप्रजेंटेशन (प्रार्थनायें) हुये। उसके बाद वह बहाल कर दिया गया; लेकिन फिर चीफ इंजीनियर की इतनी हिम्मत बढ़ी कि उसको फिर निकाल दिया। पांच साल से वह बिलबिला रहा है। उसके बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—इतने छोटे से मामले को इतने विस्तार में इस सदन में नहीं कहा जाता है। उस को अपील करने का अधिकार है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—दूसरी बात मैं पुलिस की रिपोर्ट के बारे में बतलाना चाहता हूं। १९४५ में राहजनी ३२१ और नकबजनी १९,६९६ हुई जो १९४९ में राहजनी ८८८ और नकबजनी ३५,५८५ हो गयी। इसी तरह सन् १९४५ ई० में डकैती ४९१, हथियारबन्द डकैती २८१ और कत्ल के साथ डकैती ३७। १९४७ में डकैती १२४५, हथियारबन्द डकैती ७१४ और कत्ल के साथ डकैती १४९। सन् १९४९ में डकैती १४८५, हथियारबन्द डकैती ९७१ और कत्ल के साथ डकैती १३१। यह चीज है। इससे मालूम होगा कि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वेतन के बारे में यह है कि सन् १९३७–३८ में ६ करोड़ ३७ लाख, सन् १९४६ में ११ करोड़ ८२ लाख तथा १९४९ में २२ करोड़ ३१ लाख हो गया। यह हमारे देश की अवस्था है।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

मैं माननीय पुलिस मंत्री का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करूंगा कि देहातों में आज अराजकता दिन ब दिन फैलती जा रही है और पुलिस का होल्ड (अधिकार) बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिये इस ओर कोई आवश्यक कदम उठाना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय प्रांतीय रक्षा दल के लोगों को लेकर तथा जनता के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो आज जनता का विश्वास उठ गया है वह खत्म होगा।

मैं ट्रेजरी बेंचेज के बैठने वालों से पूछना चाहता हूं कि आपकी यह बालिग मताधिकार से चुनी हुई गवर्नमेंट है तो क्या पंडित जवाहर लाल और एक साधारण चपरासी का वोट बराबर नहीं है? और यदि है तो फिर उसके हक बराबर क्यों नहीं हैं? इसका जवाब ट्रेजरी बेंचेज के बैठने वाले लोगों को देना होगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो हमारे मित्र श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने हमारे नेता के संशोधन के रूप में दर्शन कर लिया है पुच्छल तारे का, यह एक अशुभ सूचक संकेत है। मैं आशा करता हूं कि सरकारी दल इस तरफ ध्यान देगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री--आनरेबिल स्पीकर, कब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं एक मर्तबा इस हाउस को मुबारकबाद देता हूं। आज वह नये कांस्टीट्यूशन के मातहत यहां काम कर रहा है और वह बुजरा जो पिछली गवर्नमेंट में कामयाब साबित हो चुके हैं आज अपनी कुरसी पर बैठे हुये आइन्दा के लिये वे क्या करेंगे इसके प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं या करने वाले हैं। मैं हिज एक्सीलेंसी के एड्रेस (भाषण) पर, जो इसलिये दिया जाता है कि हाउस में जितने पोलिटिकल सेक्शन्स (राजनीतिक समूह) हैं या जो तर्जुमानी करने वाले बाहर के लोग मौजूद हैं, वे अपने सूबे के दुख का इजहार करें और जो अच्छा काम किया गया है उसकी तारीफ करें। वे एक ऐसा वक्त है जब कि जमाअत अपने अफराद के जरिये अपने पोलिटिकल ख्यालात का इजहार करती है। जो कुछ वह कहते हैं उनका ताल्लुक दोनों हालतों से होता है। एक तो वह जो गुजर चुकी है और कुछ वह जो आइन्दा के लिये हो उस पर वे वह अपनी राय कायम करते हैं।

जहां तक पिछली गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसका और तालीम का एतराफ न करना एक सियासी गुनाह होगा। तालीम ने सूबे के मुख्तलिफ गोशे को मुनव्वर किया और सूबे में तालीम खूब फैली और आज हमारे सूबे के कोने कोने में तालीम की चर्चा है। मुख्तसिर अल्फाज में मैं यह अर्ज करूं कि यह हमारे वजीरे तालीम की बदौलत है जो आज वजीरे पुलिस हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। उनकी कोशिशों की बदौलत ही इतनी बड़ी हद तक कामयाबी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि नये वजीरे तालीम भी इसको उरूज पर पहुंचायेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक गोशा काबिले इत्मीनान है तो इसका दूसरा गोशा तकलीफ का बायस है और वह यह है कि इस सूबे की एक बहुत बड़ी जुबान जिसके अंदर एक मुत्तहिदा कल्चर (संस्कृति) रहती है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया बल्कि गफलत बरती गयी। साथ उर्दू के ऐसी गफलत बरती गयी है जो मुजिरमाना गफलत कही जा सकती है। उसकी तरफ बारबार तवज्जह दिलाने पर भी यही नहीं कि सिर्फ गफलत बरती गई बल्कि उसके सिलसिले में ऐसे तकलीफ देह काम किये हैं जो यहां के रहने वाले हिन्दू मुसलमानों के लिये बायसे शर्म हैं। मैं उम्मीद करता हूं वजीरे तालीम मौजूदा से कि वह पिछला जितना काम हो चुका है उसमें चार चांद लगायें तो इस तरफ खास तौर से तवज्जह रखें और अपनी किसी मसलहत की बिना पर ऐसी जबान को जिसके अन्दर सलाहियत है कि दुनिया की किसी जगह पर पहुंच सके, उसको समझना आसान, जिसमें ख्यालात का इजहार करने की सलाहियत मौजूद है उसको अब और न कुचलेंगे और कुचलने से उसे बचायेंगे।

हिज एक्सलेंसी के खुतबे पर जो शुक्रिया की तजवीज हुई है उसकी ताईद करते हुये यह जरूर चाहूंगा कि चन्द बातों का खास तौर पर लिहाज रखा जाय। चीफ़ मिनिस्टर साहब जानते हैं और जब वे मुहकमों की तकसीम करेंगे तो वह मांग पूरी करेंगे जो कि एक मुद्दत से चली आ रही

है कि राशनिंग डिपार्टमेंट के साथ कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी रख दिया जाय ताकि जो दो पालिसीज उन दोनों में चलती है वह खत्म हो क्योंकि इन पालिसीज से शहरों के अन्दर शदीद नुक़सान पहुंच रहा है। हम समझते हैं कि इसके लिये वादे भी किये गये थे और आप उसकी तरफ जरूर अब तवज्जह करेंगे।

चन्द चीजें छोटे छोटे अल्फाज में अर्ज करना चाहता हूं। मुझे ताज्जुब है जब मैंने अखबारों में देखा, कौमी आवाज में निकल चुका है और कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी निकल चुका है कि यू० एन० ओ० की पालिसी के मातहम हमारी यू० पी० की गवर्नमेंट भी जानवरों के जिबह का कोई नया तरीका अख्तियार करनेवाली है और शायद लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी उस सिलसिले में बाईलाज भी बना रही है। मुझे मालूम हुआ है कि यू० एन० ओ० का जो डेपूटेशन आया था उसने गवर्नमेंट को मशविरा दिया है और गवर्नमेंट उस पर अमल करने वाली है। मुझे तो नहीं मालूम लेकिन वह अब जानवरों के जिबह को बन्द करनेवाली है। यू० एन० ओ० के डेपूडेशन ने राय दी है कि उनको गोलियां मारकर या किसी और तरीके से हलाक किया जाय। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि इतनी बड़ी चीज बिना गवर्नमेंट के मशविरे से की नहीं जा रही है और अगर यह कदम गवर्नमेंट के मशविरे से उठाया जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मसले को हाउस में क्यों नहीं लाई। उसको क्या हक था कि गोश्ये चश्म से बाहर इस चीज को करदेते और गोलियां से मारकर हलाक करने की इजाजत दी जा रही है। और अगर यह चीज की जा रही है तो मैं यह साफ कहना चाहूंगा कि जितना मांस खाने वाला तबका यू० पी० के अन्दर है वह उसका सख्त प्रोटेस्ट (विरोध) करेगा और उस हद तक प्रोटेस्ट करेगा जिस हद तक हमारा बदन और हमारी कूवत हमको इजाजत देगी। मैं कहता हूं कि अब भी वक्त है और आप इसको रोकिये।

सूबे की गिजाई पालिसी का जहां तक ताल्लुक़ है जाहिर है कि फूड मिनिस्टर साहब वही हैं। जिनके पास यह मुहकमा पहले था उन्हीं के हाथों में यह अब भी है। उन्होंने बहुत सोच कर ही इस फूड पालिसी को चलाया है उन्होंने बहुत ही मुश्किल जमाने से हमको निकाला है और उसके लिये वे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मुझे मालूम नहीं है कि किस हद तक उनका मुहकमा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत है और किस हद तक अपने सूबे में वह आजाद है, लेकिन फिर भी उन्हें गौर करना है कि जहां जहां कंट्रोल की जरूरत न हो वहां से उसे जल्द अज जल्द हटाया जाय, मसलन चीनी पर से। उसका भाव इस हद तक आ गया है कि अगर चीनी पर से कंट्रोल हटा लिया जाय तो हर शख्स को चीनी मिल सकती है और उस पर अब कंट्रोल की जरूरत नहीं है और अगर न हटाया गया तो मुमकिन है कि जैसे पहले डेढ़ और पौने दो रुपये सेर में ब्लैक मारकेट में वह बिकती थी आगे भी बिकने लगे।

इसी के साथ साथ मैं एक तरफ और भी तज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि मैं इस वक्त गोंडा जिले के उतरौला मुकाम से एलेक्ट हो कर आया हूं। आप इसके लिये मुझे मुबारकबाद देंगे और मुझे यह कहनेमें शर्म मालूम होती है कि गवर्नमेंट की गफलतों का जो सबसे अधिक शिकार रहा है वह कस्बा उतरौला ही है। आबपाशी की सूरत वहां बिलकुल मुमकिन नहीं है। मैं कांग्रेस वर्कर्स और कांग्रेस में काम करने वालों के लिये कहता हूं कि यह शर्म और तकलीफ की बात है। वहां सड़कों की हालत इतनी खराब है जिसका बयान करना ही मुमकिन नहीं है। उनको अपने कब्जे में लेकर फौरन बनवा दिया जाय। जो खाने पीने की चीजें होती हैं वह मिट्टी से इतनी पट जाती हैं, इतनी धूल उठती है कि मकान के अन्दर बैठे रहना नामुमकिन हो जाता है। अगर तफसील पूछेंगे मिनिस्टर साहब जिनके जिम्मे सड़क की मरम्मत का मुहकमा है तो मैं बतला दूंगा। लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० का महकमा अब एक नये वजीर के हाथ चला गया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने दिन सो कर न बिता दें, इन बातों का मौका वह फिर से न दें कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की फिर से तनकीद की जाय जैसे पहले की गई थी। वह होश के साथ इस महकमे को देखें। अगर ऐसा न करेंगे तो इस हाउस में पूरी कूवत

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ारवरी]

के साथ उसकी शिकायत की जायगी। उम्मीद है कि हमारे लायक मिनिस्टर साहब इसकी तरफ तवज्जह करेंगे और कस्बा उतरौला की तरफ खास तौर से मुतवज्जह होंगे। वहां हजारों बीघा जमीन ऐसी है जो सूख से है। हमारे वे दोस्त जो अपोजीशन की बेंचेज पर बैठे हैं उस तरफ से गुजरे हैं, उन्होंने उसे अपना मरकज बना लिया है। उन्होंने देखा होगा कि तकसीम जमीन के मुताल्लिक कह कर वह खामोश हो जाते हैं जैसा कि कहते आये हैं लेकिन इस तरफ उन्होंने भी तवज्जह नहीं की। दरिया पास है कोई नहर अगर निकाल दी जाय तो हजारों बीघा जमीन सैलाब हो जाय और लाखों मन गल्ला हमारे कब्जे में आ जाय। हमारी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जह करेंगे।

मैं एक चीज और अर्ज करूंगा। आज कुछ शिकायतें ऐसी भी है जो पहले थीं और वे अब भी उसी हालत में मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि उनको दूर किया जाय। आज हमने जिस तरह से मुल्क में फतह पाई है, कोई और जमात ऐसी नहीं थी जो जुर्रत करके आती, सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) जो बहुत ज्यादा नारे लगाया करती थीं सब मौजूद थीं, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी जमात थी जिसके प्रेसीडेंट से लेकर मामूली रजाकार ने पूरी कूबत से उस वक्त जब कि सारे देश में फिरकावारियत की फिजा छाई हुई थी, फिरकावारियत की आंधी चल रही थी, उन्होंने फिरकावारियत के खिलाफ नारे लगा कर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस की फतह ने साबित कर दिया कि 'फिरकावारियत खत्म हो गई लेकिन अब भी उससे बचना है। आज भी मुल्क के अन्दर साजिशें चल रही हैं। जब कि नई हुकूमत बन रही थी, फिरकावारियत के खिलाफ नारे लग रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट महबूब रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी ताकत से कह रहा था कि जियेंगे तो नान--कम्युनल (असाम्प्रदायिक) फिजा पैदा करके जियेंगे और मरेंगे तो कम्युनल (साम्प्रदायिक) फिजा के खिलाफ लड़ते हुये मरेंगे। जब इलेक्शन हुआ और होली का मौका आया तो बावजूद इतने महबूब रहनुमा के नारे के बलरामपुर में दंगा हो ही गया। मैं पुलिस मिनिस्टर साहब की खास तौर से इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहूंगा। मैं जो बार बार फिरकावारियत के मुताल्लिक कहता हूं इस पर नागवारी न पैदा हो। हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि लोगों की तकलीफ आपके पास पहुंचायें। बलरामपुर में एक तबका ऐसा है जो हिन्दुस्तान की तारीख में नुमायां हैसियत रखता है। बड़े बड़े बलवे हुए लेकिन आज तक वहां बलवा नहीं हुआ। यह चैलेंज किया गया है आपकी पालिसी को। किसी बात में झगड़ा हो गया फिर कोई इबादतखाना सामने आया उसको तोड़ कर गिरा दिया। मैं वहां लोगों से मिला, केवल कांग्रेसी भाइयों से नहीं, बल्कि और लोगों से भी। उन्होंने बतलाया कि जब मसजिद पर हमला हुआ तो उनकी शर्म से गर्दन झुक गई। ९० फी सदी हिन्दुओं का तबका इसे नापसन्द कर रहा है। मुसलमानों का तो कुछ कहना ही नहीं है। जितने हमारे कांग्रेस के एम० एल० एज० हैं और जो इस जिले से आये हैं उन्होंने तहैया कर लिया है कि वे अपने सूबे की हालत को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे।

गवर्नमेंट के मुलाजमीन के बारे में नारा लगाया जाता है और गैर जिम्मेदाराना तौर पर कहा जाता है कि फलां आदमी इसलिये जीत गया कि उसको हुक्काम ने मदद की। लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस कैंडीडेट (उम्मीदवार) के खिलाफ खुल्लमखुल्ला सरकारी हुक्काम ने कई जगह काम किया है। गो ऐसी नजीरें और मुकामों पर बहुत कम मिलती हैं लेकिन उतरौला के नायब तहसीलदार सहगल ने दूसरी पार्टी को जो कम्युनल साम्प्रदायिक थी उसकी मदद की। उसके लिये खुद वर्क किया। बहुत से अफसरान ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने नेक और अच्छी पालिसी को अख्तियार किया।

इसके अलावा जहां एक तरफ गवर्नमेंट के सामने बलरामपुर का मामला गौरतलब है वहां बाबरी मसजिद भी आपसे तकाजा कर रही है। मैं समझता हूं कि आपको इन बातों पर पूरी तौर से ख्याल करना है। इसके अलावा मेरा ख्याल है आप उर्दू की तरफ भी गफलत न बरतेंगे। अगर हम अपने इस अमली मैदान में गफलत की जिन्दगी न बितायेंगे तो हमारी जिन्दगी सैकड़ों बरस ज्यादा बढ़ जायगी। कम्युनल कीड़े आज भी अन्दर अन्दर रेंग रहे हैं जो आगे चल कर बड़ा भारी नुक़सान पहुंचा सकते हैं। इसलिये हमें निहायत ही ऐहतियात से काम लेना चाहिये।

मैं जनाब स्पीकर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी गवर्नमेंट को मुबारिकबाद अर्ज करता हूं और कहता हूं कि इस बार उसका कोई भी उज्र न सुना जायगा कि फलां काम की वजह से मजबूरी हुई। आपके पास ताक़त है, अक्सरियत है, बहुमत है, इंसाफ है और दयानतदारी है। अगर इस वक्त आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते तो कयामत तक भी नहीं कर सकते।

श्री राम नरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, यों तो जी कल ही से चाहता था कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये जो प्रस्ताव मेरे साथी ने रखा था उसका समर्थन करके मैं उसमें भागी होऊं। लेकिन यह भी ख्याल होता था कि अपनी संस्था वाले बहुत से लोग बोल चुके हैं जिनकी सब की भावना एक ही है। किन्तु कल से आज तक जो भाषण हुए उनको सुनकर यह मुमकिन न हो सका कि मैं अपने ख्यालात का इजहार न करूं। कल प्रारम्भ में सदन के दूसरी तरफ से जो सज्जन बोले वे बनारस के ही हैं। दूसरे सज्जन जो आज बोले वे अयोध्या से आते हैं। एक सज्जन ने संस्कृति के बारे में कहा और बहुत सी इतिहास की बातें बताईं। मैं उनमें से बहुत सी बातों से सहमत हुआ लेकिन जब दूसरे सज्जन की बातें याद आईं तो मैंने सोचा कि बनारस की संस्कृति क्या कहती है। बनारस की संस्कृति का जहां तक सम्बन्ध है वहां के प्रसिद्ध कवि श्री हरिश्चन्द्र ने कहा है "प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें।" राज्यपाल महोदय ने जब अपना भाषण अपनी बिदाई के वक्त दिया तो क्या यह इस सदन के किसी सदस्य के लिये शोभा देता है कि वह उनके धन्यवाद के प्रस्ताव में न शामिल हो? तो इसको तो मैं यहीं छोड़ देता हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं बतला सकता हूं कि सदन के दूसरी तरफ के लोगों की सब चालें कुछ वैषम्यता से भरी रहती हैं। कहीं उनका मेल नहीं खाता है। उदाहरण के लिये उनकी पार्टी का रुख देखा जाय तो अगर गल्ले का दाम बढ़ने पर बम्बई में सत्याग्रह होता है, देहली में जलूस निकलता है, अखबारों में शोर मचाया जाता है, तो क्या उनके लिये यह मुनासिब नहीं था कि उत्तर प्रदेश में गल्ले का दाम न बढ़ने पर यहां की सरकार को और विशेष कर खाद्य मंत्री को धन्यवाद देते और उनके आभारी होते? यह कोई नयी बात तो नहीं है, मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहता हूं। मैं प्रतापगढ़ से आता हूं जो एक छोटा सा जिला है। वहां गल्ला वसूली की कोई बात नहीं है क्योंकि वह एक डेफिसिट (कमी का) डिस्ट्रिक्ट है। पड़ोस में रायबरेली जिला है जहां गल्ला लिया जाता है। रायबरेली में लोग आवाज उठाते हैं कि सरकार को गल्ला न दिया जाय। प्रतापगढ़ की सड़कों पर यह जलूस निकाला जाता है कि सरकार ६ छटांक राशन क्यों नहीं देती है। एक तरफ तो इस चीज को रोका जाता है कि सरकार को गल्ला न मिले और दूसरी तरफ यह जलूस निकलता है कि लोगों को गल्ला ज्यादा दिया जाय। तो यह बातें तो समझ में नहीं आतीं।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। केवल एक दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भूमि के बटवारे

[श्री रामनरेश शुक्ल]

के सम्बन्ध में बहुत चर्चा की गयी है । सदन में, सदन के बाहर, और आज के बाद भी इस भूमि बटवारे की बातचीत की जायगी। मैं इस सदन के विपक्षी दल को आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि अगर वह कृपा करके हमारे जमींदारी उन्मूलन के पूरे कानून को पढ़ जायं तो फिर कोई भी भूमि बटवारे की आवश्यकता आगे न रह जायगी । अन्तर केवल इतना ही है कि हम जो समता लाना चाहते हैं, जो बराबरी लाना चाहते हैं वह अहिंसा और सत्य के रास्ते से है लेकिन उनका जो रास्ता है वह पश्चिम का है। उनका जो रंग है किसी दूसरे देश से मिलता है, वह छीना झपटी का है । इसलिये आप देखें कि उसी जमींदारी उन्मूलन कानून में जहां यह लिखा है कि भविष्य में ३० एकड़ से और अधिक कोई जमीन नहीं प्राप्त कर सकेगा, तो इसका क्या अर्थ है ? अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी विवेचना करें तो जरूर इसका अर्थ यह है कि यह स्वाभाविक है, यह नेचर (प्रकृति) की बात है कि लक्ष्मी और जमीन किसी के पास रुकती नहीं है । अब जब रुकती नहीं है तो जिसके पास अधिक है वह निकालेगा तथा जिसके पास ३० एकड़ से अधिक है वह आगे ले नहीं सकता है। फिर कौन लेगा ? अब यदि हम हिसाब लगायें तो २५ वर्ष के अन्दर इसी प्रान्त के अन्दर उस समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना होगी जिसका स्वप्न हमारे विरोधी दल ने देखा भी नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जमींदारी उन्मूलन कानून जो पास हुआ है इसका वही स्थान है जो संसार के इतिहास में फ्रांस की राजनीतिक क्रान्ति का है और रूस के राज्य विप्लव का है । जो स्थान देशी राज्यों के विलीनीकरण का है वही स्थान संसार के इतिहास में पन्त के जमींदारी उन्मूलन कानून का भी होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि भूमि के वितरण के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है उसको थोड़ा पढ़ें और पूरे तौर से पढ़ें और जरा गहराई में जाकर पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो वह ऐसी ही बात होगी ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुझे एक दो बातें और भी आप के द्वारा कहनी हैं । यहां चुनाव के दिनों की बड़ी चर्चा रही है । मैं यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि वह चर्चा यहां होती। लेकिन उसकी चर्चा यहां और ढंग से करना यह और चीज होती है। यदि वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाय तो निष्पक्षता के आधार पर हमने यह चुनाव लड़ा है। हमारे विरोधी भाई आज हमसे भी ज्यादा अपने को सेक्युलर (असाम्प्रदायिक) मानते हैं। लेकिन चुनाव के समय उन्होंने ऐसे आदमियों से संगठन किया था जो कि सब से ज्यादा जातिवाद को मानते थे और कम्युनल (साम्प्रदायिक) थे। क्या यह सही नहीं है कि जो समाजवादी इस सदन के अन्दर समाजवाद का नारा लगाते हैं उन्होंने जमींदारों और ताल्लुक़ेदारों से न केवल पैसा लिया बल्कि उनके लठों की छाया में वोट को प्राप्त किया है। यह सब बातें अगर देखी जायं तो इससे वास्तविक स्थिति का पता लगता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की नैतिकता का पाठ आज वह हमको पढ़ाने चले हैं। इसलिये यदि नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिये एक स्कूल दारुलशफा में खोल दिया जाय तो उससे सदन का काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा और भविष्य की उन्नति के लिये ठीक रहेगा। मैं अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जिन बातों का संकेत किया है वह तो पाणिनी के सूत्र हैं। थोड़ी सी तपस्या करने के बाद यह समझ में आयेंगे, कुछ बड़े आदमियों का साथ रखना पड़ेगा, उनके पीछे बैठना पड़ेगा तब इसको समझ पायेंगे। और अगर इसी तरह से सामने बैठे रहेंगे तो टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे।

श्री फूलसिंह—जो प्रस्ताव इस भवन के सामने है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव पर बोलते हुये प्रान्त भर की सभी बातों का

चर्चा किया गया है। कसाईखाने से लेकर इबादतखाने तक कोई मजमून बाकी नहीं रहा। ऐसे प्रस्ताव पर बोलते हुए यह स्वाभाविक है कि उन व्यक्तियों की प्रशंसा की जाय जिन्होंने देश में अच्छा कार्य किया हो। ऐसे प्रस्ताव पर बोलते समय उन कार्यों की जो देश में होते रहे हैं आलोचना करना स्वाभाविक है। परन्तु आलोचना मुख्यतः उन कामों की होनी चाहिये थी कि जो अगले ५ सालों में यह सरकार करने जा रही है पिछले सालों की आलोचना का भी एक स्थान है और वह इसी हद तक है जिससे कि आइन्दा गलती न हो जो कि पहले हो चुकी है। तब भी पिछले कामों की आलोचनाओं को उतना स्थान नहीं दिया जाता है जितना कि अगले कामों के लिये दिया जाना चाहिये। मैं उन सब बातों की चर्चा नहीं करूंगा जिनकी कल से भवन में चर्चा होती आई है। केवल जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में दो बातों की चर्चा करना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि इस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में मुआविजा देकर बड़ी भारी ग़लती की है। सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से यह भी कहा गया कि हम पहले पांच छै थे और अब उन्नीस बीस हो गये हैं। जो कुछ उनकी दलील है वह शायद हमारी कठिनाई है। जब यह बिल भवन के सामने था तब आप मौजूद नहीं थे। यह कहना बेजा न होगा कि जो आज के क्रिटिक (आलोचक) हैं उनका उस समय इस सभा में जन्म नहीं था। लेकिन उनके नेता जो देश के सार्वजनिक महान् नेताओं में से हैं आचार्य नरेन्द्रदेव जी, वह उस कमेटी में भी थे जिसने जमींदारी बिल बनाया था। यही नहीं उन्होंने उस कमेटी के सामने शहादत भी दी थी और उसमें उन्होंने यही नहीं कहा कि जमींदारी का मुआविजा देना चाहिये बल्कि शब्द "ज्यादा" कहा। उन्होंने यह भी फरमाया कि यह पर्ती, चरागाह और आबादी वगैरह में जितनी खाली जमीनें हैं उनका भी २ रुपया एकड़ के हिसाब से मुआविजा देना चाहिये। हमने उस हद तक उनकी बात नहीं मानी। इसलिये मुआविजा देने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ग़लती नहीं की। एक बात उन्होंने जरूर कही थी कि मुआविजे की आखिरी हद ५ लाख रुपया होनी चाहिये पर उस मसौदे के बमूजिब ५ लाख से ज्यादा पाने वाले कुल ३७ व्यक्ति थ। जो कानून इस भवन ने पास किया है उसमें मुआविजा कम से कम ८ गुना रखा गया है लेकिन उनकी राय में वह कम से कम दस गुना होना चाहिये था। आज उन व्यक्तियों को या उस संस्था को जो पूज्य आचार्य जी को अपना नेता मानती हो यह कहने की गुंजायश नहीं है कि मुआविजा देकर कांग्रेस सरकार ने ग़लती की है। हम गांवों में यह देखने आये हैं कि यह जो कला करने वाले होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं एक तो बांस पर चढ़ने वाले का और दूसरा ढोल पीटने वाले का। तो जो बांस पर काम करता है वह तो कहता ही है लेकिन ढोल पीटने वाला यही कहता रहता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कसर रह गई। अगर यही आपकी भी रीति है तब तो कोई बात नहीं है और इसलिये सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों को कांग्रेस गवर्नमेंट पर कुछ लांछन लगाने की गुंजायश नहीं है।

एक बात और कही गई कि जमीन का फिर से बटवारा होना चाहिये और इस चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि हमारे भाई क्या दलील रखते हैं। इतना जरूर मालूम है कि जब जमीन का बन्दोबस्त होता है तो एक जिले के बन्दोबस्त में दो तीन साल लगते हैं और सरकार के पास जितने आदमी होते हैं वह एक वक्त में दो तीन जिलों का ही बन्दोबस्त कर सकते हैं। इसलिये तमाम प्रान्त का बन्दोबस्त करने के लिये अगर ३ साल एक जगह लगें तो कम से कम ५० साल चाहिये क्योंकि बटवारे में तो बन्दोबस्त से भी ज्यादा काम होगा। फिर बटवारा होने से पैदावार में क्या कठिनाई होगी उसके लिये मैं आपका ध्यान पूर्वी पंजाब की तरफ दिलाऊंगा। पूर्वी पंजाब में मुसलमानों की तादाद काफी थी। गांव खाली हो गये थे और वहां के मुसलमान पाकिस्तान चले गये और वहां शरणार्थी बसने लगे और जिन लोगों को वह जमीन दी जाने वाली थी उनकी तादाद ५ लाख थी और वह जमीन तब से अब तक उनको बांटी जा सकी है।

[श्री फूल सिंह]

मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ काफी ज़मीनें अभी तक खाली पड़ी हैं। जब ५ लाख शरणार्थियों को बसाने में ५ साल लग गये हैं तो यह बटवारा, जो मेरे मित्र की राय के मुताबिक ६८ लाख खानदानों का है, कुल कितने साल लेगा। ४ लाख २२ हजार एकड़ ज़मीन काश्त में है। अगर फी आदमी ३ एकड़ लें तो भी कैसे काम चलेगा? फिर उनका कहना है कि जो भी कोई खेती सम्बन्धी काम करता है उन सब में बटवारा होना चाहिये। इस कृषि प्रधान देश में हम तो यह समझते हैं कि ७० फीसदी आदमी ऐसे हैं जो खेती सम्बन्धी काम करते हैं। तो १, १ एकड़ ज़मीन भी बांट में नहीं आयेगी। लेकिन अगर आपका हिसाब भी मान लें कि ८, ८ एकड़ ज़मीन आजावेगी, चाहे आपने यह ठीक ही कहा हो, इस प्रान्त के एक खानदान में ५ आदमी हैं लेकिन कुछ ऐसे भी खानदान हैं जिनमें २०, २० आदमी भी हैं। तो उन २० को अगर ५ एकड़ ज़मीन देंगे तो चन्द सालों में जब वे अलग होंगे तो फिर वह टुकड़े टुकड़े हो जावेगी। अपने अपने गांवों का आपको तजुर्बा होगा। मेरी भी थोड़ी सी याददाश्त है कि जिन खानदानों में ४, ४ हलों की खेती होती थी आज उन्होंने खेती करना छोड़ दिया है। हुआ यह कि मान लीजिये कि ४ लड़के हुये तो ज़मीन उनमें बंटी और जब उनकी संतान हुई तो फिर और भी छोटे टुकड़ों में बंटी। अब उसमें खेती कौन करे?

अगर आपका यह कहना है कि बटवारे से पैदावार बढ़ेगी तो भी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में तो पैदावार बजाय बढ़ने के घटेगी। इस बटवारे से जितनी बड़ी बड़ी मशीनरी खेती में काम आने वाली हैं वह काम में नहीं लाई जा सकेंगी, जैसे ट्रैक्टर हैं। ८ एकड़ ज़मीन के लिये कोई भी ट्रैक्टर नहीं रखेगा और फिर २ बैल की खेती के लिए भी हर जगह ८ एकड़ ज़मीन काफ़ी नहीं है। इकानामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) की चर्चा अभी तक आपमें से किसी ने भी नहीं की। मगर यह हर जगह बैरी (भिन्न-भिन्न होती) करती हैं। जहां आबपाशी नहीं है वहां यह ८ एकड़ ज़मीन बहुत थोड़ी है। झांसी की तरफ और राजस्थान में एक फसल के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। तो क्या आपका यह मतलब है कि जिनके पास ८ एकड़ ज़मीन होगी वह इस खाली समय में क्या करेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि अगर यह बटवारा सम्भव भी हो तब भी उसमें कोई फायदा नहीं है।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया हमें तो अपनी तवज्जह उन कामों की तरफ देनी चाहिये जिनको यह सरकार अगले ५ साल में करने जा रही है। सरकार की तवज्जह काफी ऐसी बातों की तरफ है। मैं इस समय दो एक बातें पेश करना चाहता हूं। एक तो बात चकबन्दी की है। दुर्भाग्यवश हमारे प्लानिंग कमीशन ने भी चकबन्दी को वह स्थान नहीं दिया जो किसान इसको देता है। हमारे विशेषज्ञों ने यह समझ लिया कि चकबन्दी का ही दूसरा नाम कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारी खेती) है। जिस बात का इलाज चकबन्दी है वह कोआपरेटिव फार्मिंग से जरूर हो जायगी। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि यह बिल्कुल भूल है। कोआपरेटिव फार्मिंग अभी एक्सपेरीमेंटल स्टेज (प्रयोगात्मक प्रक्रम) पर है और जब यह कामयाब भी हो जायगी तब भी तमाम देश में ५, १० साल में कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती। किसान चकबन्दी को बड़ा महत्व देता है। महामान्य राज्यपाल ने भी इस तरफ अपने भाषण में संकेत किया है। मगर मैं निवेदन करूंगा कि खेती के सुधार के सम्बन्ध में सरकार चकबन्दी को एक बड़ा ऊंचा स्थान दे।

दूसरी इतनी ही इम्पार्टेंट (महत्वपूर्ण) बात एग्रीकल्चरल फाइनेंस (कृषि विषयक वित्त) की है। अभी पिछले दिनों रिज़र्व बैंक ने सर्वे (परीक्षण) किया और यह रिपोर्ट प्रकाशित की कि बैंकों से जितना कर्जा दिया गया सन् १९५१ में उसका केवल तीन फीसदी खेती के सम्बन्ध में दिया गया है इस कृषि प्रधान देश में। खेती को

रुपये की कितनी आवश्यकता है उसका दूसरा एक और उदाहरण है। इस मर्तबा गन्ना ज्यादा होने के कारण मिलों ने गन्ने का दाम नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि किसान के पास जितना भी गेहूं या जितनी भी सरसों थी, उसको मार्केट में लाकर बेंच दिया। इसका अन्दाजा इस साल के प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूली) से लग सकता है। मैं पश्चिमी जिलों की बात कह सकता हूं कि वहां प्रोक्योरमेंट पिछले साल के मुकाबिले में कम से कम चौगुना है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी पैसे की आवश्यकता है और बैंकों से या और साधनों से उनको कितनी सहायता मिली है।

एक बात और है। हम बात चाहे जो भी करें मगर यह निश्चित है कि हमारी आउटपुट (उपज) बहुत कम हो गयी है, आधे से कम हो गयी है। जिस काम को पहले एक आदमी करता था, उस काम को अब दो तीन आदमी करते हैं। आज दफ्तर में अहलकार बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन काम कम हो रहा है। यही हालत सब जगह है। इसलिये यदि इस देश के लोग आउटपुट बढ़ाने की ओर खास ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती है।

मैं समझता हूं कि इन तीन बातों पर मुख्यतः अगर ध्यान दिया जाय तो हमारी अन्न सम्बन्धी योजना सफल हो सकती है।

हमारी शिक्षा के सम्बन्ध में दो प्रश्न हैं, एक तो यह है कि शिक्षा सस्ती कैसे हो, दूसरे जैसे कोई हाथी रख लेता है, उसी तरह एक आदमी अपने लड़के को पढ़ाता है। लेकिन वह पढ़ा हुआ लड़का किसी काम का नहीं रह जाता है। वह कपड़े साफ पहनता है, हर वक्त चाय पीता है लेकिन खेती का काम नहीं करता है। तो हमें शिक्षा के सम्बन्ध में ये दो बातें करनी हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ें उनकी पढ़ाई पर खर्चा कम हो, गरीबों का भी पढ़ना सम्भव हो जाय लेकिन वह लेबर माइंडेड (परिश्रमशील) रहें। हमने इस धरती माता से सम्पर्क बिल्कुल छोड़ दिया है। मिट्टी को छूना पसन्द नहीं करते।

श्रीमती सईद जहां मख़्फ़ी—जनाब स्पीकर साहब, मेरे पास सिर्फ १५ मिनट है। मैं कोशिश करूंगी कि १५ मिनट के बजाय १० मिनट में अपना मकसद आपके सामने पेश कर दूं, इसलिये कि यहां के १५ मिनट बहुत ज्यादा कीमती हैं। हम लोग अपनी जाती बात कहने के लिये या इस असेम्बली से गैरमुताल्लिक कोई दूसरी बात कहने के लिये यहां जमा नहीं होते हैं। हम मुल्क और कौम की आजादी के साथ इंसाफ की आवाज उठाने के लिये यहां पर आये हैं। इसी लिये यहां का एक-एक मिनट हमारे लिये बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा फर्ज है कि हम एक एक मिनट इसी मकसद के लिये खर्च करें। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगी कि मेरे पास सिर्फ ५ प्वाइंट हैं, दो प्वाइंट हिज एक्सिलेंसी के ऐड्रेस (भाषण) के मुताल्लिक हैं और तीन प्वाइंट अपोजिशन के जवाब में हैं, लेकिन मेरा एक, भी लफ्ज ऐसा नहीं होगा जिससे किसी को दुख हो या किसी के जजबात को चोट लगे। यही सबक महात्मा गांधी ने पढ़ाया है और जो आज मैं बात यहां कहने के लिये आयी हूं वह इसलिये नहीं कि मैं कांग्रेस के टिकट पर आयी हूं।

यह बात मैं हमेशा बहुत पहले से कहती आयी हूं कि उस वक्त में और इस वक्त में कोई एख्तलाफ नहीं पायेंगे। कल श्री मदन मोहन साहब ने फरमाया था कि हमसे अगर कोई गलतियां हों या हमारे बयान में कोई ऐसी चीज आये तो आप बच्चा समझ कर हमको माफ कर दीजियें। और मैं अपने को आपका बच्चा ही समझती हूं। आप यकीन मानिये यही चीज मुझे बहुत ज्यादा सही मालूम होती है। भले ही आपने समझ कर टाल दिया हो या न समझा हो, लेकिन मैं तो इस चीज की आदी हूं कि जैसा कि महात्मा गांधी ने मुझे बताया है कि जब कोई शख्श कोई बात कहता हो तो उसके कहने पर जाओ और फिर देखो कि वह क्या करता है। मैं तो कहती हूं कि अगर यही स्पिरिट (भावना) सियासी मैदान में हमेशा

[श्रीमती सईद जहां मख़्फ़ी]

रहती तो आज यह झगड़ा न होता और हम अपना एक-एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती चीजों पर खर्च करते। लेकिन इस चीज के सामने आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दो भाई एक खिलौने के टूट जाने पर आपस में लड़ रहे हैं और अगर वहां उनका बाप आ जाय तो गोया यह कहना चाहते हों कि हम अपने ख़यालात की बिना पर लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा आपस में एख्तलाफ है। किस चीज का एख्तलाफ है? हम सब एक ही भारत माता के सपूत हैं, एक ही साथ हम सांस लेते हैं, लेकिन उसूलों में कुछ एख्तलाफ है। अगर वह एख्तलाफ है तो होना चाहिये। किसी को कोई हक़ नहीं है कि वह एक दूसरे को उससे हटा दे। लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी पर्सनैलटी (व्यक्तित्व) को नहीं गिरा देना चाहिये। उन्होंने इसी सिलसिले में मुख्य मंत्री जी से भी दरख्वास्त की। मैं कहती हूं कि यह एक दूसरी और बहुत ज्यादा अहम चीज़ थी जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। किसी एक जानवर को भी पास रखने से उससे उन्सियत हो जाती है। हम एक दूसरे के साथ जिन कठिनाइयों में आगे बढ़े क्या वह ऐसी चीज है कि एक मामूली सी चीज पर हम उसे नजरअन्दाज कर दें? हां, अगर हमारे उसूलों में वह चीज़ अभी भी मौजूद है तो उसूलों की लड़ाई हुई और होती रहेगी। लेकिन इसको कौन समझता है? सियासत के माने अब सिर्फ एक दूसरे पर सियासत बौछार करने के लगाये जाते हैं। यह इसलिये होता है कि हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं। जब यह मामला मेरे सामने आया और मैंने यह सुना तो मुझे तो खुशी हुई कि कैसे यह स्पिरिट हमारे सियासी मैदान में जारी रहे और हम एक दूसरे को मुहब्बत का सबक़ दे सकें।

मदन मोहन साहब ने एक और बात कही। उन्होंने फरमाया कि आज़मगढ़ के एक रईस के पास सौ बीघा जमीन है जिस पर काश्तकारों के जरिये से काश्त होती है। मगर उनका मकसद मैं नहीं समझ सकी कि इससे उनका मकसद क्या था। अगर यही था कि बिगड़े हुये जमींदार और रईस खुदकाश्त नहीं कर सकते तो उनका यह खयाल ग़लत है। मैं इसकी जिन्दा मिसाल आपको देने वाली हूं। हर जमींदार और हर रईस को अब काश्तकार बनना होगा और काश्तकार बनना उसका फर्ज है। इसलिये कि इस देश की सबसे ज्यादा कीमती दौलत और सरवत जिस पर बेरूनी लोगों की हमेशा निगाहें रही हैं, वह ज़रखेज़ जमीन है जिसने मुमालिके गैर को इसका गरवीदा बना दिया और जिसने इस पर तरह तरह की हुकूमतें कराने के लिये उन्हें मजबूर कर दिया। ऐसी जमीन को अगर हम खुद इस्तेमाल करते हैं या उसके काश्तकार बनते हैं या उसके सेवक बनते हैं तो इसके यह मानी नहीं कि वह हमारे ऊपर बोझ है बल्कि हमारा फख्र यही है। आज काश्त का मुकाम सबसे बाला है और एक वक्त आयेगा जब आप देखेंगे कि जो लोग जमींदारी पर वक्त जाया करके उससे जो कुछ हासिल किया करते थे वह इस जमीन की सेवा से हासिल करेंगे। तब कोई वजह नहीं है कि इस किस्म का एतराज किया जाय। हां अगर आपका यह ख्याल है कि वह लोग इस चीज के आदी नहीं हैं या इसको अपनी इनसल्ट (अपमान) समझते हैं तो दूसरी मिसाल होनी चाहिये। दूसरी मिसाल जो आपके सामने आई थी कि क्रिटिसिज्म (आलोचना) का मकसद तो यह है कि अच्छाई और बुराई सबको साथ लेकर यह देखिये कि किसका पल्ला भारी है। मेरी भी मिसाल आपके सामने मौजूद है। सैकड़ों एकड़ जमीन मेरे पास है, जिसको मैंने अपने हाथों से ट्रैक्टर चला चला करके एक-एकदिन में ८-८ एकड़ जमीन को काबिले काश्त बनाया है और फस्ल बोई। इसको देखने के लिये अग्रिकल्चरल आफिसर और अग्रिकल्चरल इंसपेक्टर जब वहां गये हैं तो उन्होंने कहा है कि दो साल तक उससे कुछ वसूल नहीं हो सकता। नाजुक क्राप (फस्ल) पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन नाजुक क्राप वहां मौजूद है जो कि आज देखी जा सकती है। सैकड़ों मन वहां पर आज गेहूं, धनियां, चना, सौंफ मौजूद है और वह सब उसी जमीन पर उगा है। इसमें मेरी मेहनत और जफाकशी और उस अज्म का दखल था जो अपने मुल्क और कौम की तरक्की

के लिये हर आदमी के दिल में होना चाहिये। मुझे एक मिसाल पेश करनी थी अपने मुल्क और कौम के सामने और खुदा का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब हुई।

तीसरा एतराज मदन मोहन साहब ने यह फरमाया था कि हिज एक्सिलेंसी ने फरमाया है कि हमारे यहां औरतों और मरदों को बराबर का हक दिया जायगा, लेकिन कैबिनेट (मंत्री-मंडल) जब बनी तो उसमें किसी महिला को नहीं रखा गया। मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि यहां पर जितने मिनिस्टर हैं उनको काम करने का कितना मौका है? जो शख्श काम करना चाहता है, जिसको काम करने की धुन है या जो काम करने का जज्बा रखता, है वह मेम्बर रहकर तो कुछ कर सकता है, मिनिस्टर होकर कुछ नहीं कर सकता। इस लिये आप लोगों की निगाह में कोई भी चीज हो हम जितनी मेम्बर औरतें हैं इस चीज को तस्लीम नहीं कर सकतीं। हमारे लिये कहीं भी कोई काम हो हम मिनिस्टर होकर कुछ नहीं कर सकतीं, मेम्बर होकर बहुत कुछ कर सकती हैं। हां, अगर हम सिर्फ मेम्बर बनने के लिये आये है, तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता।

चौथी चीज इसके बाद मुझे भी हिज एक्सिलेंसी के ऐड्रेस के मुताल्लिक अर्ज करनी है। मैंने निहायत अदब और एहतराब से उस ऐड्रेस को सुना। उसके दो पहलू ऐसे थे जिनपर मैं अर्ज करना चाहती हूं। पहली चीज यह है कि उन्होंने यह फरमाया है कि इंटलेक्चुअल और स्प्रिरिचुवल (बौद्धिक और आत्मिक) तरक्की के लिये बगैर किसी कास्ट क्रीड, क्लास (जाति, धर्म, वर्ग,) और शख्श की तफरीक किये हुये हर एक को तरक्की का मौका दिया जायगा। तब मैं यह अर्ज करूंगी कि प्वाइंट फोर के मातहत जो स्कीम अमरीका की चल रही है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने छः कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिये यू०पी० को रुपया सैंक्शन किया है और हिज एक्सिलेंसी ने भी अपने ऐड्रस में फरमाया है कि यू० पी० में इन प्रोजैक्ट्स के दो सेंटर कायम किये जायेंगे, तो मैं यह ख्वाहिश करूंगी कि इसका एक सेंटर मेरे जिले एटा में खोल दिया जाय। इसलिये कि वहां के लोग बहुत ज्यादा तरक्की पसन्द हैं और इस किस्म की चीजों के ख्वाशिमन्द हैं। अपने मुल्क की प्रास्पेरिटी (सम्पन्नता) के लिये यह चीज कुछ कम नहीं। ६ प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यू०पी० के लिये मैं समझती हूं ३ कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स भी काफी होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट यू०पी० ने यहां पर बख्शी के तालाब पर एक सेंटर खोला है। मेरी ख्वाहिश है कि उस सिलसिले में औरतों को भी मौका दिया जाय।

इसके अलावा आपने देखा कि दूसरे मुमालिक की औरतें कितनी तालीमयाफ्ता हैं। लेकिन हमारे सूबे में ऐसा नहीं है। इस एलेक्शन में मैंने देख लिया कि वह जाहिल औरतें और वह देहाती जिनके कानों में यह आवाज भी नहीं पड़ी थी, जिनके सामने हमने हरगिज कोई तंजीम नहीं रखी, जिस वक्त एलेक्शन आया तो सबसे ज्यादा वोट यानी तीस, चालिस फीसदी वोट औरतों ने डाले। और जिस जजबे से उन्होंने वोट दिये उसका अंदाजा मुझी को है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ी लानत है वह कास्ट (जाति) की है और खुसूसन इस एलेक्शन के मामले में यह जजबा बहुत ज्यादा उभारा गया। मगर इसको तोड़ने वाली औरतें थीं। जिस वक्त मेरा मामला आया, तो ठाकुरों ने यह कहा कि ठाकुर औरतें वोट देने नहीं जायेंगी। खैर एलक्शन के वक्त कुछ औरतें जन संघ की तरफ से जाती हैं। ठाकुर औरतों को उस वक्त समझा रहे थे कि दीपक वाले बक्से में वोट डालना उस वक्त उनमें से एक बहादुर औरत ने कहा कि हम औरतों का वोट बैलों की जोड़ी के बक्से में जायगा जिससे एक औरत चुनी जा रही है। इस तरह से देखा जाय तो औरतें भी कुछ आगे बढ़ी हैं। मैंने औरतों के वोट और ठाकुर औरतों के वोट हासिल किये। यही चीज है जिस को सही मानी में एलेक्शन कहा जा सकता है। यह चीज अपोजीशन के उस ऐतराज का जवाब है कि हम लोगों ने गलत तरीके से वोट हासिल किये हैं। मैं अपने मामले को आपके सामने रखना चाहती हूं। दूसरे मामलों की मुझे वाकफियत नहीं है।

[श्रीमती सईद जहां मख़्फ़ी]

तीसरी चीज मेरे पास यह है कि लड़कियों की तालीम में डोमेस्टिक साइंस (गृह-विज्ञान) और होम साइंस का इजाफा किया जाय और उनके इम्तहानात सालों पर मुनहसर नहीं रखना चाहिये उनकी काबिलियत के ऐतबार से उनको सर्टिफिकेट देना चाहिये। हमारे लिये एजूकेशन सबसे अहम मामला है। एजूकेशन से ही हमारा बनना बिगड़ना और मरना जीना है। इसके लिये हमें चाहिये कि हमारी एजूकेशन का मकसद इक्तसादी, माशी, जेहनी तमाम किस्म की तरक्की से होना चाहिये। इससे क्या फायदा है, जैसा कि हिज एक्सीलेंसी ने कहा कि तमाम आर्मी को आर्मी बेकारों की तैयार कर लें। हमें अपने मुल्क की जरूरियात को देखते हुए इस किस्म की एजूकेशन देनी है जिससे हमारे मुल्क का हर फर्द चाहे मर्द हो या औरत हो, बेकार न रह सके। हमारी एजूकेशन में लड़कियों और लड़कों के एक एकसां कम्पल्सरी सब्जेक्ट्स (अनिवार्य-विषय) न होने चाहिये। लेकिन आप्शनल सब्जेक्ट्स (ऐच्छिक विषयों) में ऐसा हो सकता है कि अगर लड़कियों ने लड़कों के सब्जेक्ट्स लेना चाहें तो ले सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष,महोदय, माननीय सदस्य श्री राज नारायण जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। मैं इस सदन का ध्यान राज्यपाल महोदय के भाषण के इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह भाषण पांच वर्ष के लिये है। मैं समझता हूं कि आने वाले पांच साल में जितने भी राज्यपाल महोदय के भाषण होंगे, उन सब भाषणों से यही भाषण सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाषण बहुत ही अधूरा है। 'स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स' (उद्देश्यों के विवरण) में बहुत सी बातें छोड़ दी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय, के भाषण में 'रिफ्यूजी रिहैबोलिटेशन' (शरणार्थियों का पुनर्वास) के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। क्या आज शरणार्थियों की समस्या हल हो गई है। मैं आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो गवर्नमेंट सरवेंट्स (सरकारी नौकर) हैं, 'क्लेरिकल स्टाफ' है उनके बारे में क्या कुछ होना बाकी नहीं है? क्या वे सब संतुष्ट हैं? उनके बारे में क्या एक शब्द भी नहीं कहा जाना चाहिये था? क्या इस बारे में भाषण में कुछ नहीं कहा जा सकता था? यह जो आज गवर्नमेंट सरवेंट्स के 'ऊपर कंडक्ट रूल्स (आचरण के नियम) लागू हुए हैं कि उनके स्त्री या उनके संबंधी जो उनके साथ रहते हैं वह भी गवर्नमेंट की कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं। क्या यह लागू नहीं होता है। इसके अलावा जहां कि नागरिक स्वतंत्रता का सवाल है उसके संबंध में स्थित यह है कि यहां के एक माननीय सदस्य अब भी जेल में हैं। क्या गवर्नर महोदय का ध्यान इधर आकर्षित नहीं किया जा सकता था?

हमारे सामने बहुत से वायदे रखे जाते हैं। गवर्नर महोदय के भाषण के छठे पृष्ठ पर कहा जाता है कि "The steps taken during the last two years have resulted in the extension of cultivation over 11 lakh acres of barren and forest land and in the addition of 13 lakh acres to the area under irrigation." [गत दो वर्षों में जो कार्रवाइयां की गई हैं उनके परिणामस्वरूप ऊसर और बन की भूमि के ११ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र पर भी खेती होने लगी है और सिंचाई के क्षेत्र में भी १३ लाख एकड़ की वृद्धि हो गई है।]

इसके पहले प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के १५ सितम्बर, १९५१ के अधिवेशन की रिपोर्ट देते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने यह रिपोर्ट दी थी कि "In the course of five years we have been able to reclaim by direct agency of Government about 1.5 lakh acres of land. In addition 9.5 lakh acres of land have been reclaimed by the people with the various types of aid given by the State Government, such as loans and grants. More than 13 lakh acres of land has been provided with irrigation facilities."

पांच वर्ष के समय में हम सरकार को सीधे साधनों द्वारा लगभग १.५ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग बना सके हैं। इस के अतिरिक्त ने जनता राज्य सरकार द्वारा दी गयी विभिन्न प्रकार की सहायता जैसे ऋण तथा अनुदानों से साढ़े नौ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है। १३ लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिचाई की सुविधायें प्रदान की गयी है।

इसका क्या मतलब है ? अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि कौन सी रिपोर्ट सही है? राज्यपाल के भाषण की बात है या माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में कही हुई बात सही है? राज्यपाल ने कहा था कि गत दो साल में यह कार्य हुआ और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पांच साल में हुआ। इसमें क्या बात है? माननीय मुख्य मंत्री की रिपोर्ट को आज करीब दस महीने हो गये और राज्यपाल का भाषण अभी हुआ है। क्या इस दस महीने के समय में कोई काम ही नहीं हुआ ? मैं आपके द्वारा यह कहता हूं कि हमें एक बात का खतरा है, जो आज सामने आ गया है। वह है आंकड़ों की स्फीति। आज आंकड़ों को एक ऐसी बाढ़ आ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं और अध्यक्ष महोदय, भवन के सभी सदस्यों का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आंकड़े इन रिपोर्टों में दिये गये हैं, जो कि एम०एल०एज० को बांटी गई हैं, उनमें बतलाया गया है कि जिला नैनीताल में कुछ जमीन तोड़ी गई। उसके बारे में भवन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक रिपोर्ट में लिखा है कि काशीपुर में में ७,५०० एकड़ जमीन तोड़ी गई है और दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि १७,००० एकड़ जमीन तोड़ी गई है। इसी तरह से गंगा खादर में एक रिपोर्ट में १८,४९६ एकड़ और दूसरी में २२,००० एकड़। इसी तरह से तराई भाबर में एक रिपोर्ट में २६,००० एकड़, दूसरी में ३२,००० एकड़ और तीसरी में ३०,००० एकड़ जमीन तोड़ी गई। हम अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा गवर्नमेंट से पूंछते हैं कि इन तीन रिपोर्टस् में से किस रिपोर्ट को सही मानें जो हमको बांटी गई हैं।

इसके अलावा इर्रीगेशन पर दो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उनमें लिखा है कि भीमताल में १५ एकड़ की सिंचाई हुई। मेरे पास अदालती पंचायत का सरक्यूलर (परिपत्र) मौजूद है जिसमें कहा गया है कि इससे केवल दो एकड़ को सिंचाई हुई। इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय के भाषण में जो (फूड प्राइसेज) (खाद्य के दामों) की ओर ध्यान दिलाया गया है वह कुछ और नहीं है बल्कि कीमत बढ़ाने की धमकी है। मैं कहता हूं कि यह ९ करोड़ रुपया जनता की जेब से छीना जाने वाला है। यह चीज प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ है।

मैं तो यह आशा करता था कि राज्यपाल महोदय कहते और सरकार कहती कि हम केन्द्रीय सरकार से कहते हैं कि फूड सब्सीडी (खाद्य सहायता की धनराशि) को कम नहीं करना चाहिये। प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है---

"It is, therefore, basic to the success of the programme for agriculture during the next five years that great caution should be exercised in proposing different price incentives for different crops, and psychological factors calculated to produce short term effects should not be unduly relied upon. The aim of policy should, therefore, be to maintain the relative prices of different agricultural commodities at such levels that, without being influenced by excessive price stimuli in one direction or another, it is possible to secure increase in food production of commercial crops."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[अतः आगामी पांच वर्ष के समय में, कृषि के कार्यक्रम की सफलता के लिये यह आधारभूत है कि विभिन्न फसलों के लिये विभिन्न मूल्यापकर्ष या मूल्योत्कर्ष प्रस्तावित करने में बड़ी सावधानी बरती जाय तथा ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों पर, जिनसे अल्पकालिक प्रतिफल की आशा की जाती हो, अनुचित विश्वास न किया जाय। इसलिये नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि विभिन्न कृषि वस्तुओं का परस्पर संबद्ध दाम ऐसे स्तर पर स्थिर रहे, कि किसी भी ओर से अत्यधिक मूल्यापकर्ष के कारणों से प्रभावित हुए बिना व्यापारिक फसलों की खाद्यान्न की उपज में वृद्धि होना सम्भव रहे।]

और इसके अलावा इसमें फूड सबसिडीज के बारे में आगे कहा गया है—

"There is an intimate relation between price policy and food policy in its production, procurement as well as distribution aspects. The policy of subsidising the distribution of imported food has recently been modified, primarily on budgetry grounds. In the larger interest of the economy, we consider that, while the system of subsides prevailing at any time may require modification, so far as possible imported foodgrains should, subject to budgetry consideration, be sold at prices which may not have a serious effect on the cost of living. So long as external prices are higher than internal prices, subsidies have an important place in the implementation of food policy."

[उपज, वसूली तथा वितरण के पहलुओं को देखते हुए दाम निश्चित करने की नीति तथा खाद्य विषयक नीति में गहरा सम्बन्ध है। आयात खाद्य के वितरण में सहाय्य करने की नीति में, अभी हाल में ही, प्रधानतया आय-व्ययक सम्बद्ध कारणों से, कुछ रूपान्तर किया गया है। आर्थिक व्यवस्था के व्यापकतर हित के विचार से, हम यह समझते हैं कि जब कि किसी भी समय प्रचलित सहाय्य प्रथा में रूपान्तर की आवश्यकता पड़ सकती है, आयात खाद्यान्न, आय व्ययक का उल्लंघन न करते हुए, यथासम्भव ऐसे दामों पर बिकना चाहिये जिसका रहन-सहन के व्यय पर कोई गहरा परिणाम न पड़े। जब तक बाह्य दाम आन्तरिक दामों से ऊंचे रहें, खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में सहाय्यों का महत्वपूर्ण स्थान है।]

माननीय अध्यक्ष---अब माननीय सदस्य अपने भाषण को स्थगित रक्खेंगे और जब हम फिर बैठेंगे तो वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की :—

श्री सिया राम गंगवार

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्त तथा अन्य समितियों के निर्वाचन के कार्य-क्रम के संबंध में घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं भवन को यह सूचना देना चाहता हूं कि वित्त कमेटी के चुनाव के संबंध में यह कार्यक्रम रहेगा। नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि और समय २६ मई, १९५२ ई० के १ बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २६ मई, १९५२ ई० को ४ बजे सायंकाल तक। नाम वापस लेने की तिथि तथा समय २७ मई, १९५२ ई० को ३ बजे तक। निर्वाचन की तिथि स्थान और समय २८ मई, सन् १९५२ ई०, को ११ बजे से ३ बजे तक। विधान वाचनालय में निर्वाचन होगा। इसके लिये नामांकन पत्र या तो नोटिस आफिस में या सदन में लिया जा सकता है।

मुझे यह भी सूचना देनी है कि आज ५ प्रस्तावों द्वारा कुछ कमेटियों के बारे में प्रस्ताव इस भवन में पास हुए। उसका निर्वाचन होगा। उनके नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि और समय २६ मई, १९५२ ई० को १ बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २६ मई, १९५२ ई० को ३ बजे और नाम वापस लेने की तिथि और समय २७, मई १९५२ ई० को ३ बजे तक। निर्वाचन सदन में हाथ उठा कर होगा और अगर आवश्यकता हुई तो २८ मई को ४ बजे इसके निर्वाचन के लिये वोट लिये जायेंगे। नामांकन पत्र नोटिस आफिस में या इस सदन में मिल सकेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आन ए प्वाइंट आफ आडर सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) अध्यक्ष महोदय, कमेटी का जो कागज हमारे सामने रखा गया है फाइनेंस कमेटी (वित्त समिति) में एक ही कमेटी के लिये चुनाव का हमारे पास कागज है। एक कमेटी नियम १६५ में कमेटी आफ एस्टीमट्स (प्राक्कलन समिति) है। मैं समझता हूं कि दोनों कमेटीज आफ ऐस्टीमेट्स और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी फाइनेन्स के अन्तर्गत आती हैं। अतएव इनको एक साथ रख दिया जाय तो बहुत लाभ होगा। अगर पहले ऐस्टमेट्स कमेटी का चुनाव हो जाता, तो वह कमेटी सारे फायनेन्स (वित्त) की हालत, ऐस्टीमेट्स को फाइनेन्स कमेटी के सामने रख सकती।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है। ऐस्टीमेट्स (प्राक्कलन समिति) कमेटी का काम फाइनेन्स कमेटी (वित्त-समिति) के सामने ऐस्टीमेट्स (प्राक्कलन) रखना नहीं है। ऐस्टीमेट्स कमेटी इसलिये हुआ करती है कि जिस विभाग के साथ उसका संबंध हो, जैसे मान लीजिये कि एक ऐस्टीमेट कमेटी शिक्षा विभाग का काम देख रही है तो यह दो तीन बरस के शिक्षा विभाग के काम को देखेगी कि शिक्षा विभाग के लिये जो रुपये की मंजूरी दी गई थी उसको कैसे खर्च किया गया और उसको ठीक तरीके से और किफायत से खर्च किया जा सकता था या नहीं। उसका फाइनेन्स कमेटी से कोई संबंध नहीं है। फाइनेन्स कमेटी का काम है रुपया मंजूर करना। ऐस्टीमेट कमेटी जो रुपया मंजूर होता है वह ठीक तरह से खर्च किया गया या नहीं इसको देखती है। दोनों में कोई विशेष संबंध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री चाहते हैं कि ऐस्टीमेट्स कमेटी का चुनाव उसी दिन हो या नहीं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस भवन के सम्मुख 'फूड सब्सिडीज' के बारे में कह रहा था। मेरा यह कहना था कि पंच-वर्षीय योजना क्या है? उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि सब्सिडीज का लार्जर एकनामी के इंट्रेस्ट (व्यापकतर आर्थिक व्यवस्था के हित में) होना आवश्यक है। इसलिये हमारी सरकार को बम्बई सरकार और दूसरी सरकारों की तरह फूड सब्सीडी के लिए कहना चाहिये। लेकिन हमें माननीय राज्यपाल के भाषण में इस प्रकार की चीज दिखाई नहीं देती।

इसके अलावा प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में पृष्ट ७४ पर फूड रिजर्व (सुरक्षित खाद्य) के बारे में कहा गया है। इसके बारे में प्रांतीय सरकार ने अपनी कोई नीति घोषित नहीं की। क्राप प्लानिंग (फस्लों के नियोजन) के बारे में भी प्लानिंग कमीशन ने बहुत जोर दिया है। आजकल सरकार की ओर से जो ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) हो रहा है उसमें भी कोई कदम इस ओर नहीं उठाया गया है। प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि—

"A basic requirement of price policy is effective regulation of food-grains prices. This, however, is not possible unless the prices of competing

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

crops are regulated. In the absence of such regulation, there will be a natural tendency to substitute non-food crops for food crops."

[खाद्यान्न के दाम का प्रभावपूर्ण नियमन दाम विषयक नीति की आधारभूत आवश्यकता है। किन्तु यह सम्भव नहीं है जब तक कि प्रतिद्वन्दी फसलों के दाम का नियमन न किया जाय। ऐसे नियमन के अभाव में खाद्य फसलों के स्थान में अखाद्य फसलें (बोने) की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायेगी।]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्राप प्लानिंग के बारे में शीघ्र ही कोई कदम उठाया जाना चाहिये जो न तो उसने उठाया है और ५ साल के अपने भाषण में राज्यपाल महोदय ने कोई स्पष्ट बात ही कही है। हमारे जिले नैनीताल में स्टेट (राजकीय) फार्म हैं लेकिन वहां भी क्राप प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां गन्ने की पैदावार पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन अनाज की पैदावार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

जमींदारी के अबालीशन (उन्मूलन) के बारे में माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जिक्र किया है उसमें सारी स्टेट के बारे में जिक्र है, लेकिन नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल वगैरह चार जिलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। भूमि के बारे में वहां पर अराजकता की हालत है। माननीय मुख्य मंत्री जब वहां से चुनकर आये थे और सन् २४–२५ में विरोधी दल में थे तो उस समय उनके जो विचार थे उनकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह बात आज कैसे रह गई। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पर जब विचार हुआ था तो उस समय कहा गया था कि यह ऐक्ट मोडीफिकेशन (रूपान्तर) के साथ दूसरी जगहों पर जिनका नाम मैंने लिया धारा २ के अनुसार लागू किया जायगा, लेकिन अब उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। जहां पर गवर्नमेंट की खास स्टेट्स हैं, जहां पर गवर्नमेंट जमींदारों का काम करती है वहां पर भी टैनेंट्स (असामियों) को कोई अधिकार नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर कोई अधिकार क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

पूर्वी जिलों की बाबत कुछ कहा गया लेकिन कुमायूं की बाबत कोई जिक्र नहीं हुआ। सरकार को स्वयं मालूम है कि तमाम अल्मोड़ा जिले में क्या हालत है। आज भी आप चले जाइये तो आपको मालूम होगा कि वहां किस प्रकार की भुखमरी फैली हुई है। नैनीताल जिले में ओलों से कितना नुकसान हुआ है? अगर कुमायूं के माननीय सदस्यों से पूछा जाय तो वे आपको सही बात बतायेंगे। इसके बारे में भी राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई बात नहीं कही गई। प्लानिंग की रिपोर्ट में पृष्ट ४१ पर यह कहा गया है कि "यू० पी० के लिये हिसाब लगाकर ४० करोड़ रुपया रखा गया है" और यह लिखा गया है कि यह रुपया २ साल में खर्च किया जायगा। इस तरह से पिछले वर्ष में २० करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये था लेकिन उसमें से सिर्फ ४ करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। मैं इसकी 'डिटेल' (विस्तार) में जाना नहीं चाहता केवल 'आबजैक्ट' (उद्देश्य) के बारे में ही कह रहा हूं।

पृष्ठ २४ पर 'ज्वाइंट पार्टीसिपेशन आफ इंडस्ट्री' (उद्योगों का संयुक्त प्रवर्तन) के बारे में भी कहा गया है लेकिन राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस में कोई बात इंडस्ट्री (उद्योग) के बारे में नहीं कही गई। अगर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) नहीं किया जा रहा है तो प्लानिंग कमीशन के कहने के मुताबिक ही काम क्यों नहीं किया जा रहा है? पृष्ठ १७९ पर प्लानिंग कमीशन ने 'रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन' के बारे में जिक्र किया है, लेकिन न तो ऐसा किया ही गया है और न इसके बारे में कोई बात ही कही गई है।

'माडिल बेसिक एजूकेशन सेंटर' (आदर्श बुनियादी शिक्षा केन्द्र) बनाने के बारे में भी एक बात भी नहीं कही गई। यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट की जब इम्पलीमेंटेशन (कार्यान्वय व्यय) वगैरह की बात आती है और उसके साथ-साथ जब हायर

एजुकेशन (उच्चतर शिक्षा) के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी कमीशन की तरफ से जो सुझाव दिये गये हैं उनकी बात आती है तो मालूम होता है कि इस ऐड्रेस में उनको बिलकुल भुला दिया गया है। मेडिकल के संबंध में, हेल्थ के सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन ने साफ-साफ कहा है कि प्रिवेंटिव वर्क के रूप में ज्यादा काम होना चाहिये। न कि क्यूरेटिव रोकथाम की चीज होना चाहिये। लेकिन ऐड्रेस के अन्दर हम इस तरह की कोई चीज नहीं देखते हैं।

पंच वर्षीय योजना में हाउसिंग (गृह निर्माण) की बात भी आती है कि हाउसिंग के मामले में सरकार कुछ करना चाहती है। मिड्ल क्लास (मध्यम वर्ग) वालों के लिये भी कुछ कहा गया है लेकिन रूरल हाउसिंग (ग्रामीण गृह निर्माण) के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या इससे हमारा संतोष हो जायगा, क्या इससे गांवों की हालत अच्छी हो जायगी? गांवों तथा और शहरों की हालत कानपुर के स्लम्स (तंग व गन्दे मकानों) से भी बुरी है। शहरों और देहातों के अन्दर जो गरीब किसान रहते हैं उनकी झोपड़ियों को अगर आप देखें तो मालूम होगा कि वे कितनी बदतर हालत में हैं। इस एड्रेस में प्लानिंग कमीशन की इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन में खेतिहर मजदूरों की बात आती है। १०७ सफे पर बेनिफिशियल लेजिस्लेशन फार डेट फार एग्रीकल्चरल लैबर (कृषि के श्रमिकों को ऋण मिलने के विषय में लाभदायक विधान) की बात आयी है इस पर भी कुछ नहीं कही गयी है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भूमि वितरण की बात आती है तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान यज्ञ से कोआपरेशन की बात कही जाती है, लेकिन सरकार किस तरह से कोआपरेट करती है इसका नमूना यही है कि जब इस सदन के अन्दर पुनर्वितरण की बात आती है तो आप उसे अस्वीकार करते हैं और आचार्य विनोबा भावे से सहयोग करने की बात कहते हैं। फाइव इयर्स प्लानिंग कमीशन (पंच वर्षीय नियोजन आयोग) की रिपोर्ट के १२७–१२८ पेज पर लिखा हुआ है—

"The levy of betterment contribution in the form of land from the larger holdings will be useful in many ways."

[बड़ी जोतों में से भूमि के रूप में उन्नति कर वसूल करने से कई प्रकार का लाभ होगा।]

इसके अलावा उस रिपोर्ट में ६ इकनामिक होल्डिंग के बराबर रजिस्टर्ड फार्मिंग की बात भी कही गई है। जो अनइकनानिक होल्डिंग्ज (अलाभकर जोत) होगी वह १० एकड़ की होगी, तो फिर क्यों नहीं यह कर दिया जाता कि १० एकड़ से ६ गुना यानी ६० एकड़ के जितने फार्म्स होंगे वे सब रजिस्टर्ड फार्म होंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप लोग माननीय राजनारायण जी के संशोधन को स्वीकार करें। अगर उस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा स्वप्न मृग-मरीचिका ही साबित होगा। फाइव इयर्स प्लान (पंच वर्षीय योजना) कपोल कल्पना ही रह जायेगी करोड़ों कंकालों, के काफ़िले, आहों के जलूस व लाखों हड्डियों के सूखते हुए डंठल, क्या यही कोआपरेटिव कामनवेल्थ के इंसान होंगे?

श्री चन्द्रसिंह रावत—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो भाषण गवर्नर महोदय ने इस सदन में दिया है, उसका समर्थन करते हुए आपको यह बतलाना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो टीका टिप्पणियां की हैं वे गलत दृष्टि-कोण से की गई हैं। यह देखने की कोशिश नहीं की गई है कि गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में किन बातों पर रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि इस स्टेट की कुछ बीमारियां हैं जिन बीमारियों ने इस स्टेट की जिन्दगी को तबाह किया है। उन बीमारियों का इलाज उसमें बताया गया है। आज

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हुए हैं वह इस बात को भूल जाते हैं और अपने दिमागों को बेकाबू कर देते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं जो किसी तरह से सही नहीं कही जा सकती है । वे यह भूल जाते हैं कि इन बीमारियां के स्टम्क्ष हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं जो कई महाभारत के पोथों में भी नहीं लिख कर पूरे किये जा सकते हैं। गवर्नर महोदय के भाषण में एक तरीका उन बीमारियों को दूर करने के लिये बताया गया है । वह बीमारी इस तरह की है कि उन्होंने जिन्दगी के हर क्षेत्र को तबाह किया है । आज तक हमारी सरकार ने गुजिश्ता जमाने में उन बीमारियों को दूर करने के लिये जो कुछ प्रयास किया है उसी को उस भाषण के दूसरे हिस्से में बताया गया है । तीसरी बात उस भाषण में उस उज्वल भविष्य की बतलाई गयी है जिसकी ओर हमारी स्टेट अग्रसर हो रही है । इसलिये मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आपकी जो यह दलीलें हैं वह मिस्कंसीव्ड (प्रसंगहीन) हैं। मैं समझता हूं कि उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, जो किसी तरह से सच्ची नहीं है । इन दलीलों से आपका काम नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस बात की ओर हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की दलील यहां पर पेश करके वे अपनी बुद्धि के प्रति अन्याय करते हैं। कभी भी उन दलीलों से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जो सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं हैं। सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्य की ही विजय होती है झूठ की नहीं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस देश की दरिद्रता व भूख को दूर करने के लिये और जो ९० फीसदी जनता देहातों में रहती है उसकी मुसीबत को दूर करने के लिये और जो खेती का काम करने वाले हैं, उनको छुटकारा देने के लिये अगर यह जमींदारी का कानून पास किया है तो कौन सा बुरा किया है ? हमारी सरकार का यह सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है । इस जमीदारी प्रथा के विनाश होने से उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो इससे अभी तक दबे हुये थे । यह जमीदारी प्रथा हमारे समाज के लिये विनाश का कारण साबित हो चुकी है। इसलिये इस व्यवस्था व इस विचारधारा को इस देश से कालापानी देने के लिये हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है वह बहुत अच्छा किया है। हमारी सरकार ने यह सब से बड़ा और सब से अच्छा काम इस प्रान्त में किया है और उसको यह काम सब से पहले करना चाहिये था। इसलिये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यू० पी० की सरकार बधाई की पात्र है जिसने अस्पृश्यता निवारण कानून को पास करके इस देश की निकम्मी विचारधाराओं को दूर करने के लिये जो हमारे समाज के लिये उचित नहीं समझी जाती थी प्रयास किया है। इस कार्य ने हमारी जनता के स्तर को ऊंचा उठाया है और यह हमारी सरकार का सब से बड़ा कार्य है ।

माननीय अध्यक्ष—आप कृपया माइक्रोफ़ोन पर बोलिये और जरा मध्यम स्वर में बोलें ताकि ठीक सुना जा सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उस तरफ से आलोचना की झड़ियां लगा दी गई हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने बतला दिया कि हमको वह शिक्षा नहीं चाहिये कि जिसने देश को बरबाद किया है। हमें वह शिक्षा चाहिये कि जिससे देश में देशभक्तों की एक नई आर्मी (सेना) तैयार हो। मैं आपको यह बतला दूं कि हमको इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है कि जिससे हममें सेल्फ रिलायन्स (आत्मनिर्भरता), सेल्फ़ रेवरेंस (आत्मसम्मान) और सेल्फ़ नौलिज (आत्मज्ञान) से सैल्फ़ कंट्रोल (आत्मसंयम) हो अर्थात् आत्म ज्ञान, आत्म सम्मान और आत्म संयम यह ३ चीजें हैं कि जिनके द्वारा कोई राष्ट्र अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है और यही वह दृढ़ शिला है जिस पर राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है और शिक्षा ही राष्ट्र को ऊंचा उठा सकती है। जिस शिक्षा ने आज हमारे राष्ट्र के अन्दर मैथमेटिक्स (गणित) हिस्ट्री (इतिहास) साहित्य आदि की बोलती हुई चलती फिरती कबरें पैदा की हैं उसको इस राज्य से मिटा देने में ही हमारा कल्याण है । शिक्षा मंत्री महोदय ने

इस दिशा में जो प्रयत्न किया है और जिन्होंने देश के कोने-कोने में शिक्षा का प्रसार किया है और प्राइमरी स्कूलों की भरमार कर दी है उसके लिये उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब इन स्कूलों को हमें आगे ५ वर्ष में स्टाफ (अध्यापकगण) से मेटीरियल (सामान) से इक्विप (पूर्ति) करना है ताकि हमारे देश के अन्दर इन स्कूलों में चरित्र निर्माण और शिक्षा का प्रसार हो सके। इससे देश के चारों तरफ कोने-कोने में शिक्षा फैलेगी हमारे पहाड़ पर भी जो प्रयत्न इस ओर किया गया है उसके लिये भी मैं इस सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि उसने वहां के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है।

हमारे प्रान्त में सड़कें चालू की जा रही हैं। लाखों और करोड़ों रुपया हमारी सरकार उन पर खर्च कर रही है और आप जानते हैं कि पहाड़ पर सड़कों के निर्माण में सैकड़ों रुपया खर्च होता है, परन्तु इसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पहाड़ हजारों वर्ष से इस देश की रक्षा करते चले आये हैं वह आज भी उसी प्रकार संतरी की तरह अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं। वहां पर यात्रा करने में जो मुसीबत होती है उस का अन्दाजा हमारे वह सदस्यगण नहीं लगा सकते कि जिन्होंने पहाड़ी प्रान्त में कभी यात्रा नहीं की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चीन और तिब्बत के अन्दर जो भोटिया तिजारत करते थे वे वहां कम्यूनिज्म का जोर होने से तिजारत नहीं कर सकते और उनकी जीविका खत्म हो चुकी है और उनकी तादाद करीब तीस चालीस हजार के है। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह पहला फर्ज हो जाता है कि इन लोगों को वह किसी तरह से रिहैबिलिटेट (पुनर्वासित) करें। अगर मैं उन लोगों की मुसीबतों का वर्णन करने लगूं तो आप के दिल में बड़ा दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके दुःख की अधिक बातों को आपके सामने रखूं। इसलिये मैं तो फिर, अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी प्रान्त के अन्दर कोई इस प्रकार के जरिये नहीं हैं जिनसे उसे समृद्धशाली बनाया जा सके। प्रकृति ने कुछ उसे ऐसी देन दी है जिससे पहाड़ की उन्नति की जा सकती है। जिस प्रकार स्विटजरलैंड का देश यूरप में पहाड़ी देश है और सब से खूबसूरत है और बढ़ा हुआ है उसी प्रकार हमारा इलाक़ा भी बनाया जा सकता है।

मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने लाखों रुपया नयार डाम के परीक्षण पर (एक्सपैरीमैंट पर) खर्च कर चुकी है। उसके पास स्पैशलिट्स (विशेषज्ञ) की रिपोर्टें आती हैं। हमारे पास सैंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ रुपया आता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसमें कुछ पहाड़ी स्थानों की उन्नति में भी लगाये, अर्थात् नयार डाम को बनावे। उससे कई इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो सकती हैं। सरकार इस बात को अच्छी तरह महसूस नहीं करती कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसके साधन मौजूद हैं। यह सरकार का पहला फर्ज है और मैं समझता हूं कि अगर बुद्धि से काम लिया जाय तो यह इन्तजाम किया जा सकता है। गवर्नर महोदय ने तो बीमारी को पकड़ लिया है और उसे बताया है। हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिये तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चरित्र के बल से ही एक महात्मा गांधी ने सारे देश को उठा दिया तो क्या हम ४०० आदमी इस एक प्रान्त को भी ऊंचा उठा सकते हैं? जनता का आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है। आप उसे ऊंचा उठाने में पूरा प्रयत्न करें तो सब कुछ हो सकता है।

श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि माननीय राज्यपाल के भाषण में यह कह दिया है कि हम इस प्रान्त को स्वर्ग बनाना चाहते हैं परन्तु यह कहने की बात है। मैं आपके सामने यह कह देना चाहता हूं कि हमारा सूबा वास्तव में स्वर्ग के समान हो जायगा यदि यह हाउस यह चाहता है कि सचमुच हमारा प्रदेश स्वर्ग बन जाय। ऐसा हो जायगा इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी सरकार जो सुधार के कार्य करती है यदि उसमें नये-नये तरीके की अड़चनें व अड़गें डाले जाते रहे तो यह हाउस कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम जिस लक्ष्य को ले कर चले हैं उसमें हम कामयाब होंगे?

[श्री जयपाल सिंह]

ऐसी दशा में मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह की अड़चनबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर क्रियात्मक रूप से आप वह तजवीजें पेश करेंगे जो रचनात्मक हैं तो इस देश का भी भला होगा, आप का भी भला होगा और आपकी पार्टी का भी भला होगा। ऐसी दशा में मैं मुखालिफ बेंचों से यही अपील करूंगा कि नाना प्रकार के या उल्टे सीधे उदाहरण दे करके हाउस का वक्त जाया करना और बहस को एक ग़लत रास्ते पर लेजाना अनुचित है।

राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर मैं उनको एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय के भाषण से यह प्रकट होता है कि हमारी सरकार खेतिहर मजदूरों (लैंडलेस लेबरर) के लिये कुछ करने जा रही है और उनको सर्वप्रथम स्थान देने के लिये सोचती है। यद्यपि हमारे जमीदारी एबोलिशन ऐक्ट में उनको पांचवां या चौथा स्थान दिया गया है। अब मैं समझता हूं कि जल्दी ही जमीदारी एबोलिशन ऐक्ट में इस तरह की तरमीम आयेगी जिससे राज्यपाल महोदय के भाषण में जो चीज दी गयी है वह कार्यान्वित हो सकेगी। ऐसी दशा में मैं अध्यक्ष महोदय के जरिये अपने कैबिनेट के मंत्रिगण से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह का एक बिल जल्दी ही लाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं उस बिल के संबंध में यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो अधिवासी के हकूक की बात है उसमें भी कह देना चाहिये कि अधिवासियों को वही हकूक हों जो दूसरे काश्तकारों को हैं। काश्तकारों में आपस में भेद नहीं रखना चाहिये। यह कह देना चाहिये कि भूमि उसी के पास जानी चाहिये कि जो वास्तव में उसे जोतता है। यह न हो कि दूसरे लोग उसका उपयोग करते रहें और वह हमेशा एक तरह से गुलाम बने रहें जैसा कि अभी तक होता आया है।

बहुत से सदस्यों ने जमीन के बटवारे की बात कही है। मैं न तो ऐसे बटवारे में पड़ना ही चाहता हूं और न जमीन का बटवारा इस प्रकार हो ही सकता है। इस प्रकार का बटवारा नामुनासिब भी है और नामुमकिन भी है। इसके साथ-साथ में यह भी जानता हूं कि जमीन का ठीक तरह से प्रबंध कर देने से लाखों आदमियों को रोजी मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं जमीन उपलब्ध भी हो जाती है तो ऐसे लोगों को दी जाती है जो इधर-उधर के रहने वाले होते हैं और जिन्होंने न कभी खेत देखा है और न जोता है और न खेत पर मजदूरी की है। इस प्रकार के लोगों को पांच-पांच सौ और हजार-हजार बीघा जमीन दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरीके को रोकना चाहिये। जो असली जोतने वाले हैं (ऐक्चुअल टिलर) उनको जमीन दी जाय, जो खेत में मजदूरी करते रहे हैं उनको जमीन दी जाय। मैं सहारनपुर की बात कह सकता हूं कि वहां हजारों दरख्वास्तें पेंडिंग (विचाराधीन) पड़ी हैं, लेकिन वहां पांच-पांच सौ बीघा जमीन ऐसे लोगों को दी गयी है, जो दूसरे जिलों के, शहरों के रहने वाले हैं और जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं है। जिनकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं वे लोग या तो वहीं के रहने वाले हैं या एक आध मील दूरी के हैं। इस तरह की चीजों को बन्द करना चाहिये। जब वहीं के लोगों में जमीन बांटी जायगी तब हमारी समस्या हल होगी।

इसके अलावा हमारे यहां ग़रीबों की संख्या करोड़ों में हैं, इसलिये खाली जमीन के ऊपर निर्भर रहने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे यहां और दूसरे उद्योग-धन्धों की आवश्यकता है और उसके लिये काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। उद्योग-धन्धों में हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिये जरूरत यह है कि देहातों में जा कर उद्योग धन्धों को पूरे तरीके से कामयाब बनाया जाय। अगर हम उद्योग-धन्धों के मामले में पीछे रहेंगे तो भुखमरी की जो समस्या है, जैसा कि पूर्वी इलाकों में सुनाई देता है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा। जहां तक की दूसरी स्कीमें हमारे सामने आयी हैं उनसे देश के ऊंचा उठने की बहुत संभावना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम पूरे तरीक़े से उनमें कामियाब होंगे। हमारे लिये पांच साल का अर्सा बहुत काफी है और इतना है कि अपने देश को जहां हम देखना

चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे । लेकिन जो बात है वह यह है कि आज हम ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के बारे में यह शिकायत करते हैं कि मुक़द्दमें बहुत देर से होते हैं, वर्षों लग जाते हैं इन्साफ जल्दी और सस्ता नहीं है । इसकी जो वजह यह है कि आज हर जगह उच्च-जातीयता (कास्ट सुप्रेमेसी) बहुत ज्यादा है और उसी के आधार पर ग़रीब लोगों को तंग करने की ग़रज़ से सब मुक़द्दमों में देरी होती है । अगर हम यह बात सोच लें कि हमें इंसाफ करना है तो जल्दी हो जाय । सरकार के सारे ही Administration में और पुलिस में जातीय प्रभुत्व की सत्ता का बोलबाला है फिर इंसाफ कहां मिले ? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस कास्ट सुप्रीमेसी को दूर किया जाय । अगर यह चीज दूर नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि जो दिक्कतें हैं वे बनी रहेंगी ।

आज भुखमरी का जिक्र किया जाता है । भुखमरी तो सभी जगह है । मैं इस विषय पर विशेष जोर इसलिये देता हूं कि भुखमरी का सवाल हमेशा का सवाल है । देहातों के अन्दर मजदूरों की झोपड़ियों को देखिये कि उनको कितनी मजदूरी दी जाती है और उनका कैसे गुजारा होता है । मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) के बारे में बहुत ज़ोर दिया गया और कहा गया कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में उनको दो-दो, तीन तीन आने पर काम दिया जाता है । लेकिन मैं तो समझता हूं कि हजारों सालों से लोगों को छेः-छेः पैसे में गुजारा करना पड़ा और इस मंहगाई के जमाने में भी तीन-तीन और चार-चार आने में गुजारा करना पड़ रहा है । लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया । मिडिल क्लास के लोगों की तरफ़ लोगों का ज्यादा ध्यान है इसलिये कि वे बुद्धिमान भी हैं और शक्तिमान भी हैं । उन पर रहम है । ठीक है, उन पर रहम तो मैं भी कर सकता हूं । रहम तो एक राजा महराजा के ऊपर भी, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों न हो, उसके न रहने के बाद आ जाता है और उसके नजदीकी पड़ोसी भी कहते हैं कि एक राजा था, हमें रोज मिलता था । तो यह कोई नयी बात नहीं है ।

मैंने यह भी देखा कि जमीदारी विनाश के बारे में एक बात कही गयी कि पटवारी लोग हमेशा के लिये अपनी हुकूमत जमा लेंगे । मैंने तो यह देखा कि जितने पटवारी या नम्बरदार हैं उनकी हमेशा से हुकूमत रही है । इसलिये नम्बरदार को तो जल्द से जल्द मिटाना चाहिये, क्योंकि पटवारी तो सरकारी कर्मचारी है जिसके खिलाफ़ तो डिसिप्लिनरी ऐक्शन (अनुशासनीय कार्यवाही) भी लिया जा सकता है, लेकिन नम्बरदार के खिलाफ़ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता चाहे वह कुछ भी करें । आप देखें कि जिस वक्त पटवारी की नियुक्ति होती है तो रूल्स और क़ायदे के मुताबिक़ जब तक गांव के नम्बरदार बहुमत से यह न कह दें कि हम इसको नियुक्त करते हैं तो वह नियुक्त नहीं हो सकता है । तो ऐसी स्थिति है कि पटवारियों की नकेल नम्बरदार के हाथ में रहती है । अगर पटवारी उन जमींदार और उन समान बड़े काश्तकारों की हिमायत न करे और उनके अनुसार सब तरीके की कर्यवाही न करे तो वह ठहर नहीं सकता । तो यह चीज बिल्कुल गलत है और इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है हमारी सरकार ने हमारे सूबे में काफी काम किया है और जो समय गुजरा है उसमें ५०० से अधिक कालिजेज बन गये, इंटरमिडियेट कालिज बने । हर जिले में हमारे प्रयास का फल यह हुआ है कि कम से कम १० इंटरमिडियेट कालिजेज, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हर जिले में खोल दिये गये हैं और यह बात मैं इसलिये भी कानफिडेंस (विश्वास) से कह रहा हूं कि मैं एग्जामिनेशन कमेटी का सदस्य था । हमने किसी कार्यकर्ता को असन्तुष्ट नहीं किया और मान्यता करीब-करीब सभी स्कूलों को दी और ऐसी दशा में हमारे सूबे ने काफी उन्नति की है । जो संख्या हमारे इम्तहान देने वाले लोगों की है वह कई गुना बढ़ गयी है । पहले जो संख्या हजारों में गिनी जाती थी अब वह दो लाख के लगभग पहुंच गई है । तो ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि एजूकेशन के संबंध में हमारे सूबें में बहुत तरक्की हुई है । इसी तरह से हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसका भी विस्तार हुआ है । हमारे एक सदस्य ने बतलाया कि वह भी काफी तेजी से बढ़ी और हालांकि हमारे पास उतने फंड्स उपलब्ध नहीं हैं कि हम उसको पूरी तरह से

[श्री जयपाल सिंह]

कामयाब बना सकें, तो भी ऐसी दशा में हम और क्या कर सकते हैं ? मैं यह समझता हूं कि हमने चारों तरफ काफी उन्नति की है, साधनों को जुटाने में काफी उन्नति की है और मैं समझता हूं कि इन वाकयात के होते हुए इस तरह की दलीलों का देना और उनकी भरमार करना अनुचित है। इस तरह के कई संशोधन आये हैं। मैं यह कहूंगा कि एक लम्बी एक्सप्रेस ट्रेन में दो मनुष्य घनिष्ट मित्र होते हुए भी अलग अलग बैठते हैं वे मिल नहीं पाते हैं । तो इस तरह की दलीलें देना मुनासिब नहीं है और न ऐसे संशोधन लाना किसी के लिये उचित है, न हम लोगों के लिये और न और किसी के लिये उचित है। मैं यही कहना चाहता था ।

माननीय श्री चरण सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर या उनको धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर दो दिन से इस सदन में बहस चल रही है । आलोचकों की ओर से, अर्थात् हमारे विरोधी पक्ष की जानिब से बहुत सी बातें कही गयीं । खाद्य-स्थिति पर जो कि पूरब में आज विद्यमान है , उसके संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रश्न उठाये गये । जहां तक खाद्य स्थिति का संबंध है, मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त उसका जवाब देंगे और जहां तक आम प्रश्नों का या और आलोचनाओं का सम्बन्ध है, बहुत सम्भव है माननीय मुख्य मंत्री उन सब बातों का जवाब दें । मैं तो केवल भूमि नीति से जो आलोचना संबंध रखती है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

केवल चार पांच बातें कही गयीं। पहली बात यह कही गयी है कि बेदखलियां खोल दी गयी हैं और १७५ के मातहत शिकमियों को बेदखल किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह बात जो विरोधी पक्ष के नेता ने कही वह बहुत हद तक सही नहीं, केवल अंश में सही है । सन् १९४७ ई० के कानून के मातहत दफा १७१ जो कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की थी उसके मातहत जो लोग बेदखल हुये थे और उनकी जमीन जमींदारों ने बड़े-बड़े मुआविजे लेकर कुछ लोगों को उठा दी थीं तो उस सिलसिले में सन् १९४७ ई० में जब कानून बनाया गया तो उसके मातहत यह तय किया गया कि उन लोगों के पास जिनको जमीदारों ने नजराना लेकर जमीनें दे दी हैं तीन साल तक बहैसियत शिकमी जमीन रहेगी । अब तीन साल बीत गये, तो उनको बेदखल करने के लिये एक नोटिफिकेशन शाया किया गया है और उसके अधीन बेशक ऐसे लोग बेदखल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी क़िस्म के काश्तकार या किसी भी किस्म के शिकमी काश्तकार बेदखल नहीं हो रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि टेहरी-गढ़वाल, कुमायूं और सरकारी इलाकों में जमीदारी विनाशक कानून लागू नहीं किया गया । जमींदारी विनाशक और भूमि व्यवस्था कानून में साफ लिखा है कि कुछ दिनों के बाद अर्थात् जब यह कानून सारे प्रान्त में लागू हो जाय तब मर्ज्ड स्टेट्स (विलीन राज्य), गवर्नमेंट स्टेट्स और पहाड़ी इलाकों में जहां की भूमि व्यवस्था सारे देश और हमारे प्रान्त के ९० फीसदी हिस्से की भूमि व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है, ऐसे इलाकों में इसी कानून को जरूरी संशोधन के साथ, जिनको हम जरूरी समझेंगे, उनको पास करके कानून लागू कर दिया जायगा। टेहरी-गढ़वाल इस तरह उत्तर प्रदेश में ३० नवम्बर, सन् १९४९ ई० को शामिल हुआ जब कि ७ जुलाई, सन् १९४९ ई० को जमीदारी विनाशक एवं भूमि व्यवस्था बिल इस भवन में पास हो चुका था । लिहाजा उस वक्त जिस वक्त यह बिल बनाया गया मर्ज्ड एरियाज (विलीन क्षेत्रों) को इसमें शामिल करना संभव नहीं था । जैसा कि मैंने अर्ज किया गवर्नमेंमेंट स्टेट्स और पहाड़ी इलाकों की भूमि व्यवस्था में बहुत फर्क, बहुत अन्तर है। तो इस बिना पर किसी तरह की शिकायत करना मेरी समझ में बिलकुल नहीं आता । यह दूसरी बात है कि शिकायत शिकायत के लिये की जाय।

तीसरी बात यह कही गयी कि जबकि जमीदारी खत्म हो रही है तो मालगुजारी वसूल करने के साधनों पर काफी एहतियात बरती जाय । वह ऐसे साधन न हों जिनसे किसानों को किसी तरह की तकलीफ हो । इस सिलसिले में मैं यह समझता हूं कि भवन के सब सदस्यों को मालूम ही है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और बहुत गहरा विचार कर रही

है। गवर्नमेंट के सामने तीन चार रास्ते हैं और उन रास्तों में से हरएक के हक़ में और विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जा सकता है। हम इसकी अहमियत को पूरी तरह समझते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स, या मालगजारी, या लगान जो कुछ भी आप कहें बिना किसी बाधा के वसूल होता रहे, लेकिन साथ ही साथ जनता को, हमारे किसानों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैं यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी रास्ता बाद में मंजूर किया जायगा वह ऐसा होगा कि जो सर्वग्राह्य हो या कम से कम ऐसा हो कि किसानों को कम से कम तकलीफ हो और टैक्स भी आसानी से वसूल हो जाय।

फैजाबाद के एक माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कल जमींदारों के रिहैबिलिटेशन या उनके पुनर्वासन के सिलसिले में यह फरमाया कि फर्ज किया जाय कि उन्होंने कोई कुसूर किया हो तो किया हो लेकिन उनके बच्चों, स्त्रियों और उनके परिवार के सदस्यों ने क्या जुर्म किया है, क्या अपराध किया है, जिससे उनका कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें ? और अगर यह नीति गवर्नमेंट की रही और जमींदारों के कष्ट दूर नहीं किये गये तो उन्होंने एक इशारा किया था और वह यह है कि मजबूर हो कर उन लोगों को साम्यवाद की शरण लेनी पड़ेगी। जहां तक कांग्रेस और इस गवर्नमेंट की नीति का संबंध है, वह सब पर जाहिर है। वह नीति यह है कि हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जिनकी कमरें झुकी हुई थीं, आंखें धसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं और जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, उनकी हम कमर सीधी करना चाहते हैं, उनके सीने चौड़े करना चाहते हैं और उनके ऊपर जो बोझ लदा हुआ है उसको हम हटाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने उनकी यह दशा की हुई थी, हम यह भी मानते हैं कि वह जाती तौर पर मुजरिम नहीं हैं बल्कि वह उस सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं जो इस देश में कायम है। यह चीज तीन ही तरीक़े से खत्म हो सकती थी। एक तो तलवार से जैसा कि रूस और चीन ने खत्म की थी। यह रास्ता हमें मान्य नहीं है। दूसरा रास्ता वह है जिसका प्रचार हमारे विनोबा भावे जी कर रहे हैं। जैसा कि महात्मा जी ने कहा था कि किसान जमींदारों की जंजीरों को काटें लेकिन वह रास्ता हमारे जमींदारों को मंजूर नहीं है। अब केवल तीसरा रास्ता है क़ानून के जरिये। इसके जरिये से जितना भी मुमकिन हो सकता है हम अपने ग़रीब भाइयों को, दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को खूनी क्रांति से बचाना चाहते हैं।

आप यह देखें और सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने भी इस बात को अपने जजमेंट (निर्णय) में माना है कि जहां तक उत्तर प्रदेश के इस कानून का संबंध है वह इस प्रकार का है जिससे जमींदारों को ज्यादा शिकायत नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर इशारा किया जाता है साम्यवाद का तो उस इशारे से जितने भाई इधर के बैठने वाले हैं उनमें से कोई भी डरने वाला नहीं है। जहां तक साम्यवाद का ताल्लुक़ है वह ईस्टर्न (पूर्वी) यूरप में ही कामयाब हुआ है जहां डेमोक्रेटिक फौजों को लिक्वीडेट (समाप्त) कर दिया गया। लेकिन ऐसी सम्भावना हमारे यहां कतई नहीं है। चीन और रूस में जहां कि जमींदारी नहीं खत्म की गयी थी वहां जनता ने तलवार का सहारा लेकर सोशल आर्डर को पलट दिया..

श्री अवधेश प्रताप सिंह—On a point of personal explanation, sir.
(श्रीमान् जी, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।)

माननीय अध्यक्ष—There is no opportunity for this.
(इसका कोई अवसर नहीं है।)

माननीय श्री चरण सिंह—मैं अर्ज कर रहा था कि चीन और रूस में जमींदारी खत्म नहीं की गयी। इसलिये वहां पर किसानों ने क्रांति की और वहां साम्यवाद क़ायम हुआ। लेकिन हमारे देश में तो कांग्रेस ने सन् १९४६ से ही इस चीज का तहैया किया हुआ था और बहुत पहले से इसकी कोशिश जारी थी। यहां पर ऐसी बातें कहना नामाकूलियत है और वास्तविकता से दूर है। साम्यवाद तो वहां फैलता है जहां पर जमींदारियां खत्म नहीं की

[माननीय श्री चरण सिंह]

जाती हैं न कि उन जगहों पर जहां कि जमींदारियां खत्म कर दी गयीं हों। हमारे देश में साम्यवाद के फैलने की मुझे आशंका बिल्कुल नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है वहां साम्यवाद कभी नहीं फैलेगा बल्कि उसके खिलाफ एक जलती हुई मशाल हमेशा प्रज्वलित होती रहेगी क्योंकि जिस खूबी के साथ हमनें जमींदारियां अपने प्रदेश में खत्म कीं ऐसी किसी प्रदेश ने खत्म नहीं कीं।

किसानों के साथ जबर्दस्ती की गई है और दस गुना वसूल करने में जोर और जुल्म ढाये गये हैं जैसा कि मेरे एक मित्र ने, जो उधर के बेंचेज के बैठने वाले हैं, कहा था। जिन साहबान ने यह आपत्ति उठाई है वह या तो अखबार पढ़ते नहीं थे या जब यहां बहस हो रही थी तो उन्होंने किसी रोज यहां आ कर बहस सुनी नहीं। रोजाना यह बात कही गई कि किसानों के पास पैसा नहीं है और किसानों पर अत्याचार किये जाते हैं और बराबर ऐसे जवाब दिये गये कि जिनका कोई प्रतिवाद नहीं किया जा सका। मैं कुछ मोटे से आंकड़े अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं इसलिये नहीं कि वह कन्विन्स (विश्वास कर लें) हो जायें और अगर कन्विन्स हो जायं तो हाउस में इस बात को कहना छोड़ दें, बल्कि इसलिये ताकि सचाई उन लोगों के सामने एक बार फिर आ जाय। कहा यह जाता है कि छोटे किसानों के पास दाखिल करने के लिये बिलकुल रुपया नहीं था लेकिन मैं यह बतलाता हूं कि ३० जून, सन् १९५० ई० तक जो रुपया इकट्ठा हुआ उसमें जो अव्वल १५ जिले थे उन १५ जिलों में मेरठ और मुजफ्फरनगर को छोड़ कर बाकी १३ जिलों में उन लोगों ने जिन्होंने रुपया दाखिल किया वह वे लोग थे जिनका औसत लगान उस जिले के औसत लगान से कम था। अगर १०० रुपये उस जिले का औसत लगान है तो कहीं ९० रुपये या ७० रुपये जिनके लगान थे उन्होंने दाखिल किये तो इस तरह से यह साफ जाहिर है कि बड़े किसानों की बनिस्बत छोटे किसानों ने रुपये ज्यादा दाखिल किये। उन्होंने रुपये दाखिल किये जिनकी होल्डिंगज (जोतें) अनएकनामिक (अलाभकर) थीं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री के केवल दो मिनट रह गये हैं।

माननीय श्री चरण सिंह—क्या किसी भी स्थिति में आप ५ मिनट मुझे नहीं दे सकेंगे ?

माननीय अध्यक्ष—अब नियम बन गया है। मैं तो उससे बाध्य हूं जब तक नियम को सस्पेंड (निलम्बित) न किया जाय अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

माननीय श्री चरण सिंह—फिर इसके अलावा अगर किसानों में इस नीति से असंतोष था तो उस बात को भी एलेक्शंस ने जवाब दे दिया है और किसानों ने यह जाहिर कर दिया कि उनको यह क़ानून पसन्द है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि पूर्वी जिलों में से ७वें, ८वें, ९वें, और १०वें नम्बर के जिले बस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले ऐसे हैं जहां एक भी सीट कांग्रेस के अलावा दूसरे को नहीं मिली। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि जहां किसानों को अच्छी तरह से यह समझाया गया कि भूमिधरी का कानून तुम्हारे फायदे के लिये है वहां एक भी सीट कांग्रेस के हाथ से नहीं गयी। इससे एक नतीजा और भी बहुत स्पष्ट निकलता है कि जहां ज्यादा रुपया भूमिधरी के लिये दाखिल हुआ वहां किसानों के साथ कोई जोर और जुल्म नहीं किया गया और उन्होंने जोर और जुल्म की वजह से रुपया दाखिल नहीं किया।

रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि के पुनर्वितरण) की बात पर काफी जोर दिया गया है। उसके सिलसिले में बहुत से आंकड़े भी बतलाये गये हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि वे आंकड़े बिलकुल ग़लत हैं। कहा यह जाता है कि ६८ लाख खान्दान हमारे यहां हैं। मेरे मित्र ने जो आंकड़े लिखे हैं वे सन् १९४५ ई० के हैं। आज हमारे यहां ७३ लाख खानदान हैं। अगर एक खानदान में ५ आदमी हों या ४·८ आदमी मानें जायं तो १९३१ की जनगणना के अनुसार भी ७६ लाख परिवार हैं। खैर ७५ लाख, हों या ७३ लाख लेकिन ६८ लाख से कहीं ज्यादा

किसानों के परिवार हमारे यहां हैं। फिर यह बतलाया गया कि ४ करोड़ ७५ लाख एकड़ जमीन जेरकाश्त है, लेकिन यह भी बिलकुल गलत है। सन् १३५८ फसली के आंकड़ों के अनुसार ४ करोड़ ३८ लाख एकड़ जमीन जेरेकाश्त है। और यह कहना कि १ करोड़ २५ लाख एकड़ जमीन कल्टीवेबिल (जोतने योग्य) है यह भी बिलकुल गलत है। कल्टीवेबिल जमीन हमारे यहां ६५ लाख एकड़ कागजात में दर्ज हैं। इसके अलावा यह कहना मुश्किल है कि कितनी जमीन कल्टीवेबिल है। तो इस तरह से १ करोड़ २५ लाख एकड़ जमीन कल्टीबेविल हैं। अब इनके अलावा नहरों, नालों, नदियों और रेलों के अन्दर भी तो जमीन है वह जमीन कहां गई?

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री का समय समाप्त हो गया है।

माननीय श्री चरण सिंह—क्या मैं अपनी दरख्वास्त को दोहराऊं?

माननीय अध्यक्ष—आप नियम स्थगित करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। नियम सदन के ही बनाये हुये हैं उनको स्थगित करने का अधिकार मुझे नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने अपने विचारों को जो गवर्नर साहब के भाषण के संबंध में है उनको अर्ज करता हूं। गवर्नर साहब के भाषण को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसी बात मिले जिससे इस देश के सब से बड़े राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बाद अपने को मजबूर पाया और ऐसा मालूम हुआ कि परम्परा के मुताबिक जिस तरह से जैसे पहले गवर्नर साहब भाषण दे दिया करते थे उसी तरह का वह भी भाषण है। मेरा तजुर्बा किसी गवर्नर के भाषण को सुनने का नहीं हुआ है लेकिन उससे ज्यादा मैंने उसमें कुछ नहीं देखा। मैं तो एक किसान हूं। हिसाब जोड़ता हूं कि दिन भर काम करने के बाद मुझे शाम को मजदूरी क्या मिली। ६ महीने बाद खलिहान में जो फसल आयी उससे कितना गल्ला निकला। तो हमने पिछले ५ बरस के जमाने में इस हुकूमत के काम को देखा और उसके संबंध में जो अन्दाजा लगाया तो देखा कि उससे कुछ हम आगे नहीं गये। बदकिस्मती से गवर्नर साहब ने उस हुकूमत की बड़ी तारीफ की है और सब से अधिक तारीफ उस व्यक्ति की की है जो उस हुकूमत का सरदार है और आगे भी वह व्यक्ति सरदार हो रहा है। मैं उस व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर से बड़ी इज्जत करता हूं। उसकी रहनुमाई में मैंने अपनी जिन्दगी के बहुत से दिन गुजारे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज वह व्यक्ति इस मुल्क की रहनुमाई करने में मजबूर है और उसका कारण यह है कि वह शायद दुनिया के ऊपर की बात सोचते हैं। हमारी हालत क्या है उसे जानने में उनको कठिनाई होती है। मेरा जाती तजुर्बा है, मैंने दो तीन मर्तबा उनसे मुलाकात की है, मुलाकात करने से यह मालूम हुआ कि जो तकलीफ हमें है उसकी अनुभूति माननीय मुख्य मंत्री के दिल में नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो योजना माननीय मुख्य मंत्री के व्यक्तित्व से संबंध रखती हो उस योजना से इस मुल्क का कितना भला होगा उसमें हमें कुछ शुबहा है।

मैं एक बात खासतौर से अर्ज करता हूं कि हमारा सूबा खेती-बाड़ी वाला सूबा है, उसी पर सारे सूबे की भलाई बुराई निर्भर करती है। गवर्नर महोदय ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि इन ५ वर्षों में हमारी हुकूमत जो बहुत मेहनत रात दिन करती रही, उसने अनाज की पैदावार कितनी बढ़ाई। कृषि मंत्री, जो इत्तिफाक से माल मंत्री भी हैं उन्होंने कुछ आंकड़े हमारे सामने रक्खे जिसके लिये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। १९४२–४३ में जब विदेशी हुकूमत हमारे यहां थी उसके जमाने में कितना अनाज हमारे सूबे में पैदा होता था, उससे आज कितना अनाज बढ़ा। माननीय खाद्य मंत्री ने कुछ दिन पहले अगर मुझे ठीक याद है एक रेडियो ब्राडकास्ट (भाषण) पर कहा था कि ६ करोड़ ९३ लाख टन अनाज हमारे सूबे में पैदा होता है। एक करोड़ टन पैदा हुआ था सन् १९४४–४५ में जब अंग्रेजी हुकूमत थी और ९३ लाख टन का इस वक्त का औसत है। तो मैं नहीं समझ सका कि इस समय हमने कौन सी तरक्की की। कौन सी बड़ी करामात आपने की जिसके लिये गवर्नर साहब ने गवर्नमेंट

[श्री गेंदा सिंह]

की तारीफ शुरू करदी, बल्कि जो बनारस और टेहरी वगैरह रियासतें इस प्रांत में विलीन हो गई हैं उसकी १८ लाख एकड़ जमीन इस राज्य में शामिल हो गई है। अगर इस मिली हुई जमीन को देखा जाय तो मालूम होता है कि हमारे राज्य की पैदावार कम हो गई है। मैं नहीं कहता कि आपके आंकड़े गलत हैं मैं तो उन्हीं आंकड़ों पर चलना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े परम्परा मानने वाले व्यक्ति हैं। परम्परा यह है कि जो पटवारी ने लिख दिया वह माना जाय। राष्ट्रपति कहते हैं कि इन आंकड़ों पर विश्वास न करो नहीं तो नाव डूब जायगी। नाव तो डूबी ही जा रही है अगर आप इन आंकड़ों पर विश्वास करते चले जायेंगे और इन्हीं आंकड़ों के मानने के कारण आज यह हालत है। और हम आज यह भाप लेते हैं कि आप एक रत्ती भी आगे नहीं गये हैं। हां, आपके द्वारा आपके राज्य में कुछ तरक्की जरूर हुई है और उसको हमें मानना पड़ेगा। तरक्की शराब पीने में हुई है। कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं। अगर मैं उन्हें आपके सामने पेश कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। सन् १९३९–४० में कंट्री स्पिरिट (देशी शराब) जो बनी वह २,७५,०७५ गैलन थी और वही सन् १९५०-५१ में १०,०१५,२[illegible] गैलन बनी। मांग १९३९--४० में ८४,४२२ और सन् १९५०--५१ में १,६८,२२८ हुई, इसके लिये अगर आप यह भी देखें कि इम्पार्टेड लिकर्स (आयात मद्य) और इम्पोर्टेड वाइन्स (आयात मद्य) की क्या तादाद है तो भी आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसमें बड़ी तरक्की हुई है। कुछ क्राइम्स (अपराधों) में भी तरक्की हुई है, डकैतियां, चोरियां और रिश्वत-खोरी में भी तरक्की हुई है। किन्हीं जगहों पर यह भी कहा गया कि यह तो मंहगाई का जमाना है इसलिये रिश्वत ज्यादा मिलना चाहिये। इन सब चीजों में तरक्की हुई है।

मैं सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये से पूछना चाहता हूं कि उसने कितने आदमियों को अपने समय में रोजगार दिया है या बेरोजगार को जमीन दी या उनके लिये किसी रोजी का बंदोबस्त किया? यह तो कहा जा सकता है कि कानपुर से इतने मजदूर निकाले गये। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मजदूरों की छटनी न हुई हो। इन अगले ५ वर्षों के लिये भी बताया गया कि इन वर्षों में बेरोजगारों के लिये क्या किया जायगा। मुमकिन है मैं देहात का कम पढ़ा लिखा आदमी होने की वजह से कोई बात नहीं समझता होऊं, लेकिन अगर मुझे कोई समझाने की कोशिश करेगा तो मैं समझने के लिये तैयार हूं। मैंने अंग्रेजी में नहीं तो हिन्दी में जरूर ही पढ़ा है और मैं देखता हूं कि आज करोड़ों आदमी इस सूबे में ऐसे हैं जो खाने के बिना भूखों मर रहे हैं। उनकी रोजी का कोई ठिकाना नहीं है उनका क्या होगा? तो इस तरह पंचवर्षीय योजना की चर्चा है।

इटावा में पाइलट प्राजेक्ट की भी बड़ी चर्चा है। मैं सरकार का ध्यान इस पाइलट प्राजेक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके परिणाम की तरफ मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सर्वोदय सम्मेलन से कुछ साहबान छुट्टी पाकर इटावा गये थे और उन्होंने एक बहुत लम्बी आर्टिकल (लेख) लिखा है जो ४ मई के "पायोनियर" में प्रकाशित हुई है। अपनी तरफ से कुछ न कह कर उन्हींके शब्दों को आर्टिकल से पढ़ देना मुनासिब होगा।

माननीय अध्यक्ष—मैं अखबारों की कटिंग वगैरह पढ़ने की इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदा सिंह—मैंने उस तारीख के अखबार का जिक्र कर दिया है और मैं चाहूंगा कि जो उसे देखना चाहते हैं देख लें, लेकिन उनकी यह राय है कि वह बिलकुल एक बेकार सी चीज है। वह गांव के लोगों को तरक्की देने के बजाय पीछे की तरफ ढकेल रहा है, जैसा कि मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि विदेशी लोगों के हाथ में जो हिन्दुस्तान के बारे में कत्तई एक हरूफ भी नहीं जानते हैं इन गांव वालों को छोड़ दिया जो बिलकुल बेकार सी चीज है। तो मुझे यह डर लगता है कि इस तरह की प्लानिंग (नियोजन) का जिसमें करोड़ों और अरबों रुपये खर्च होने जा रहे हैं, आगे क्या होगा इस पर भी गौर करना चाहिये।

जिन गांधी जी के भरोसे पर आज हुकूमत यहां चल रही है, जिन गांधी जी के नाम के बल पर आप हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं का कहना था कि जिस प्लानिंग में लोगों को रोजी देने का बन्दोबस्त न हो उस प्लानिंग का मतलब ही क्या है ? प्लानिंग कमेटी में यह बात कही गई है कि "उपज बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ" लेकिन उपज कैसे बढ़ेगी ? इसके ऊपर तो बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। इस लिये मैं उस सम्बन्ध में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में मै जल्दी में कुछ कह देना चाहता हूं। और वह यह है कि हमारे यहां खाद्य मंत्री जी भी तशरीफ ले गये थे। मैं खुद देवरिया में उनके साथ था। मैंने सोचा कि मुझे माननीय मंत्री जी के साथ रह कर उनसे कुछ अपनी बातें सुनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जिले के हाकिमों की तरफ से ऐसे नक्शे बनाये गये थे कि उनको जिले की खूबसूरत जगहों पर ही ले जाया जाय। मैंने खाद्य मंत्री जी से कहा था कि आप पडरौना को और जिले के उस हिस्से को भी देखिये जहां लोग आधा पेट खाकर भूखों मर रहे हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां मंत्री जी नहीं गये। हां, बाजार उनको दिखलाया गया और बाजार के बाद कुछ गांव भी उनको दिखलाये गये जहां पर आस्टेरिटी प्राविजन्स [सस्ता अनाज] स्कीम की बड़ी धूम है। लेकिन उस ए० पी० स्कीम की हालत यह है कि लोगों के पास राशन कार्ड रहते हुये भी अनाज नहीं मिलता है। राशन कार्ड भी पटवारियों ने बगैर रुपये लिये हुये गांव वालों को नहीं दिये है। इस तरह से उस स्कीम की जैसी छीछालेदर हो रही है उसका कुछ कहना नहीं है। लोगों के पास राशन कार्ड्स मौजूद है लेकिन उन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है।

इसी तरह से टेस्ट वर्क के लिये साढ़े सत्रह लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई है। लेकिन कहा जाता है कि बस्ती के तहसीलदार के लड़के और बच्चे तक खेतों में काम करने के लिये जाते हैं जहां पर उन्हें एक दिन के लिये आठ-आठ आने पैसे दिये जाते हैं। इस तरह से ३५ लाख की आबादी के लिये यह रुपया तो दो दिन के लिये ही काफी होगा।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जितना समय आपने जवाबों के लिये रखा है और जितनी बातें मेरे ३-४ विभागों के संबंध में कही गई हैं इतने थोड़े समय में उन सारी बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा। तब भी मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि मोटी-मोटी बातें जो कि उन विभागों के संबंध में, जिनसे मेरा मंत्री होने के नाते संबंध है, कही गई हैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूं। चार विभाग जिनसे मेरा मंत्री होने के नाते संबंध है उनसे आप परिचित ही हैं। सबसे पहले मैं मेडिकल (चिकित्सा) विभाग के बारे में जो ३, ४ एतराज हमारे साथियों ने किये हैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं। पहला एतराज टेहरी के महा राजकुमार श्री बालेन्दुशाह ने किया कि जब से टेहरी स्टेट यू० पी० में मर्ज (विलीन) हुई है, अन्य और बातों के अलावा जिनकी शिकायत उन्होंने की है, वहां पर जो सिविल सर्जन की जगह थी उसको तोड़ दिया गया है। यह बात सच है कि वह जगह तोड़ दी गई। वह तोड़ी गई है डाइरेक्टर की सिफारिश पर क्योंकि उनके अनुभव में यह आया कि वहां के क्षेत्र में सिविल सर्जन के लिये कोई काम ही नहीं है और इसलिये वहां के सिविल सर्जन के पद को देहरादून के सिविल सर्जन के साथ जोड़ दिया गया। एक महीने से अब हम इस बात पर फिर विचार कर रहे हैं कि टेहरी-गढ़वाल में स्वास्थ्य संबंधी बातों को बढ़ाने के लिये वहां फिर से सिविल सर्जन को नियुक्त करें। मुझे आशा है कि एक आध महीने के अन्दर फिर से वह पोस्ट कायम कर दी जायगी।

उनकी शिकायत कपड़े के संबंध में भी है। उन्होंने जिस ढंग से उन बातों को इस भवन के सामने उपस्थित किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वह हमारे सदन के एक नये सदस्य हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपनी बातों को भवन के सामने रखा वह एक सराहनीय ढंग है और उसको सबने पसंद किया। हम उन बातों का जिनसे हमारे विभाग का संबंध है स्वागत करते हैं और करेंगे। मैं अभी कह रहा था कि कपड़े के सम्बन्ध में एक

[माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त]

उपहास की बात उन्होंने हाउस के सामने रखीं कि टेहरी एक गरीब क्षेत्र हैं। वहां के रहने वाले लोग गरीब हैं, लेकिन जब से वह स्टेट मर्ज हुई है तब से सरकार ने वहां सुपरफाइन और फाइन कपड़ा भेजना प्रारम्भ कर दिया है। जहां तक मेरे सामने आंकड़े हैं मैं यह कह सकता हूं कि यह बात तथ्य से परे है। अक्तूबर और मार्च में जो बेल्स (गांठें) टेहरी भेजी गईं उनके आंकड़े देखने से पता चलता है कि ९०० बेल्स टेहरी भेजी गईं उनमें ७०० बेल्स कानपुर के कपड़े की थी और २०० कुछ अधिक बेल्स एक्स यू०पी० (उत्तर प्रदेश के बाहर की) मिल की थी जिनमें फाइन और सुपरफाइन कपड़ा होता है। कानपुर की मिलों तथा हमारे प्रदेश की और मिलों का जो कपड़ा भेजा जाता है वह मोटा कपड़ा होता है। इसलिये उनका यह कथन कि टेहरी के रहने वालों के लिये फाइन और सुपरफाइन कपड़ा भेजा गया सही नहीं है। फिर मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जब टेहरी स्टेट यू० पी० में सम्मिलित नहीं हुई थी तब दरबार की तरफ से यह मांग हमारे पास आई थी कि स्टेट के लिये फाइन और सुपरफाइन कपड़ा भी भेजा जाय। इसी कारण से वह प्रथा सुपरफाइन और फाइन कपड़े की भेजने की अभी चली आती है। इस फाइन कपड़े की मांग को हम बाहर से कपड़ा मंगा कर पूरा करते हैं। बाहर की मिलों का कपड़ा फाइन और सुपरफाइन होता है और जब वह हमारे प्रदेश में आता है तो उसको इस तरह से बांटना पड़ता है कि वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर जगह पहुंच जावे और मोटे कपड़े की जिसकी कमी है वह भी हर जगह पहुंच सके। अगर फाइन और सुपरफाइन की बेल्स वहां जा रही हैं तो वह उस प्रथा के अनुसार ही है, जो दरबार के जमाने से वहां चली आरही है।

प्रांत की खाद्य समस्या से जो बातें संबंध रखती हैं उनके विषय में मैं इस समय कुछ अधिक तो नहीं कह सकूंगा। केवल इतना कह देना चाहता हूं कि अभी डेढ़ महीना हुआ मैं इस सिलसिले में सदन में भाषण दे चुका हूं और जो मोटी मोटी बातें थीं वह भी सदन के सामने रख चुका हूं, परन्तु इस विषय पर आज भी कुछ कहने की आवश्यकता मालूम होती है। शिकायत है कि पूर्वी जिलों में खाद्य समस्या विकट होती जा रही है और मैं समझता हूं इस विषय में कोई दो राय भी नहीं हो सकती। मैं इस बात को सदैव कहता हूं और आज भी कहता हूं कि इधर कुछ वर्षों से जो हालात प्रकृति ने पैदा कर दिये हैं उनका मुकाबिला करना हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन उसका मुकाबिला हम अपने कार्यों से कर सकते हैं केवल तरीकों से मुकाबिला नहीं किया जा सकता। हममें से कौन नहीं जानता कि बहुत से स्थानों पर दो सालों से वर्षा नहीं हुई है और बहुत सी जगहों में जहां पर वर्षा हुई भी, वहां पर बहिया ने नुकसान कर दिया है। कौन नहीं जानता कि पाले ने भी इस प्रदेश में गल्ले को नुकसान पहुंचाया है? यह तमाम परिस्थितियां इन तीन सालों में हमारे ऊपर गुजरी हैं। सन् १९५०-५१ में करीब ८ लाख के गल्ले की पैदावार कम हुई। जहां उत्पादन ज्यादा होता था वहीं बहिया के कारण नुकसान हुआ। सन् १९५१-५२ ई० में क्या परिस्थिति रही? कौन नहीं जानता कि बरसात बहुत सी जगह नहीं हुई और जो हुई भी वह जितनी गल्ले के लिये चाहिये उस से कम हुई और उसी के कारण उपज नहीं हुई? उसके बाद सूखा आया और उसका नतीजा यह हुआ कि उन क्षेत्रों में करीब ५० फीसदी पैदावार कम हो गई और 'अरली पैडी' (जल्दी आने वाले धान) की पैदावार जो ९ लाख टन के करीब होना चाहिये थी वह केवल ३ लाख टन ही रह गई और इस का लाजमी नतीजा यह हुआ कि उन क्षेत्रों में गल्ले की अधिक से अधिक कमी हो गई। 'आस्टेरिटी प्राविजन स्कीम' के अन्तर्गत जहां १९५०-५१ में केवल दस लाख टन गल्ला बांटा गया था। वहां हम इस वर्ष अब तक १८ लाख टन बटवा चुके हैं। ६२ या ६३ दुकानें गल्ला बांट रही हैं। यदि इन क्षेत्रों में अधिकारीगण कभी कभी गलतियां करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे सरकार की बदनामी होती है और खासकर

पटवारी जब ऐसी बातें करते हैं, तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं और शिकायत पैदा होती है। अब हमने इस विषय में नये आदेश जारी किये हैं।

अभी जिस दौरे का जिक्र हमारे भावी खाद्य मंत्री ने किया उसमें मैं उनके साथ गया था। वहां मैंने देखा कि पटवारी ने बेईमानी की है। उनके सम्बन्ध में हमने आदेश जारी किये हैं। मैं देखता हूं कि जहां वितरण का सवाल इतनी गम्भीरता लिये हुये है वहां हम यदि सही तरीके से वितरण करना चाहते हैं तो उसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी। जो कर्मचारी बेईमानी या गलती करता है उसे पकड़ने के लिये या उसे रफा करने के लिये यह जरूरी है कि हमें उन तमाम संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त रहे जो इस कार्य में हिस्सा ले सकते हैं और जिनमें इस प्रकार के कार्य करने की क्षमता हो। हम बेईमान सरकारी कर्मचारियों को सजा देते हैं और नौकरियों से भी निकालते हैं। इसके बावजूद भी यदि ऐसे कर्मचारी हमारे बीच हैं तो उनके ऊपर आज विजीलेंस (देखभाल) रखने की जरूरत है। जहां हमारे अफसर इस कार्य को करते हैं वहां यह भी आवश्यक है कि पंचायतों के पंच और सरपंच इसमें हमारी सहायता करें।

खाने की समस्या अवश्य शोचनीय और गम्भीर हैं। परन्तु हमने बराबर इस बात की चेष्टा की है कि इस शोचनीय परिस्थिति में गांव वालों के लिये हम अधिक से अधिक सुविधायें दें। आज गांव वालों को सबसे बड़ी दिक्कत बीज की है और हमें भी बीज हासिल करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्यों कि जहां से हम बीज लिया करते थे वहां वह कम पैदा हुआ है। नैपाल से नाज या बीज लाने की पहिले इजाजत नहीं थी। परन्तु बहुत कोशिशों से हम वहां से २० हजार मन अर्ली पैडी लाकर के दे चुके हैं और ८० हजार मन और लावेंगे। बिहार से भी कुछ बीज प्राप्त किया जा रहा है और इस प्रकार २ लाख मन अर्ली पैडी का बीज बांट सकेंगे। हमारी यह भी कोशिश है कि उन क्षेत्रों में "आस्टैरीटी प्रावीजनिंग" अधिक से अधिक मात्रा में फैलायें। मैं उन गांवों में तीन दिन तक सुबह से शाम तक घूमा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास १/२ महीने के लिये खाने को है और कुछ ऐसे हैं जो रोजाना की कमाई से अपना काम चलाते हैं। उनके लिये टेस्ट वर्कस खोले जा रहे हैं।

कमी के क्षेत्रों में कीमतों के बारे में जो कहा गया, उसके लिये मेरा मत है कि कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। यदि वहां गल्ले की इतनी कमी होती जितनी बताई जाती है तो कीमतें जरूर बढ़ती। बहुत से क्षेत्रों में वहां गेहूं डेढ़ सेर के हिसाब से मिलता था वह अब २ सेर के हिसाब से मिल रहा है। चना २ सेर २ छटांक के बजाय २ सेर ६ छटांक मिल रहा है। ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? इससे यही प्रकट होता है कि जितनी कमी बताई जाती है उतनी है नहीं। लेकिन यह सही है कि कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनका रोजमर्रा का काम रोजमर्रा की कमाई से ही चलता है। वे अपनी रोजमर्रा की कमाई से खरीद कर अपना काम चलाते हैं। उनके लिये टेस्ट वर्कस जारी किये हैं। उनकी तकलीफों के बारे में हमें एहसास है।

यह सत्य है कि जिस समस्या का मुकाबिला आज इस कठिन समय में हमें करना पड़ रहा है वह एक काफी बड़ी समस्या है और वह सबके सहयोग से ही हल हो सकती है। उसमें राजनीति का दखल यदि हम देंगे तो उसको हम हल नहीं कर सकेंगे। इस लिये मैं फिर से इस भवन के अन्दर इन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं जिन का जिक्र मैंने समय-समय पर यहां किया है। आज खाद्य समस्या का हल करने में हर एक दल के कार्यकर्ता को हर दल के नेता को हमारी मदद करनी है, हमारे साथ सहयोग करना है। तभी हम इस समस्या का हल निकाल सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे, वर्ना हम इस समस्या का हल इतनी शीघ्रता के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साधन बहुत कम हैं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष बहुत सी टिप्पणियां संशोधन के रूप में रखी गई हैं। उन संशोधनों की प्रतिलिपियां पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि यह जो संशोधन सदन के सामने रखे गये हैं वे केवल विरोध के हेतु रखे गये हैं।

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

उदाहरण के रूप में मैं आप के सामने बतला देना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के योग्य नेता ने यह संशोधन रखा कि हमारे राज्यपाल जी के संबोधन में वे कारण नहीं बतलाये गये जिनकी वजह से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में देरी हुई, हमारे देश की और इस प्रांत की जनता भली भांति जानती है कि जमींदारी कानून के कार्यरूप में परिणत न होने के क्या कारण थे। हमारे काश्तकार जानते हैं कि जिस दिन से हमारी सरकार ने इस जमींदारी कानून को पास किया उसी दिन से मुक़दमेबाजी छिड़ गयी और करीब दो साल के हाई कोर्ट में और फेडरल कोर्ट में वह मुकदमेबाजी चलती रही। ऐसी दशा में जिस चीज को आम जनता जानती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे विरोधी दल के योग्य नेता के ध्यान में वह बात नहीं होगी।

इसके बाद हमारे विरोधी दल के एक साथी ने यह बतलाया कि पंचायत राज टैक्स राज्य है। इन शब्दों का दुरुपयोग उसी प्रकार किया गया जैसे कि विरोधी दल पुलिस राज्य या मिलिटरी राज्ज के शब्दों का दुरुपयोग कर दिया करता है। यह पंचायत राज जो वास्तव में यहां पर आया उससे महात्मा गांधी के स्वप्नों की पूर्ति हुई। हमारा पंचायत राज नहीं होता तो आज हमारे ग्रामवासी अपने को स्वावलम्बी नहीं समझते। जो उनका हजारों रुपया मुकदमें में जाता था, उससे वे छुटकारा पा गये हैं। कहा गया है कि टैक्स लगाया जाता है और टैक्स की वजह से हमारी जनता परेशान है। मैं तो यह कहूंगा कि कोई शासन बगैर टैक्स के नहीं चल सकता है। अगर सचमुच आप पंचायत राज को चलाना चाहते हैं तो हमारी जनता को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। जब अभी वहां कोई विशेष रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है और पंचायत राज का संचालन ही ठीक प्रकार से आरम्भ नहीं हुआ है तब भी यह कहा जाता है वह टैक्स राज है। तो जब वहां पर ग्राम सभायें, स्कूल खोलेंगी, शफाखाने खोलेंगी, सफाई का काम करेंगी तब तो और भी अधिक रुपये की आवश्यकता होगी। इस लिये यह जो उदाहरण दिया गया, इस से प्रतीत होता है कि ये जो संशोधन हैं ये टीका टिप्पणियों के रूप में हैं और केवल विरोध के लिये हैं।

हमारे एक और साथी बोले जिनको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं सका कि वे कांग्रेस पार्टी के थे या विरोधी दल के थे। हमारा राज्य असाम्प्रदायिक घोषित हो चुका है परन्तु फिर भी हमारे योग्य बुजुर्ग को यह संदेह है कि हमारे देश में अभी तक कम्युनलिज्म या साम्प्रदायिकता है। मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश से साम्प्रदायिकता बहुत हद तक मिट गयी है। अगर ऐसा न होता तो आज इस सदन में हमारे बहुत से सदस्य जो बैठे हुये हैं उनका चुनाव नहीं हो सकता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिकता इस हद तक हट गई है कि अगर हमारे सदस्य लोग आंकड़े उठायें तो पता चलेगा कि चुनाव में हिन्दू जनता ने जो वोट दिये वे माइनारिटी कम्युनिटी (अल्पसंख्यक जाति) के उम्मीदवार को हिन्दू उम्मेदवारों की अपेक्षा अधिक दिये तो जो उनका डर केवल एक भ्रम है और मैं अपने बुजुर्ग से जो मुझे बुजुर्ग मालूम पड़ते थे, यह कह देना चाहता हूं कि ऐसा डर वह भविष्य में न करें।

राज्यपाल जी ने जो सम्बोधन इस सदन के सामने दिया है उसमें यह बतलाया गया है कि सरकार पांच साल के अन्दर क्या करने जा रही है। यह कहा गया कि उसमें पिछली बातों का वर्णन नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि पिछली बातों का वर्णन किया जाता तो जो सम्बोधन आज आपके १६ पेज का दिखायी देता है वह सैकड़ों पेज का होता। वह तो एक नीति है जो सरकार पांच साल के अन्दर करने जा रही है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की काफी उन्नति हुई है। १५ अगस्त, सन् १९४७ ई०, को जितने हमारे स्कूल थे उनसे दुगने स्कूल आज हम

पाते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री की नीति है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यापक हो। लेकिन मैं तो यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि शिक्षा को व्यापक ही न किया जाय, बल्कि कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय। यदि रुपये के अभाव के कारण निशुल्क न की जा सके, समय की पुकार है प्रारम्भिक शिक्षा शीघ्र से शीघ्र अनिवार्य कर दी जावे। युनिवर्सिटी एजूकेशन में हमारी रुचि इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये जितनी कि प्रारम्भिक शिक्षा में होने की आवश्यकता है। अगर प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय तो हमारे प्रदेश के निवासी अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं और सचमुच जो जनतंत्र आज हमारे देश में घोषित हुआ है वह सफल हो सकता है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा यदि वह रुपये के अभाव के कारण निःशुल्क नहीं की जा सकती तो अनिवार्य तो कर ही दी जाय।

दूसरा जो हमारे राज्यपाल जी ने कृषि के संबंध में संकेत किया है तो हमारे प्रदेश में कृषि की भी काफी उन्नति हुई है। हजारों मेसेनरी वेल्स (पक्के कुंयें) बनाये गये हैं, काश्तकारों को जो तकावी के रूप में रुपया सरकार से मिलता है उससे वे कुंयें बनवाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो तकावी का रुपया दिया जाता है उसपर साढ़े चार फीसदी ब्याज लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ब्याज न लिया जाय क्योंकि किसान को जमीन तोड़ने में, कुंयें बनवाने आदि में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ब्याज न लिया जाय तो हमारा काश्तकार अधिक से अधिक तादाद में तकावी को लेने के लिये तैयार होगा। इसके अलावा हमारे बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो ब्याज के रूप में तकावी का रुपया नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर ब्याज न लिया जाय तो हमारी सरकार की बड़ी कृपा होगी।

जहां तक हमारे स्थानीय प्रशासन का संबंध है, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम थे और अब भी कायम हैं। लेकिन हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो प्रबन्ध हुआ वह आम तौर से ठीक नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में शफाखाने थे, स्कूल थे, बाड़े थे। जहां तक स्कूलों का संबंध है, वहां पर डिप्टी इंसपेक्टर रहा करते थे, जोकि अधिकतर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल चलाया करते थे, उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अब तक चलाते ही हैं, लेकिन हमारे शफाखाने की यह हालत है कि वहां पर दवायें नहीं होतीं। जो शीशियां होती हैं वह खाली पड़ी रहती हैं। जहां बाड़ों का सवाल है वह कोई ऐसी महत्व की चीज नहीं है भले ही वह जरूरी हो। इसी तरह से अब पंचायतें हमारे प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं। हमारी सरकार के ध्यान में जो सुझाव है जिसका संकेत संबोधन में भी मालूम हुआ कि घनिष्ट संबंध पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर स्थापित किया जाने वाला है, इस सम्बन्ध के स्थापित होने के बाद मैं समझता हूं कि हमारा जो प्रशासन है वह मजबूती पकड़ेगा और जनता के हित में काफी लाभ हो सकेगा और गांव समुदाय को जिला बोर्ड उठाने में जो उनका मुख्य कार्य है उसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी।

जहां तक न्याय सम्बन्धी सुधारों का संबंध है जैसा कि संबोधन में कहा गया है, हमारी सरकार ने हाल ही में एग्जिक्युटिव (प्रबन्ध कर्तागण) और जुडीशियरी (न्यायकर्तागण) का सेपेरेशन (पृथक्करण) किया। यह जरूर है कि कुछ कठिनाइयों के कारण पूरी तरह से नहीं कर पाई। बड़ा अच्छा हो अगर कम्पलीट सेपेरेशन (पूर्ण पार्थक्य) हो जाय। अभी तक हमारे यहां अडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उनके अन्तर्गत हमारी जुडिश्यरी काम करती है। बहुत से जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों से बात चीत करने से पता लगता है, वे कहते हैं हम स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। हम हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेसी के अन्दर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमारा कुछ संबंध रहता है। ऐनुवल (वार्षिक) रिपोर्ट्स हैं, करेक्टर एंटरीज (चाल चलन का प्रविष्टियां) हैं वर्क एंटरीज (कार्य का प्रविष्टियां) है वह सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किया करता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से संबंध रहता है।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

अगर हम कोई स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की कोशिश करते हैं और वह करते भी हैं, और पुलिस के खिलाफ फैसला करते हैं तो पुलिस की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है और वहां पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा सरकार से यह सुझाव है कि शीघ्र से शीघ्र जुडिशियरी एग्जिक्यूटिव से पृथक् कर दी जाय।

जहां तक न्याय शासन का सवाल है, वह मैंने आपके सामने रखा। संबोधन में और भी बातें रखी गई हैं। हमारी सरकार की अगले पांच वर्षों में क्या नीति होने जा रही है उस संबंध में बातें रखी हैं और क्या महत्वपूर्ण योजनायें हैं जिनको सरकार कार्य रूप में परिणत करने का जा रही है। हमारे विरोधी भाइयों और जनता का यह कर्त्तव्य है कि सरकार को वह अपना सहयोग दें और जो टीका टिप्पणियां संशोधनों के रूप में हुई हैं उनपर ध्यान न दें, बल्कि मैं तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनको वापस ले लिया जाय।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मेरी मुसीबत यह है कि इस समय मेरे पास जो दो विभाग हैं उनके सम्बन्ध में तो मुझे कुछ निवेदन करना ही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग का जो पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) हुआ है उसके बारे में भी कुछ मुझको ही कहना चाहिये, क्योंकि अब तक तो उससे मेरा ही सम्बन्ध था। मैं पहले शिक्षा से ही शुरू करता हूं। ज्यादा बातों का जिक्र नहीं करूंगा।

अभी हाल में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट को अपने सामने यह लक्ष्य रखना चाहिये कि शिक्षा केवल व्यापक न हो जाय, बल्कि निःशुल्क भी हो। मैं उनको इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आज से पांच वर्ष पहले हमने प्रारम्भिक शिक्षा की नयी योजना को स्वीकार किया, उस समय हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ध्येय यही है और हमने अपने सामने यह चीज रखी थी कि पांच वर्ष में हम उत्तर प्रदेश में यह चीज करके दिखा देंगे। दुर्भाग्य से आर्थिक संकटों के आने से पिछले दो वर्षों में हमारी गति धीमी पड़ गयी। कुछ क्या, काफी धीमी पड़ गयी। जहां हमने हर साल चार सौ नये प्रारम्भिक स्कूल तीन वर्ष तक खोले वहां पिछले दो वर्षों में २५० स्कूल प्रतिवर्ष खोले जा सके। फिर भी हम दूसरे प्रदेशों से आगे हैं और जैसा कि महामान्य राज्यपाल ने कहा है हमको इस बात का विश्वास है कि इन पांच वर्षों के भीतर ही इस काम को हम कर लेंगे और फिर भी दूसरे राज्यों से आगे रहेंगे। जब हम इतने स्कूल खोलने की बात करते हैं तो निश्चय ही हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र का प्रत्येक बालक उनमें पढ़ने आये और जब प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल में लाना चाहते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि उनको फीस देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। हम लड़कों को पढ़ने के लिए तभी मजबूर कर सकते हैं जब कि उनके माता पिता को फीस देने के लिए मजबूर न किया जाय। मैं इस बात की आशा करता हूं कि हम पांच वर्षों के भीतर अपने राज्य में इसे करके दिखला देंगे। और बातों का जिक्र न करके शिक्षा के सम्बन्ध में केवल एक चीज का जिक्र करूंगा। अध्यापकों के वेतन की चर्चा यहां की गई है। यदि महामान्य राज्यपाल के भाषण में इसका जिक्र नहीं है तो उसका कारण यह नहीं है कि इस प्रश्न को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि इस विषय की चर्चा इस सदन में और दूसरे सदन में एक नहीं अनेक बार हो चुकी है और पुनरुक्ति से कोई विशेष लाभ नहीं होता। मेरा अपना खयाल है कि जिस चीज की चर्चा कई बार हो चुकी है और जिसके सम्बन्ध में

कोई नयी बात न कहनी हो, उसके सम्बन्ध में इस सदन का समय लेना महामान्य राज्यपाल ने उपयुक्त न समझा।

अध्यापकों का वेतन कम होना या जो कुछ भी उनको वेतन मिलता है उनको वह समय पर न मिलना यह हम सब के लिए दुःख और लज्जा की बात है। जो कोई भी राज्य या समाज अपने अध्यापकों को ठीक तरह से वेतन भी नहीं दे सकता, या जो कुछ भी उनका वेतन कम या ज्यादा है उसको ठीक समय पर उनको पहुंचा नहीं सकता वह समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे लिए यह बहुत अफसोस की बात है कि हम अध्यापकों को उनकी सेवा के अनुरूप उनका वेतन स्थिर नहीं कर सके हैं और न समय पर दे पाते हैं। इस समय हो यह रहा है कि ज्यादातर प्रारम्भिक स्कूल स्थानीय संस्थाओं और विशेष कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में हैं। उनके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलती है। गवर्नमेंट से ग्रांट जाती है, मान लीजिये जुलाई में ग्रांट दी गयी तो वह मुश्किल से जनवरी, फरवरी, मार्च की तनख्वाह दे पाते हैं। तीन चार महीने की फिर भी तनख्वाह बाकी रहती है। यह दशा बहुत समय तक नहीं चल सकती है। यह प्रश्न गवर्नमेंट के सामने है।

कल इस बात का जिक्र हुआ कि पंचायत के सेक्रेटरियों का प्रबन्ध नहीं है। प्रबन्ध कहां से हो, पंचायत दे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दे, या गवर्नमेंट दे, यह तो ब्यौरे की बात है। लेकिन किसी न किसी तरह से किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा उनका वेतन वितरण होना चाहिए। यह बात हमारे सामने है। किसी प्रकार हमको आमदनी का रास्ता निकालना है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आमदनी का रास्ता कहिए, पंचायत की आमदनी का रास्ता कहिए, जैसा कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है "प्युपुल हैव टु टाइटेन देअर बेल्ट्स" हम सबको कमर कस कर तैयार रहना है, जनता को तैयार रहना होगा। स्वराज्य का मूल्य कहिए, अभिशाप कहिए, या देन अथवा प्रसाद कहिए, सब को तैयार रहना होगा। बहुत जोरों से गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है और इसका रास्ता जरूर निकाला जायगा जिससे आमदनी बढ़े और जो दुर्वव्यवस्था है उसको दूर किया जायगा।

पुलिस विभाग के संबंध में बहुत सी बातें कही गईं। मुझे पुलिस की प्रशंसा करके सर्टीफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यह सही है कि कई बातों में मैं अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गर्व करता हूं। हमारे यहां की पुलिस का डिसिप्लन (अनुशासन) बड़ा ही अच्छा है। देश के कई भागों में दुर्व्यवस्था हुई। वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को भेजा गया और इसने वहां पर सुव्यवस्था स्थापित की। उदाहरण के लिये मैं आप लोगों के सामने हैदराबाद को लेता हूं वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुव्यवस्था कायम की। जहां तक पुलिस के उच्च अधिकारियों का संबंध है उनमें उच्च शिक्षा होने की वजह से और कर्तव्य निष्ठा होने की वजह से स्वराज्य होने के बाद उनके स्वभाव पर भी बहुत काफी असर पड़ा है। मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि उनके विचार पहले से बहुत बदले हुये हैं। लेकिन यह अवश्य है कि सारी बात एक दिन में नहीं बदल जाया करती है। नीचे के अफसरों में कई कमियां हैं लेकिन पुलिस के आदमी भी हमारे ही घर के आदमी हैं। "Noble people cannot have ignoble machinery of Government and ignoble people cannot have a noble machinery of the Government."

[अभिजात मनुष्यों की सरकार का संघटन अनभिजात नहीं हो सकता और अनभिजात लोगों की सरकार का संघटन अभिजात नहीं हो सकता।]

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हमारे ही यहां से पुलिस में आदमी जाते हैं। जहां तक हमारा और आपका नैतिक स्तर ऊंचा उठता है उतना ही आपके सरकारी कर्मचारियों का स्तर भी ऊंचा उठ सकता है। पुलिस की यदि कोई गल्ती हो तो उसे पकड़िये और उसको दंड दिलाने की कोशिश कीजिये। लेकिन केवल निन्दा करने से या बुराई करने से तो पुलिस का या किसी और का उद्धार नहीं हो सकता है। हम आप लोगों के सहयोग के लिये तैयार हैं। इधर भी जो माननीय सदस्य बैठे हैं और उधर जो माननीय सदस्य बैठे हैं मैं उनसे कहता हूं कि यदि वह कोई गलती पुलिस की देखें तो हमको बतलायें। हम आपके सहयोग का स्वागत करते हैं और हम इस बात की भरसक कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी हो और वह उत्तर प्रदेश के योग्य हो।

एक चीज का और जिक्र हुआ और वह गोरखपुर में गोली चलाने के संबंध में है। मैं मांस नहीं खाता हूं। मुझे तो एक बकरी के मरने का भी बड़ा अफसोस होता है तो फिर आदमियों पर गोली चले और बिना गलती के आदमी मर जायं यह तो बहुत बड़ी बात है। गोली चलाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और पुलिस को भी गोली चलाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बात है अगर वह सारी की सारी सामने रखी जाय तो यह गलत है कि निरीह मजदूरों के झुंड पर यकायक गोली चला दी गई। यह बिल्कुल गलत बात है। आखिर क्या चीज थी? समाजवादी पार्टी के नेता जी ने मुझ से जिक्र किया। मैंने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की थी। मैं उसको उनको याद दिलाना चाहता हूं। वह कृपा करके अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं एक बात की कोशिश करता रहता हूं कि जब कभी समाजवादी पार्टी के हाथ में शासन आये तो मैं अच्छी मशीन आपके लिये छोड़ जाऊं। यह मैंने उनको विश्वास दिलाया है।

बात यह थी कि कुछ लोगों को टेम्पोरेरी (अस्थायी) नौकरी में रखा गया और उन्होंने कहा भी था कि जब कभी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनकी स्थायी नियुक्ति की जायगी तो वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायंगे। लेकिन वे लोग कमीशन के सामने नहीं गये और कहना शुरू किया कि इसी तरह से उनको स्थायी कर दिया जाय। हम कमीशन में नहीं बैठेंगे। क्या इस तरह से शासन चल सकता है? इस तरह से तो समाजवादी पार्टी भी शासन नहीं चला सकती है कि हम कुछ आदमियों को रखें और वे वायदा कर दें और बाद को उसको न मानें। तो किस तरह से शासन का कार्य चल सकता है? वहां पर हड़ताल हुई। इल्लीगल (अवैध) हड़ताल हुई। वह हड़ताल करके खुद खामोश नहीं बैठ गये बल्कि सारे में घूमे फिरे। मजदूरों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वर्कशाप (कारखाने) में जाकर हड़ताल कराने की कोशिश की और रेल पूरे स्टेशन तथा बसेज नहीं चल सकीं और स्टेशन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। पर तो उनका कब्जा नहीं हो सका। यह सारी नामुनासिब कार्यवाही क्या थी? ऐसी दशा में कैसे यह कहा जा सकता है कि निरीह मजदूरों पर गोली चलाई गई? उस समय वहां पर एक अधिकारी की समझ में यह बात आई कि अगर गोली नहीं चलती है तो शान्ति कायम नहीं रह सकती है। गोली चली और ऐसा कहा जाता है कि गोली चलने से चार आदमी मरे लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट हैं उससे तो यह मालूम होता है कि दो ही आदमी मरे। कल भी इसका जिक्र किया गया लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि अस्पताल में जो दो आदमी मरे थे उनके अलावा दो और आदमी कौन से मरे। कोई उनके नाम बताये, किस के बाप, बेटा, भाई और पति मरे। हवा में बातें करते हैं। इसका एक बड़ा भारी किस्सा सा हो गया है

लेकिन कोई यह नहीं बतलाता कि अस्पताल में जो दो आदमी मरे उनके अलावा और दो आदमी कौन मरे। इसके बाद जैसा कि कायदा है कमिश्नर को इंक्वायरी (जांच) के लिये मुक़र्रर किया गया। कमिश्नर ने जांच की और बतलाया कि गोली न्यायानुकूल चली। अब यह कहा जाता है कि जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये। कोई भी शासन इस तरह से नहीं चल सकता है।

कोई गवर्नमेंट अगर आदमी रखे और कहा जाय कि वह चोर है, बेईमान है तो फिर इस तरह से उनसे तो काम कोई नहीं ले सकता और इस तरह से शासन कैसे चलेगा? अगर यह कहा जाय कि मुंसिफ या जज की जो जांच होगी वह तो बेहतर होगी और जो कमिश्नर होगा और जिसका कोई सम्बन्ध उस मामले से नहीं रहा है उसकी जांच गलत होगी तो इस तरह से अविश्वास करने से तो काम नहीं चल सकता और उस पर इस तरह से अविश्वास कर लेने का कोई खास कारण नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक गोरखपुर की फायरिंग (गोली चलाने) का सम्बन्ध है या जहां तक लोगों के मरने की बात है वह तो जरूर दुःख की बात है, लेकिन इस तरह से गलत बातों को बयान करना यह किसी रूप में भी उचित नहीं है।

अब मुझे थोड़ा श्रम विभाग के सम्बन्ध में कहना है। हम यह दावा नहीं करते कि मजदूरों के लिये रामराज्य आ गया है, लेकिन यह कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल गलत बात है सिवाय इसके कि हाथरस में एक मिल बन्द है और आगरा में एक मिल हाई कोर्ट में मुक़दमे की वजह से बन्द है। केवल उन दो मिलों को छोड़ कर इधर मजदूरों की बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। मेरे पास फिगर्स (आंकड़े) हैं, समय नहीं है, मैं आपके सामने रखता। इस तरह पर यह कहना कि बेरोजगारी बढ़ी है बिल्कुल गलत है।

श्री बहुगुना जी ने एक बात कही, मार्टिन कम्पनी के बारे में कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बदला गया। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बदलने का कानूनी अधिकार गवर्नमेंट को है कि अगर फैसले में कुछ तबदीली करनी है तो वह भी सदन के सामने रखा जाय, वह हमने सदन के सामने रख दिया। अगर पूरी तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला लागू किया जाय तो कम्पनी पर पूरी तरह से बोझ पड़ेगा और उसका लामुहाला परिणाम यह होगा कि कम्पनी को बिजली का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मामूली बिजली लगी है उसके लिये भी और जो इंडस्ट्रियल परपजेज़ (औद्योगिक उद्देश्यों) के लिये है उनके लिये भी। यह हमको अनुचित मालूम होता है कि मामूली कन्ज्यूमर (उपभोक्ता) पर, शहर के रहने वालों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर बोझ डाला जाय। इसके अलावा थोड़ा सा क्लरिकल स्टाफ है यानी २० प्रतिशत उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जायगा अगर उसको पूरी तौर से न लागू किया जाय और मजदूरों को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। इसलिये हमको यह करना पड़ा कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको माडीफाई (रूपान्तर) किया जाय और उसको हमने संशोधित किया और उस संशोधित फैसले को लागू करना है इसलिये कि थोड़े से आदमियों के फायदे की वजह से कई लाख के ऊपर बोझ पड़े और जिसका असर मामूली कंज्यूमर पर पड़ जायगा; बिजली का रेट बढ़ जाने की वजह से हर एक पर असर पड़ेगा। वह ठीक नहीं है।

और भी कई चीजों का जिक्र उन्होंने किया। मसलन् उन्होंने डीयर फूड एलाउन्स (खाद्य की महंगाई का भत्ता) का जो रेट है वह ठीक नहीं है यह कहा। मैं कहता हूं कि उनके कहने में तथ्य है और मैं इस सवाल को लेने के लिये तैयार हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली के कारखानों में जो मजदूर हैं उनकी छुट्टी का सवाल ठीक नहीं है। यह भी विचारणीय प्रश्न है। इस सवाल को भी मैं ट्रिब्यूनल में देने के लिये तैयार हूं। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा कि

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हाई कोर्ट की एक अलग बेंच बनाई जाय । यह एक आल इंडिया (अखिल भारतीय) प्रश्न है । फिर भी मैं इस बात को एक महत्व की बात समझता हूं और हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को राजी करेंगे कि वह इस मसले को हल कर सके । तो हम जो उचित बातें हैं उनको मानने के लिये तैयार हैं । साथ ही मैं उन सब लोगों को सब कन्सेशंस भी देने के लिये तैयार हूं और उन सब लोगों से जो मजदूर क्षेत्रों में काम करते हैं प्रार्थना करूंगा कि कहीं आपस के झगड़े की वजह से मजदूरों का अहित न हो जाय । कल मुझे एक बात सुन कर आश्चर्य हुआ । कल समाजवादी पार्टी के एक मेम्बर साहब ने कहा कि कठकुइयां शुगर मिल का एक सुपरिंटेंडेंट था वह निकाल दिया गया था और फिर रख लिया गया । तो फिर इससे आपका क्या नुकसान हुआ ? वह मजदूर था । राजा साहब पडरौना ने जो मिल मालिक हैं उसको निकाल दिया लेकिन गवर्नमेंट ने दबाव डाला और वह फिर रखा गया तो उससे आपका का क्या नुकसान हुआ ? हां यह जरूर था कि वह आपकी सोशलिस्ट यूनियन से नहीं था और आई० एन० टी० यू० सी० से था । मिल मालिक ने उसे निकाला और फिर रखा तो आप क्यों नाराज होते हैं ।

माननीय अध्यक्ष---माननीय मंत्री का समय समाप्त हो गया ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं श्रीमान् का ध्यान नियम ८४ की तरफ दिलाता हूं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान् जी जो मंत्री महोदय के लिये प्रतिबन्ध लगाते हैं उसके लिये नियम ८४ में लिखा गया है कि किसी रिजोल्यूशन (संकल्प) के सम्बन्ध में उसके मूवर (प्रस्तावक) को २५ मिनट दिये जायं और जो बाकी बोलने वाले हैं उनको १५ मिनट दिये जायं । वह नियम इस तरह पर है --

"No speech shall exceed fifteen minutes in duration :

Provided that the mover of a resolution when moving the same and the Minister in charge of the department concerned when speaking for the first time may speak for twenty-five minutes."

[कोई भाषण पन्द्रह मिनट से अधिक समय का न होगा ।

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और विभाग का भार साधक मंत्री, जब वह पहली बार बोले, २५ मिनट तक बोले सकता है ।]

तो मुझे यह निवेदन करना है कि मिनिस्टर इंचार्ज जब तक रिजोल्यूशन में भाग लेंगे तो उनको मूवर (प्रस्तावक) की तरह २५ मिनट का समय मिलेगा । १५ मिनट का समय अल्प है और यही कारण है जिसके लिये यह जोड़ा गया था कि मिनिस्टर इंचार्ज•का को भी २५ मिनट दिया जायगा ।

माननीय अध्यक्ष---नियम में 'मिनिस्टर इंचार्ज' (भार साधक मंत्री) लिखा हुआ है । तो जिस प्रश्न के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हो रही है वह प्रश्न महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के ऊपर है और महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन का सभी विषयों से सम्बन्ध आता है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री को ही मिनिस्टर इंचार्ज समझा जाता है । बाकी मंत्रियों को वही अधिकार है जो कि यहां के माननीय सदस्यों को अधिकार है ।

श्री राजनारायण---औन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर । (श्रीमान् जी, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।)

माननीय अध्यक्ष---पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वैयक्तिक स्पष्टीकरण) का कोई सवाल पैदा नहीं होता । किस बात का एक्सप्लेनेशन ?

श्री राजनारायण---गोरखपुर में २५ तारीख की रात को...

माननीय अध्यक्ष — यह बात अब पैदा नहीं हो सकती ।

श्री कमला सिंह— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले दो तीन दिन में जितने लेक्चर्स (भाषण) हुए हैं यानी जो वादविवाद हुआ है उससे प्रतीत होता है कि यहां पार्टीबन्दी चल रही है। जब हम लोग देहात में वोट मांगने के लिये गये थे तो वहां हम लोगों ने वादा किया था कि सदन में जायेंगे तो किसान मजदूर राज कायम करेंगे, लेकिन यहां पर हर पार्टी अपना अपना राग अलाप रही है ।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य का सदन के सब सदस्यों पर आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री कमला सिंह —मैं वापस लेता हूं । कल जब मैं इस सदन में आया तो हम लोगों के सामने एक बिल रक्खा गया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० । इसकी धारा ३ में लिखा हुआ है। "१५, जनवरी १९५२ ई० के बाद किये गये पट्टे और अन्य व्यवहार आरम्भ से ही अवैध होंगे।" इससे यह जाहिर होता है कि ७ जुलाई, सन् १९४९ ई० को जब पहले यह जमींदारी उन्मूलन बिल असेम्बली में पेश हुआ था और जमींदारों ने जब देखा कि उनकी जमींदारी खत्म हो जायगी तो उनके पास जितनी पत्तियां थीं उनका इन्तजाम करना शुरू कर दिया और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने वसूल किया। उसके बारे में मैं देख रहा हूं कि जहां तक काश्तकारों की जमीन का सम्बन्ध था वह उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० आ गया। लेकिन जमींदारों ने जो लाखों करोड़ों रुपया वसूल किया उसके मुताल्लिक कोई बिल इस सदन के सामने नहीं आया। १९३४ ई० में एग्रिकल्चरल रिलीफ ऐक्ट पास हुआ था । उसके बाद १९४० ई० में डेट रिडम्पशन ऐक्ट [ऋण की माफी का अधिनियम] पास किया गया। उससे पटानी शुरू की गई। महाजनों के मुताल्लिक यह कानून बनाया गया कि जब कोई कर्ज लेगा तो उस रुपये के एवज में अपनी जमीन या भूमि जो उनको रेहन के तौर पर दी जायगी उससे हिसाब किताब लिया जायगा और भूमि से उनको सूद से ज्यादा रुपया वसूल हो जाता है यानी पैदावार से तो वह उसमें कम्पेनशेट (प्रतिकर देना) कर दिया जायगा । इस तरह पटानी से रुपया अदा हो जाता था। इसी तरह की परिपाटी इस सदन की थी लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जब जमींदारों के मुताल्लिक यह कानून इस सदन में पास हुआ, उन्होंने लाखों, करोड़ों रुपया किसानों से वसूल किया ! लेकिन उसको मुआविजे में शामिल करने का कोई रूल या रेगुलेशन नहीं बनाया गया। यह जमींदारों के साथ पक्षपात है और 'विधि के समक्ष समता' नहीं है। कांस्टिटयूशन के अनुच्छेद १४ की अवहेलना होती है जो इस प्रकार है :—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

[भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।]

इसके मुताल्लिक इक्वेलिटी (समता) होना चाहिये। जैसे महाज के मुताल्लिक हमने पटानी जारी की है । जमींदारों के सामने वही पटानी का सवाल आना चाहिये था। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने जमींदारों को हटाने की बात सोची उसके बाद से जितने पट्टे वग़ैरह हुए हैं, जितना रुपया किसानों से उन्होंने वसूल किया है वह उनके मुआविजे में शामिल होना बहुत आवश्यक है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये इस सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम इस तरीक़े पर, जो

[श्री कमला सिंह]

रुपया जमींदारों ने वसूल किया है, वह मुआविजे में से जरूर वसूल किया जाय और महाजनों की तरह से उनसे भी पटानी की जाय। जहां तक माननीय राज्यपाल के संबोधन का संबंध है जब तक इस कानून में यह संशोधन न हो जाय तब तक यह पास नहीं किया जाना चाहिये। ७ जुलाई, सन् १९४९ ई० के बाद जो रुपया जमींदारों ने वसूल किया है वह मुआविजे में शामिल हो।

इसके बाद मैं सदन का ध्यान महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के पैरा ४ की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें यह कहा गया है कि--

"The provision of opportunities of intellectual and spiritual development to every one without any distinction of caste, creed, class or sex."

[जाति, वर्ग और स्त्री पुरुष के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिये अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना।]

इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि कांस्टीटयूशन (संविधान) में समाज को तीन क्लासेज (वर्गों) में बांटा गया है। इन तीनों क्लासेज के अन्दर जो बैकवर्ड (पिछड़ी हुई) और शिडयूलड (परिगणित) क्लासेज (जातियां) हैं वे सब ऐजूकेशनली (शिक्षा में), पोलीटिकली (राजनीति में) और सोशली (सामाजिक रूप से) बैकवर्ड (पिछड़ी हुई) हैं। उनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर दूसरों की तरह कंपीटीशन्स (प्रतियोगिता परीक्षाओं) में बिठा सकें या स्वयं पढ़ कर आगे बढ़ सकें। विधान के अनुच्छेद १६ के पार्ट (भाग) १ में लिखा है-

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

[राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।]

अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों में यह ताकत नहीं है कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से जो इम्तहान होते हैं उनमें बैठें और अपने को योग्य साबित कर सकें। अगर हम इस नीति को अपनायें तो भी बैकवर्ड क्लासेज के लिये कभी कोई मौका आगे बढ़ने का आ ही नहीं सकता। इसलिये कांस्टीटयूशन के अनुच्छेद १६ के पैरा ४ में आया है-

"Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

[इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।]

इस तरह से बैकवर्ड क्लासेज के लिये इस पैरा में यह दिया हुआ है कि उनके लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। अगर संविधान के चेप्टर १६ की तरफ ध्यान दिया जाय तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है---

"Special Provisions relating to certain classes"

PART XVI

330 (1) Seats shall be reserved in the House of the people for the Scheduled Castes."

[कतिपय वर्गों के संबंध में विशेष उपबन्ध

भाग १६

३३० (१) लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

इसके अलावा अनुच्छेद ३३८–३३९ और ३४० में भी इसके मुताल्लिक जिक्र किया हुआ है। अनुच्छेद ३३८ में शिडयूल्ड कास्ट्स के मुताल्लिक पूरा वर्णन है कि उनकी दशा सुधारने के लिये क्या-क्या व्यवस्था की जाय। इसके अलावा उसमें कमेटी वगैरा भी बनाने के लिये लिखा गया है। इसी तरह से अनुच्छेद ३४० में भी लिखा हुआ है और यह अनुच्छेद बैकवर्ड, शिडयूल्ड कास्ट्स (पिछड़ी जातियों) की कन्डीशन (अवस्था) को सुधारने के लिये बनाये गये है। इसी तरह से देखा जाय तो चेप्टर ३ के अनुच्छेद १६ (१) और (४) में ऐसी ही बात दी गई है। इन सब अनुच्छेद में "शैल" वर्ड (शब्द) का प्रयोग किया गया है।

यह प्रोविजन (उपबन्ध) मैंडेटरी (आदेशात्मक) है डिस्क्रीमिनेटरी (विवेचनात्मक) नहीं है। तो ऐसी हालत में जब कि यह संविधान में दिया हुआ है तो राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के चौथे पैरा में जो यह दिया हुआ कि—'दि प्राविजन आफ आपार्चुनिटीज आफ इनटेलेक्चुअल ऐंड स्प्रीचुअल डेवलपमेंट टु एवरी वन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन आफ कास्ट, क्रीड क्लास आर सेक्स' [जाति, धर्म, वर्ग और स्त्री पुरुष के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिये अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना] यह संविधान के खिलाफ जाता है।

इसमें बैकवर्ड (पिछड़ी हुई) और शेडयूल्ड क्लासेस (अनुसूचित जातियों) के स्पेशल प्रोविजन (विशेष उपबन्ध) का कोई जिक्र नहीं है और न इनके भविष्य पर विचार स्पष्ट किया गया है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता है जब तक कि स्पेशल प्राविजन जो सर्टेन क्लास (कुछ वर्गों) के लिये है कंसीडर (विचार) न किया जाय। इस तरीक़े पर मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि "दि प्राविजन आफ आपोर्चुनिटीव आफ इनटेलेक्चुअल ऐंड स्प्रीचुअल डेवलपमेंट टु एवरी वन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन आफ कास्ट, क्रीड, क्लास आर सेक्स" (जाति, धर्म, वर्ग और स्त्री-पुरुष के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिये अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना। इसके साथ-साथ "subject to special provisions relating to certain classes" [कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध रखते हुये] होना चाहिये और जब तक कि बैकवर्ड क्लास के लिये, शेडयूल्ड क्लास के लिये रिजर्वेशन (रक्षण) है ऐसी हालत में इस तरह की कोई चीज पास नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज पास की जाती है तो यह संविधान के प्रतिकूल जाती है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष के जरिये से इस सदन के माननीय सदस्यगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब इसके बाद गवर्नर महोदय के सम्बोधन के पैरा ७ में दिया हुआ है कि साढ़े सत्रह लाख रुपया पूर्वी जिलों के उन लोगों को दिया जायगा जहां पर बारिश व ओलों से फसल को नुकसान हुआ है। गाजीपुर जिले में कई साल से ओले वग़ैरह पड़ते हैं और वहां पर सूखा भी पड़ा है लेकिन हम देखते हैं कि वहां लोगों को रिलीफ फंड से कुछ नहीं दिया जाता है। कलेक्टर साहब से भी मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि यह चीज़ रिलीफ ऐक्ट के अन्दर नहीं आती है। उसके लिये यह कहा जाता है कि फसल आधी कट गयी थी इसलिये आधी फसल बच चुकी है।

[श्री कमला सिंह]

अगर फसल वग़ैरह का कैलकुलेशन (हिसाब) किया जाय तो करीब १० आना, १२ आना का नुक़सान आता है। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो पूरे गांव की तमाम फसल के कैलकुलेशन से सिर्फ ४ आना ६ आना ही आता है। इस तरीके पर हम देखते हैं कि जितनी फसल है वह बहुत ज्यादा तादाद में बरबाद हो गयी है लेकिन जितने किस्म की फसलें होती हैं उनका कैलकुलेशन किया जाय तो उस तरीके पर भी ४ आना ६ आना आता है। इस तरीके से उनको पूरी रिलीफ नहीं मिल पाती है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष के जरिये माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कायदे में कुछ रिलेक्सेशन (ढील) कर दें जिससे इन गरीबों को, जिनका पानी व ओलों वग़ैरह से नुकसान हुआ है, उनको कुछ रिलीफ मिल जाय।

इसके अलावा गाजीपुर में तीन तरह के ट्यूबवेल्स भेजे गये हैं। एक किस्म तो वह है जिसके जरिये १५ और २० सौ एकड़ तक जमीन सींची जा सकती है। मगर गाजीपुर में इतने अच्छे कुयें नहीं हैं, जहां ये लगाये जा सकें। दूसरे किस्म के ट्यूबवेल्स झीलों और टैंकों में लगाने के लिये हैं लेकिन गाजीपुर में कोई झील या टैंक ऐसे नहीं हैं जहां ये लगाये जा सकते हैं। तीसरे किस्म के ट्यूबवेल्स ३०, ३५ फीट गहरे कुएं में लगाये जा सकते हैं लेकिन गाजीपुर में ५० फीट से कम के कुयें ही नहीं हैं, इसलिये वहां भी ये काम में नहीं लाये जा सकते हैं। इस तरीके पर मैं माननीय अध्यक्ष के जरिये सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां ऐसे ट्यूबवेल्स का इन्तजाम हो जो ७०, ८० फीट तक पानी फेंक सके।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, दो दिन से यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विवाद हो रहा है। मुझे कई साथियों का और भवन के दूसरे सदस्यों का सभी विषयों पर जिनका कि इससे सम्बन्ध है और कुछ ऐसे विषयों पर भी जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है भाषण सुनने का अवसर मिला। जिनसे हमारा सम्बन्ध है उनके ऊपर विचार करना हमारे लिये उचित है। जिनसे हमारा सम्बन्ध नहीं है उनको भी सुन लेना और यदि उनका उपयोग कभी जीवन में हो सके तो उसको करे यह भी लाभदायक होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि हम यहां अपने वाद-विवाद को उन्हीं बातों तक सीमित और महदूद रक्खें जो कि हमारे वास्तविक कार्यक्रम से या हमारे आगामी आदर्श से सम्बन्ध रखें तो हम उससे ज्यादा नफा उठा सकते हैं। मैं आपसे इस समय जो कुछ भी यहां बातें और सुझाव दिये गये हैं उन सब के बारे में कह सकूं यह तो सम्भव नहीं है और न एकदम इन सब बातों के बारे में एक निश्चित बात कह देने से किसी को सन्तोष ही हो सकता है। यदि जो बातें कही गईं उन पर विचार करें और उनके आधार पर कोई और आगे के लिये हम कार्यक्रम अपना बदल सकें या बढ़ा सकें जिससे सब का हित हो सके तो उसके लिये हमारा यत्न होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो कोई भी संशोधन हुये हैं एक के सिवाय जो कि सदाचार और चरित्र के सुधार से सम्बन्ध रखता है और जिसके बारे में मैं समझता हूं, यहां चाहे किसी की टोपी किसी भी रंग की हो, कोई मतभेद नहीं हो सकता और जो सुझाव हुये हैं वह वस्तुतः साम्यवादी सदस्यों की ओर से हुये हैं। परन्तु एक बात तो सभी के सुझाव में है और वह यह है कि राज्यपाल ने जो कहा है उसके किसी हिस्सा को हटा देने का किसी का सुझाव नहीं है। उसको तो सभी ने स्वीकार कर लिया है। उस अभिभाषण में जो भी विचार रखे गये हैं उनको कोई नहीं चाहता है कि हटा दिया जाय या उनकी जगह पर कोई दूसरी

चीज रख दी जाय। लिहाजा जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का सम्बन्ध है उसके लिये यह कहना कि सर्वसम्मति से सब ने उसको माना है अनुचित नहीं होगा। और यदि कोई संशोधन उसमें ऐसा हो जो राज्यपाल के अभिभाषण से असंगत हो तो या तो वह उठ नहीं सकता या असंगत होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण वैसा का वैसा ही रहता है और वह संशोधन स्वयं गिर जाता है। इसलिये हमको यह मान कर उस पर सब को विचार करना है कि राज्यपाल का अभिभाषण सभी को ग्राह्य है और उसके परिवर्तन या किसी संशोधन या किसी बात को हटाने या बदलने की बात नहीं कही गई है। तो ऐसी अवस्था में फिर जो संशोधन किये गये हैं उनके ऊपर विचार करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—ये संशोधन अभिभाषण में किये गये हैं या मूल प्रस्ताव में ?

माननीय अध्यक्ष—यह आप प्रश्न उठा रहे हैं। आप बैठ जायं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आखिर जो भी हो मैं यह समझता हूं कि यह हर कोई जानता है और मानता है कि राज्यपाल को हम धन्यवाद देते हैं और जो बातें कही गई हैं उनको स्वीकार करके उनको धन्यवाद देते हैं और जिस बात को स्वीकार न करें तब धन्यवाद देने की बात रहने देते हैं और यह कह देते हैं कि आपको धन्यवाद देते हैं परन्तु यह बात हटा दी जाय। तब यह बात नहीं कही जाती कि जो लिखा है उसको हम मंजूर नहीं करते हैं। लिहाजा उसके बारे में कोई विरोध की गुंजायश नहीं रहती है। परन्तु यह तो उसका जो वास्तविक रूप है वह रहा।

अब मैं आपसे सिर्फ दो तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमको वास्तव में अपने देश की अवस्था को देख कर काम करना है और यथा-सम्भव जहां तक भी मुमकिन हो हम सबको मिल-जुल कर काम करना है। हमारा देश दुःखी है इसमें करोड़ों आदमियों को हर तरह के संकट हैं और उनको हटाने के लिये हमारी सब की और एक दूसरे से हाथ मिलाकर सहयोग के साथ चलने की आवश्यकता है और जहां पर इस प्रकार मिलजुल कर काम करना संभव नहीं है वहां पर हम अपने विचार से भी कुछ काम कर सकते हैं। परन्तु जहां ऐसा करना संभव है वहां उसे करना सब के लिये हितवर्द्धक हो सकता है। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि अगर हम आज की वास्तविक बातों पर नजर डालें तो हमारे प्रदेश में जो आज अवस्था है तो वह संतोष का अवसर है ? यह चीज सही है कि हमारे यहां करोड़ों आदमियों को कष्ट और तकलीफें हैं, उनको भूलना नहीं है, लेकिन परिस्थिति जैसी है उसमें क्या यह सही नहीं है कि जब कि दो साल से इतना सूखा पड़ा, इतनी बाढ़ें आईं और पैदावार भी इतनी कम हुई तब भी हमने अपने प्रदेश में अभी तक सब के लिये प्रबन्ध करने में कुछ न कुछ अपनी तरफ से जो यत्न किया वह विफल या असफल नहीं हुआ ? इस विकट अवस्था में प्रान्त के कामों का संचालन करने में और जनता की सेवा करने में हम ने कुछ सफलता प्राप्त की है और ऐसा करने में कोई शोरगुल नहीं किया और लोगों में पेनिक (आतंक) का अवसर न आने दिया, बल्कि सब की हिम्मत को कायम रख कर अपने यत्न से सफलता प्राप्त की और सबका काम ठीक से चला। यही नहीं, आज की अवस्था में जब कि देश के सभी सूबों में अनाज की कीमत हमारे मुकाबले में करीब-करीब ड्योढ़ी हो गई है हमने बाढ़ों के बावजूद और क़हतसाली के बावजूद आज तक वही कीमत कायम रखी है और बढ़ाई नहीं है। आज बम्बई के प्रान्त में और बंगाल के प्रान्त में और दिल्ली में गेहूं की कीमत हमारे प्रान्त से सात-आठ रुपया मन अधिक है यद्यपि वहां पर कोई

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

क़हत या मुसीबत नहीं आई है। बावजूद इसके हमने सब बातें कीं और अब तक जनता के हाथ सम्भवतः जिस हद तक हमें कोई सहारा पहुंचा सकते थे पहुंचाया और उसका जिक्र न करना किसी तरह से लाभदायक नहीं है। हमारे यहां लाखों शरणार्थी और पुरुषार्थी आये और उनका जो आज प्रबन्ध हो रहा है उससे मालूम होता है कि असन्तोष नहीं है। पांच-छः लाख आदमियों का अच्छे ढंग से प्रबन्ध किया गया। यह भी एक सन्तोष की बात हो सकती है।

इस समय आप जानते हैं कि हमारे यहां गन्ना बहुत फैला हुआ था और उसके पेरने की गुंजायश नहीं थी और वह दूसरे सालों के मुकाबले में इस साल डयोढ़ा हुआ था। फिर भी हमने सब दिक्कतों के होते हुये इसके पिरवाने में सफलता प्राप्त की कि और सालों के मुकाबले में ६ करोड़ मन गन्ना हमारी फैक्टरियों (कारखानों) में ज्यादा मिल चुका है जिसकी कीमत ११ करोड़ रुपया होती है जो कि काश्तकार के पास जायगी। यह कोई आसान बात नहीं है और इन सब दिक्कतों के होते हुये यह बातें हुईं कि आज कोई कपड़े की शिकायत नहीं करता, नमक की शिकायत नहीं करता, कोई गुड़ की शिकायत नहीं करता। क्या यह सब बातें नहीं दिखलातीं कि यहां का प्रबन्ध जैसा भी चल रहा है साधारण मनुष्य का जीवन पहले के मुकाबले में ज्यादा दुखी नहीं है?

यहां पर जिक्र किया गया चुनाव का और कहा गया कि चुनाव ठीक नहीं हुये और इसकी तहकीक़ात होनी चाहिए। जो हार गये हैं उनके लिये तो यह शिकायत मुनासिब हो सकती है लेकिन जो चुन कर यहां आ गये हैं उनके लिये तो यह शिकायत मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो हार गये वह तो यहां आये भी नहीं और अगर किसी को शुबहा हो कि चुनाव गलत हुआ तो वह जैसा चाहे करें उनके लिये गुंजायश है। लेकिन यह कहना कि चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस के वोटर (मतदाता) आधे से कम थे। तो क्या इतनी सत्ता के होते हुये, महात्मा गांधी के आशीर्वाद के होते हुये और पंडित जवाहर लाल के नेतृत्व के होते हुये भी कांग्रेस को आधे से कम वोट मिलें तो क्या यही इस बात का प्रदर्शन नहीं करता कि कांग्रेस की तरफ से कितनी ईमानदारी के साथ, दूसरे के साथ रियायत और फैयाजी करके यह कार्य किया गया है? मैं इसका जिक्र इसलिये करता हूं कि दुनिया में आज हमारे देश की चर्चा है कि एडल्ट सफ्रैज (वयस्क मताधिकार) की बिना पर शान के साथ इतना बड़ा चुनाव किया जैसा कि किसी और दूसरे देश ने आज तक नहीं किया है। यहां की अनर्गल बातों से इस पर कोई असर नहीं हो सकता है। जब हमारे यहां चुनाव हो रहे थे तो यहां चीन, जापान और टर्की के लोगों ने यह कहा कि इतनी निष्पक्षता के साथ चुनाव उन्होंने कहीं नहीं देखा। चुनाव कमीशन की हिदायतों को लोगों ने देखा होगा। मैंने काफी हिदायतें जारी कीं और मैं कह सकता हूं कि अगर चुनाव में कोई कमी रही तो वह यह थी कि कांग्रेस पर बेजा हर तरह की ज्यादतियां की गईं, मगर कांग्रेस के लोगों ने उन्हें सहन किया इस ख्याल से कि उनके हाथ में ताक़त थी और फिर ये सब बातें करने से नतीजा कुछ नहीं होगा। लिहाजा वही हुआ भी।

जो लोग बैलट (मत) और बुलेट (गोली) की बात कहते हैं उन्हें समझना चाहिये कि जो बैलेट चाहता है वह बुलेट की बात नहीं करता और जो बुलेट की बात करता है वह बैलट का काम नहीं करता। ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती हैं। बुलेट का नतीजा हम देख चुके। कम्यूनिस्टों ने तिलंगाना में बुलेट किया। अब कहते हैं हमें छोड़ दिया जाय, कान पकड़े, अब ऐसी बात नहीं करेंगे। तो हम बैलेट और बुलेट दोनों देख चुके। मगर महत्मा जी ने हमें शान्ति का पाठ पढ़ाया है। लिहाजा हमको अगर कभी निराशा भी होती है तो हम ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का भी और देश का भी भला न हो।

टेहरी राज्य के बारे में बालेन्दुशाह जी ने कुछ बातें कहीं। मैं वहां के पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। परन्तु वह बिल्कुल भूल गये कि वहां जो जुल्म होते थे उनसे बचाने के लिये हमने कितने प्रयत्न किये। वहां हर मुसाफिर को जो ऋषिकेश से कीर्तिनगर को जाता था, सवा रुपया आने का और सवा रुपया जाने का देना होता था। इसे हमने तोड़ा और इससे दो लाख रुपये का हमें घाटा हुआ। जो अनाज वहां जाता था उस पर ६ आने मन बढ़ा दिया जाता था और सब अनाज सरकार अपने पास रख लेती थी और उस पर ४ या ८ आने मन और चार्ज किया जाता था। यह भी हमने तोड़ा और इसमें भी करीब ढाई लाख रुपये का हमें नुकसान हुआ। वहां महारानी का टैक्स ४ आने सैकड़ा का था उसे भी हमने हटाया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने यह कहा कि वहां पुलिस राज्य हो गया है। पुलिस राज्य की यदि एक बात सबसे बड़ी यह है कि वहां से कोई कांग्रेस का आदमी जीत कर नहीं आया तो मैं तो कहूंगा कि यह तो उल्टी बात है। उनका यह कहना सही नहीं है। वहां कोई ऐसा जुर्म या डकैती नहीं होती। वहां की पुलिस को कोई ज्यादती का मौका नहीं मिलता। वहां स्कूलों में लड़कों की संख्या २ साल में १ १।२ लाख से ज्यादा हो गई है। हमने वहां नये स्कूल कायम किये और पंचायत घर कायम किये। वहां हमने करीब डेढ़ सौ मील लम्बी नहरें बनायीं जहां एक मील भी नहर पहले नहीं थी। वहां और भी योजनायें चल रही हैं। पहले जो उन्हें खाने को मिलता था और जिसके लिये उन्हें उस समय एक रुपया देना पड़ता था जब कि सस्ता था, आज उसके लिये उन्हें दस आने देने पड़ते हैं। वहां गरीबों की हालत बमुकाबले पहले के तसल्लीबख्श है। वहां हमने बेदखलियां बन्द कर दी हैं, जंगलात का प्रबन्ध करना आरम्भ कर दिया है, सर्वे आपरेशन (परीक्षण कार्य) जारी कर दिया और दूसरी बहुत सी बातें शुरू कर दी हैं। यह कहा गया कि वहां कोई सुपरिंटेंडेंट नहीं है। एक तरफ से पुलिस राज्य कहना और फिर यह कहना कि पुलिस का कप्तान नहीं रखा गया, यह दो बातें संगत नहीं हैं। बात यह है कि सारे कुमायूं में यानी अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में एक सुपरिंटेंडेंट है। इसी तरह से देहरादून और टेहरी का एक सुपरिंटेंडेंट है। वहां तीन जिलों का एक है और यहां दो जिलों का एक है, क्योंकि वहां काम कम है। अगर बालेन्दु साहब को ज्यादा आफिसर रखने में फायदा हो तो और भी पुलिस के आफिसर रखे जा सकते हैं और टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह कही गयी कि कनजर्वेटर वहां नहीं है। जब काम का वक्त होता है तब कंजर्वेटर वहां रहता है लेकिन बरसात में सब कंजर्वेटर नैनीताल में रहते हैं और वहीं उनका हेडक्वार्टर रहता है और वहीं से सब मिल कर अगले साल की कार्यवाही करते हैं, क्योंकि चौमासे में जंगलों का काम जंगलों में नहीं हो सकता है। इसलिये अगर कोई भी आदमी देखे तो उसको मानना पड़ेगा कि पहले के मुकाबले में वहां लोगों की काफी तरक्की हुई है। हां, यह सही है कि जो टीचर वहां दस्तखत करना नहीं जानते थे उनको नहीं रखा गया है। जो टीचर यह उम्मीद करते थे कि लड़के आकर उनको सिखावेंगे उनको हमने नहीं रखा है और हम यह समझते हैं कि उनको पढ़ाना चाहिए। वहां कुछ नार्मल स्कूल खोल दिये गये हैं। इसके अलावा जो नामाकूल आदमी थे उनको हमने सर्विस से अलग कर दिया है, लेकिन जिनको रखा है उन सबकी तंख्वाहें पहले से डयोढ़ी और दुगनी हो गयी हैं। टेहरी राज्य के लिये हम चाहते हैं कि जो कुछ सुधार हमसे हो सके वह हम करें, मगर जो वहां सुधार हुआ है उसको स्वीकार न करने से कोई लाभ नहीं होगा।

यहां पर यह बात भी कही गयी कि शराबखोरी बढ़ गयी, गांजा और अफीम भी बढ़ गयी है। मगर ये बातें सही नहीं हैं। सन् १९४६-४७ में १२ लाख ६९ हजार गैलन कंट्री स्प्रिट (देशी शराब) की खपत थी, मगर सन् १९५१-५२ में वह

[माननीय श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त]

९ लाख २२ हजार ही हो गयी। तीन लाख ज्यादा कम हो गयी। इसी तरह से अफीम पहले २४ हजार ६०४ सेर एक साल में खर्च होती थी, वह गुजिश्ता साल १४ हजार ९०१ सेर ही खर्च हुई। उसमें एक-तिहाई के करीब कमी हुई। गांजा ४० हजार २८१ सेर खर्च होता था अब उसमें इतनी कमी हो गयी है कि सिर्फ ५ हजार ५९८ सेर गांजे का खर्च है। इसमें करीब ८६ फी सैंकड़ा कमी हो गयी है। भांग का खर्चा पहले १ लाख ५८ हजार था, अब १ लाख ५३ हजार हो गया है। लिहाजा आंकड़ों में चाहे भरोसा न हो, मगर जब आंकड़े दिये जाते हैं तो उसका जवाब आंकड़ों में देना पड़ता है और यह पटवारियों के दिये हुये आंकड़े नहीं हैं। जो आंकड़े पहले दिये गये थे वे पटवारियों के हो सकते हैं, लेकिन यह सरकारी हैं और सही हैं।

और बातें बहुत सी कही गईं। उन सबका जवाब देना मेरे लिये कठिन है।

श्री गेंदा सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर सर, (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं) यह आंकड़े यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और सरकारी काग़ज़ से दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष—दिस इज नो प्वाइंट आफ आर्डर, (यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है) आप क़ृपया बैठ जायं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मेरे पास जो रिपोर्ट आयी वह मैंने हाउस के सामने रखी और मैं समझता हूं कि यह सही है।

स्केयरसिटी (कमी) का मामला ऐसा है जिसके बारे में कोई वाद-विवाद की बात नहीं हो सकती है। हम सबका यह कर्त्तव्य है कि जहां परभी कमी हो उसका हम इन्तजाम करें। मेरा खुद पहले से यह विचार रहा है और आज भी मैं समझता हूं कि हम किसी को भी भूखा नहीं मरने देंगे। और बहुत से संकटों के आने पर भी हमने उनको निभाया है और हमारा आगे भी यह यत्न रहेगा कि हम उनको निभायें। मैं विज्ञप्ति करता हूं कि हमारे जो भी भाई उधर बैठे हुये हैं, चाहे जिस दल के भी हों, वे सब इस बात में हमें सहायता दें ताकि हम सब मिल कर इस काम को ऐसा कर सकें जिससे कि लोगों का कष्ट दूर हो सके।. मरने और भूख के मामले में कोई दलबन्दी नहीं आनी चाहिए। यह नहीं कि ये काम हमने अब शुरू किये हैं। हमने तो शुरू ही से, जब से इस बात का पता चला, १० मार्च को एक कान्फ्रेंस जिलों के अहलकारों की बुलायी थी और उस वक्त यह तय किया था कि तुरन्त ही इन बातों का प्रबन्ध किया जाय जिससे वहां अनाज जमा कर दिया जाय, ऐसी फेहरिस्तें बनायी जायं कि वहां क्या क्या काम हो सकते हैं, कौन-कौन सा बीज आ सकता है। इन सब बातों का पहले से ही प्रबन्ध किया गया। जहां टेस्ट वर्क्स की जरूरत है वहां वह जारी किया जाय और जो लोग वह काम नहीं कर सकते उनको ग्रेटइशस रेलीफ (मुफ्त सहायता) दी जाय। मगर एक भी आदमी को भूखा न मरने दिया जाय, यह हमारी हिदायत थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम में हम सब मिल कर चलेंगे। बीज के बारे में जब यहां कोई प्रबन्ध नहीं हो सका, तो मैंने नैपाल सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया और उन्हें राजी किया कि नैपाल की तराई से हमको काफी धान का बीज लेने देंगे।

हमारे सामने पूर्वी जिलों के लिये कई प्रोग्राम हैं। ट्यूबवेल का प्रोग्राम आप जानते हैं। इसके अलावा हम कैनाल्स (नहरों) का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पेसनरी वैल (पक्के कुएं) का प्रोग्राम है। वहां पर तालाबों को हम गहरा कर रहे हैं।

इसक अलावा रिजर्वायर्स (संचयपात्र) बना रहे हैं और जहां बन्धी हो सकती हैं उनका भी यत्न कर रहे हैं। जिस ढंग से भी जहां भी जितनी हमारे वित्त से मदद हो सकती है हम वहां के कष्टों को दूर कर सकें इसका यत्न करना हम अपना सर्वोपरि कर्त्तव्य समझते हैं। भोजन के मामले में लोगों के कष्टों को दूर करना यह तो हर एक का धर्म है। इसको अगर हम न दूर करें तो यह तो केवल शासन की बात नहीं है, यह तो मनुष्यता की भी बात है और यह तो धार्मिकता भी है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सब मिल जुल कर इस दिशा में काम करेंगे।

हमारे सामने दो तीन सवाल है। एक तो यह है कि हमारा शासन शुद्ध हो और सुयोग्य हो। इसमें भी हम चाहते हैं और यह हमारे देश के लिये आवश्यक है कि हम सब मिल जुल कर इस कार्य को करें जिससे कि हमें यह कहने का गर्व हो कि हमारे यहां के जो कोई भी सेवा करने वाले हैं, चाहे वे वैतनिक हों या अवैतनिक, वे देश की मर्यादा को ऊंचा रखते हैं और अपने कार्य को सुचारुरूप से करते हैं।

इसके साथ ही साथ हमें रचनात्मक कार्य करना है ताकि हम एक अच्छे ढंग से जिस काम को शुरू करें उसे पूरा कर सकें और उसे पूरा करने में सबका सहयोग प्राप्त कर सकें। मैं आशा करता हूं कि कम से कम इन कामों में हम सब मिल-जुल कर कार्य करेंगे और हमें सफलता मिलेगी और हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे।

इसके बाद जिस आयोजन में हम लगे थे जमींदारी उन्मूलन के कानून को कार्यक्रम में परिणत करने का अवसर हमारे सामने आया है और उसके कार्यक्रम में परिणत होने पर हमें आशा है कि हम कम से कम किसानों के कंधे से एक पत्थर का बोझ तो उतार फेंकेंगे। उसके और सरकार के बीच में कोई दूसरा नहीं रहेगा और उसका आत्मसम्मान तो ऊंचा हो ही जायगा और वह गर्व और सम्मान के साथ अपने ग्राम में रह कर अपनी जीविका का उपार्जन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त जो लैंडलेस लेबरर (भूमि हीन श्रमिक) की बात कही जाती है जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बाद गांव के हर एक निवासी को चाहे वह कितना ही गरीब हो, अपने गांव की तमाम जमीन में एक तरह का प्रभुत्व होगा और लैंडलेस लेबरर भी उसमें शरीक होगा कि जो जमीन पड़ी होगी इसका इंतजाम कैसे किया जाय और वह किसको दी जाय। इससे हमारे देश का जो पुराना रूप था वह फिर जीवित होगा।

जो लोग अब तक दबे हुये हैं वह फिर ऊंचे उठेंगे और उन लोगों के जीवन में भी एक नई झलक आवेगी जिनको अभी तक स्वतंत्रता का दिग्दर्शन पूरी तरह से नहीं सुलभ हो पाया है। इस कार्य में हम सबको एक साथ चलना चाहिये और मैं तो आशा करता हूं कि जमींदार भी इस काम में हाथ बटायेंगे। ये बहुत गलतियां कर चुके, कष्ट उठा चुके। अब कम से कम जो होने ही जा रहा है उसमें ही वाहवाही में शरीक होने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इस अवसर को गंदा बना देने से कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि देहात में सब लोग मिल जुलकर रहें। हमारे देश को संगठित होना है। यहां से फ़ासिज्म को निकालना है, कम्युनिज्म को निकालना है और ऊंच नीच के भेदों को दूर करना है और समाज को संगठित करना है, जिसमें सब लोग समान रूप से, सुख के साथ अपनी भलाई करते हुये देश और जनता के हित को करते हुये सारे संसार में भारत के इस तिरंगे झंडे को, इस पताका को, ऊंचा करने का सुयश और ख्याति प्राप्त कर सकें।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद मैं उचित नहीं समझता कि सदन के सदस्यों के धैर्य पर मैं अधिक भार डालूं। जितनी भी आपत्तियां की गयी हैं उनका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने तथा अन्य मंत्रियों ने अच्छी तरह से दे दिया है। जितने भी आक्षेप किये गये हैं, मैं समझता हूं कि उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो यह है कि कुछ अच्छी बातों का माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में समावेश नहीं किया गया है और दूसरी आपत्ति इस प्रकार की है कि जिन बातों का समावेश किया

[श्री बनारसी दास]

गया है उनको कार्यान्वित करने के साधनों पर उनको यकीन नहीं है। तीसरी ऐसी आपत्ति है जिनका तथ्यों से संबंध है उनके साथ हमारा कोई इत्तिफाक नहीं हो सकता।

जहां तक उन बातों का संबंध है जिनका समावेश करने के लिये संशोधनों द्वारा मांग की गयी है, मैं इतना कह सकता हूं कि महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण सभी अच्छी बातों का कोई कैटेलाग (सूची) नहीं है। बहुत सी अच्छी बातें, जिनका सुझाव उन्होंने किया है, हम भी पेश कर सकते हैं और सरकार भी जानती है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका सुझाव रखा जा सकता है। जहां तक साधनों का संबंध है यह आवश्यक है कि इस पक्ष के और उस क्षेत्र के लोगों में अन्तर है। यदि ऐसा नहीं होता, तो हम सब लोग एक ही दल के सदस्य होते और एक ही तरफ बैठे होते। जहां तक उन प्रश्नों का संबंध है जो तथ्यों पर आधारित हैं मैं समझता हूं उनपर हमारा कभी एक मत नहीं हो सकता। वे बातें गलत हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उनके संबंध में स्वयं प्रकाश डाला है। तो जब तक यह शासन है, लोगों को अराजकता के लिये, लोगों की जानोमाल से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिये विरोधी दल के लोगों का यह फर्ज होता है कि वह शासन में सरकार का हाथ बटावें वर्ना देश में अराजकता बढ़ेगी। गवर्नमेंट को मजबूर होकर जनता के धन और माल की रक्षा के लिये प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिये यदि कहीं गोली चलायी जायगी, कहीं कुछ लोगों को कष्ट होगा, तो वह जनता के हित में होगा, लोगों की आजादी की रक्षा करने के लिये होगा।

इसलिये जो संशोधन पेश किये गये हैं मुझको खेद है कि मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें और माननीय राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसे सर्व सम्मति से स्वीकार करें।

माननीय अध्यक्ष—इस प्रस्ताव पर करीब नौ संशोधन हैं और बहुत लम्बे लम्बे संशोधन हैं। इसके ऊपर मत लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उन संशोधनों में प्रत्येक पर मत लें या दूसरा तरीका नियमानुसार यह भी है कि पहले मुख्य प्रस्ताव पर मत ले लें और उसके बाद अगर वह मुख्य प्रस्ताव गिर जाता है तो संशोधनों पर मैं मत लूं।

मैं समझता हूं कि दूसरा रास्ता इस भवन के समय को बचाने के लिये उचित होगा। इसलिये मैं पहले मुख्य प्रस्ताव पर ही मत ले लेता हूं। परन्तु माननीय सदस्यों को यह जरूर संकेत दे देता हूं कि यदि वे इस प्रस्ताव के विरोध में हों, या किसी सुधार के अथवा संशोधन के पक्ष में हों, तो जो प्रस्ताव सामने आ रहा है उसके विरोध में अपना मत प्रदर्शित करें। प्रस्ताव गिरने पर ही उनका संशोधन आ सकता है और यदि यह प्रस्ताव पास हो जायगा तो मैं कोई भी संशोधन इस भवन के सामने उपस्थित नहीं करूंगा। इस आगाही के बाद मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन महामान्य राज्यपाल का उनके अभिभाषण के लिये आभारी है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम विरुद्ध व्यक्तिगत स्पष्टीकरण तथा वैधानिक प्रश्न उठाने की मनाही

माननीय अध्यक्ष—उठने से पहले मैं एक बात माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं। जब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं तो मैंने देखा कि कुछ गलतफहमी प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) और प्वाइंट आफ एक्सप्लेशन (स्पष्टीकरण) में हो जाती है। नियम के विरुद्ध अथवा यहां की प्रथा के विरुद्ध अगर कोई बात होती है तो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है। भ्रम के कारण जब कुछ प्रश्न पूछने के लिये कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो इस भवन का समय व्यर्थ नष्ट होता है। इस प्रकार की कार्यवाही आगामी अधिवेशन में न हों, यह मैं याचना करना चाहता हूं।

(इसके पश्चात् सदन ५ बजकर ५ मिनट पर सोमवार, २६ मई, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ मई, १९५२ ई०।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० २१ एल० ए०—१९५२—८५०।